घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मनो–सामाजिक अध्ययन

P.K.UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

से

पी–एच.डी. (समाजशास्त्र)

विषय में उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

सत्र–2024

शोध निर्देशिका

प्रो. (डॉ.) महालक्ष्मी जौहरी

समाजशास्त्र विभाग

पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

शोधार्थी

बीरेन्द्र प्रसाद यादव

[Registration No. PH16Art004S0],

[Enrollment No. 161590504556]

Scanned with OKEN Scanner

ो0(डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी

समाजशास्त्र विभाग,
पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **बीरेन्द्र प्रसाद यादव** ने **'घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मनो–सामाजिक अध्ययन'** शीर्षक पर मेरे निर्देशन में शोध–प्रबन्ध पूर्ण किया गया।

प्रस्तुत शोध प्रबंध की सामग्री मौलिक है। यह सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी परीक्षा के लिये प्रयोग नहीं की गयी है। यू.जी.सी. विनियम 2018 के अनुसार शोधार्थी का शोध कार्य किसी अन्य शोध प्रबन्ध की अनुकृति नहीं है।

इन्होंने मेरे निर्देशन में 240 दिन से अधिक उपस्थित होकर शोध कार्य पूर्ण किया है।

मैं संस्तुति करती हूँ कि यह शोध प्रबन्ध इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

प्रो0(डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी
समाजशास्त्र विभाग
पी.के. विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा-पत्र

मैं **बीरेन्द्र प्रसाद यादव** यह घोषणा करता हूँ कि **समाजशास्त्र** विषय के अन्तर्गत **'घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मनो–सामाजिक अध्ययन'** विद्या–वाचस्पति (पी–एच॰डी॰) उपाधि हेतु यह शोध प्रबन्ध मेरी स्वयं की मौलिक कृति (रचना) है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अन्य के द्वारा कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपना यह शोध कार्य मैने परम् पूज्यनीय शोध निर्देशिका **प्रो0 (डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी, समाजशास्त्र विभाग, पी0के0 विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी (म0प्र0)** के निर्देशन में पूर्ण किया है। विश्वविद्यालय परिनियमावली धारा 07 के अन्तर्गत अपने शोध केन्द्र पर निर्धारित मानक के अनुरूप उपस्थित रहकर निर्देशिका महोदया के निर्देशन में मैनें कार्य पूर्ण किया है।

दिनांक ....

शोधार्थी

BPYadav

बीरेन्द्र प्रसाद यादव

Scanned with OKEN Scanner

आभार-प्रदर्शन

प्रत्येक शोध कार्य के लिए कोई न कोई प्रेरणास्त्रोत अवश्य होता है। अतः मै सतत् प्रयत्नशील रहा जिसका परिणिति आज का दिन है कि शोध–प्रबन्ध पूर्णता की ओर है, जिस हेतु प्रथम प्रेरणा स्त्रोत अंकुरित करने का समस्त श्रेय मेरे **पूज्य पिताजी श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव** को ही जाता है। आपने सदैव मुझे उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की नसीहतें देकर अद्यतन मेरी हौसला बढ़ाया है अस्तु आपका ऋणी हूँ और आजीवन ऋणी रहूँगा।

सर्वप्रथम मैं **पी0के0 विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी (म0प्र0)** के माननीय कुलाधिपति **श्री जगदीश शर्मा** जी एवं सम्माननीय कुलपति **प्रो0 (डॉ0) योगेश चन्द्र दुबे** जी, प्रशासनिक निदेशक **डॉ0 जितेन्द्र मिश्रा** जी, सम्मानीय कुलसचिव **डॉ0 दीपेश नामदेव** जी, परीक्षा नियंत्रक **डॉ0 जी0 पवन कुमार** जी, डीन अकादमी **डॉ0 एमन फातिमा** जी, डीन फेकल्टी **डॉ0 जितेन्द्र मलिक** जी, रिसर्च अकादमी **डॉ0 भास्कर नल्ला** जी, एवं पुस्तकालय अध्यक्ष **मिस निशा यादव** जी एवं **श्री कमलेश यादव** जी के प्रति आभारी हूँ।

मेरी शोध निर्देशिका **प्रो0 (डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी, विभागाध्यक्ष, कला संकाय, पी0के0 विश्वविद्यालय** के कुशल निर्देशन में प्रत्येक अनुसंधान कार्य की आधार शिला रखने के लिए एक सुयोग्य निर्देशक की आवश्यकता होती है। इसके लिए **पी0के0 विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म0प्र0)** से सम्पर्क कर विषयगत चर्चा की तो आपने मेरा शिष्यत्व सहज ही स्वीकार कर लिया, और मुझे निदेशित किया कि मैं आज की ज्वलन्त समस्या **"घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मनो–सामाजिक अध्ययन"** शोध शीर्षक पर शोध कार्य सम्पन्न हुआ। वह साथी जिसकी प्रेरणा से मेरे यह कार्य पूर्ण हुआ है। हृदय से आभारी हूँ।

आभार की श्रृंखला के इस सोपान क्रम में मेरी माता जी **श्रीमती सरस्वती देवी** जी एवं पिता जी **श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव** एवं मेरी धर्मपत्नी **श्रीमती माया देवी** पुत्र **पीयूष, रंजन** पुत्री **सागरिका सलोनी, बाम्रवी सलोनी** सभी परिजनों के विशेष सहयोग एवं स्नेह से आज इस कार्य को सम्पन्न कर सका हूँ साथ ही साथ मेरे मामा जी **श्री अवध**

Scanned with OKEN Scanner

बिहारी चौधरी (बिहार विधानसभा, अध्यक्ष, सह–संस्थापक दारोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज, सिवान) जिन्होंने हर कदम पर मेरे साहस को टूटने से बचाया और मेरे अध्ययन कार्य में पूरा सहयोग दिया। मेरे शोध की अधिकांशतः आर्थिक समस्याएं मेरे पिता जी की भूमिका रही।

इसके अलावा मेरे कर्मस्थलीय के सहयोगियों का आभार देना चाहता हूँ जिसमें **दारोगा प्रसाद डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, डॉ0 रामसुन्दर चौधरी, डॉ0 वीरेन्द्र प्रसाद यादव (अंग्रेजी विभागाध्यक्ष), कामेश्वर कुमार यादव (सहा0 प्राध्यापक) अंग्रेजी विभाग, अनिल कुमार प्रसाद (सहा0 प्राध्यापक) अर्थशास्त्र विभाग एवं श्री सुरेन्द्र सिंह (सहा0 प्राध्यापक) समाजशास्त्र विभाग** ने इन्होंने अपने अनुभवों एवं ज्ञान से मुझे प्रेरणा दी और मेरा उत्साह वर्धन किया। हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी समस्त घरेलू हिंसा की शिकार सूचना दात्रियां जिन्होंने अपने दाम्पत्तिक, व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन सम्बन्ध विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जानकारियां निःसंकोच भाव से बताकर मेरे इस जटिल प्रकृति के व्यावहारिक शोध अध्ययन को पूर्ण कराने में विशेष सहयोग दिया है। यदि आप सभी मौलिक जानकारियां प्रदान नहीं करते तो शायद मेरे अध्ययन का अस्तित्व ठीक वैसा ही होता जैसा कि अस्तित्व **"आत्मा रहित शरीर का होता है"** अन्त में मैं इन सभी महानुभावों की विशेष ऋणी, कृतज्ञ तथा आभारी हूँ जिनका किंचित मात्र भी सहयोग मेरे हिस्से में आया है लेकिन जिनके नामों का उल्लेख पृथक से करना किन्हीं कारणों वश यहां सम्भव न हो सका है उन सबका आभार प्रकट करता हूँ और शोध कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका टंकण कर्ता **श्री रामकुमार प्रजापति** जिन्होंने शोध सामग्री को स्वच्छ तथा त्रुटि रहित टंकित कर मुझे सराहनीय सहयोग दिया उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

पुनः पुनः धन्यवादों सहित।

शोधार्थी

बीरेन्द्र प्रसाद यादव

Scanned with OKEN Scanner

FORWARDING LETTER OF HEAD OF INSTITUTION

The Ph.D. thesis entitled 'घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मनो–सामाजिक अध्ययन' Submitted by **Mr. Birendra Prasad Yadav** Is forwarded to the university in six copies. The candidate has paid the necessary fees and there are no dues outstanding against him/her.

Name Prof.(Dr.) Mahalaxmi Johri Seal ....

Date: ....

Place: P.K. University Shivpuri (M.P.)

HOD
Department of Art
P.K. University
Shivpuri (M.P.)

(Signature of Head of Institution where the Candidate was registered for Ph.D degree)

Signature of the Supervisor

Address: P.K. University, Shivpuri M.P.

Date: ....

Place: P.K. University Shivpuri (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

P.K. UNIVERSITY

SHIVPURI (M.P.)

Established Under UGC Act 2F, 1956

Ref. No. PKU/2018/03/14/RO-STUD/22 Date 13/03/18

Certificate

To,

BIRENDRA PRASAD YADAV
Enrollment No: 161590504556

Sub.: Registration for Ph.D. Degree

Dear Student,

This is certify that BIRENDRA PRASAD YADAV S/o CHANDRIKA PRASAD YADAV is registered for Ph.D. programme in the **Faculty of Art and Humanities** for the **subject of SOCIOLOGY** at PK. University with registration number **PH16ART004SO** and the topic **"घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलओं का मनोसामाजिक अध्ययन"** has been approved by the RDC held on 11/11/2017 for further research work that will be governed by the academic regulations of the university.

With kind regards

Registrar

CC:
1) Guide
2) Office only

Scanned with OKEN Scanner

P.K. UNIVERSITY

(University established under section 2f of UGC act 1956 vide mp government act no 17 of 2015)

Village- Thanra Tehsil, Karera NH 27 District Shivpuri M.P.}

COPYRIGHT TRANSFER CERTIFICATE

Title of the Thesis: 'घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मनो–सामाजिक अध्ययन'

Candidate's Name: **बीरेन्द्र प्रसाद यादव**

COPYRIGHT TRANSFER

The undersigned hereby assigns to the P.K. University, Karera, Shivpuri (M.P.) all copyrights that exists in and for the above thesis submitted for the award of the Ph.D. degree.

बीरेन्द्र प्रसाद यादव

Date: .....

Place:.....

Scanned with OKEN Scanner

P.K.UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

UniversityEstablished Under section 2F of UGC ACT 1956 Vide MP Government Act No 17 of 2015

CENTRAL LIBRARY

Ref. No. PKU/ C.LIB /2023/PLAG. CERT./124 Date: 22.12.2023

CERTIFICATE OF PLAGIARISM REPORT

1. Name of the Research Scholar	:	Birendra Prasad Yadav
2. Course of Study	:	Doctor of Philosophy (Ph.D.)
3. Title of the Thesis	:	घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलओं के मनो-सामाजिक अध्ययन
4. Name of the Supervisor	:	Dr. Mahalaxmi Johri
5. Department	:	Social Science
6. Subject	:	Sociology
7. Acceptable Maximum Limit	:	10% (As per UGC Norms)
8. Percentage of Similarity of Contents Identified	:	6%
9. Software Used	:	Ouriginal (Formerly URKUND)
10. Date of Verification	:	01.12.2023

Heela 22.12.23

Signature of Ouriginal Coordinator
(Librarian, Central Library)
P.K.University, Shivpuri (M.P.)

LIBRARIAN
P.K. University
Shivpuri (M.P.)

ADD: VIL: THANRA, TEHSIL: KARERA, NH-27, DIST: SHIVPURI (M.P.) -473665
MOB: 7241115902, Email: library.pku@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

प्राक्कथन

आज भारतीय महिलाएं अपने साहस, कौशल पराक्रम एवं हौसले का लोहा मनवाते हुए नित्य नये कीर्तिमान स्थापित तो कर ही रही है। उधर पुरूष समाज को कलंकित करने वाले सरफिरे नारी स्मिता की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं रखना चाह रहे हैं। एक ओर हमारे ही देश में अभी तक यही निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि यौन शोषण, शारीरिक शोषण एवं मानसिक शोषण की परिभाषाएं क्या हो। हमारे देश के न्यायालयों की ओर से यही सुना जा रहा है कि पुरूषों के किस सीमा को यौन शोषण शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण माना जाए। वैसे तो नीतिशास्त्र के लोगों के अनुसार यदि मन में किसी तरह के पाप का विचार आना ही पाप किये जाने के समान होता है। पश्चिमी देशों में लोग अपने बच्चों को शारीरिक स्पर्श को गुड़ टच एवं बैड टच के रूप में अलग–अलग तरीकों से शिक्षित करते हैं। महिलाओं में पर्दा एवं घूघट प्रथा के पीछे का भी कड़वा सच यही है कि औरत गैर पुरूषों की कुदृष्टि से बची रहे हर जगह पुरूष को पूरी छूट एवं स्वतंत्रता है जबकि महिलाओं को ही सारे परदें, घूघट एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करने जरूरी बताये गये है।

अफसोस दुःख इस कदर है कि भारत सहित पूरी दुनिया की महिलाएं जहां इतिहास में अपनी शौर्यगाथा दर्ज करा रही है वहीं हम नारी स्मिता को सम्मान देने के कीर्तिमान स्थापित करने के बजाएं अब तक यौन शोषण के शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण के नित्य नये तर्क एवं परिभाषाएं गढ़ने में व्यस्त है।

वैदिक काल से ही महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त हैं लेकिन कुछ समय तक हमारे समाज में महिलाओं को सामाजिक और संवैधानिक समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। बड़े–बड़े मंचों पर हमेशा से महिलाओं को समान अधिकार देने की बात हो ही रही है लेकिन उनके हक को पुरूष प्रधान समाज मान लेते हैं

Scanned with OKEN Scanner

और न्यायालय भी सही समय पर न्याय नहीं दिला पाते हैं। महिलाओं के साथ न्याय तभी होगा जब उनके हक को कोई मार न ले, महिलाओं को रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त किया गया है। और हम कह सकते हैं कि महिलाएँ किसी रूप में पुरूषों की तुलना में कम काबिल नहीं है, इसलिए हमारे पुरूष प्रधान समाज एवं न्याय व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि लिंगभेद नहीं हो। किसी महापुरूष ने कहा है कि समाज की प्रगति तभी संगम है जब वहां की महिलाएं सशक्त होगी, इस अमल करते हुए हम सभी को महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलती होंगी।

महिला होने का अर्थ है धैर्यवान होना, किसी हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं होना है, और सबसे बड़ी चीज महिला होना का मतलब है। प्रेम से भरा होना जो आज महिलाएं इस मामले में पुरूषों से पूरी तरह अलहदा है।

महिला और पुरूष से किसी तरह का मुकाबला नहीं है। महिलाएं अपनी जगह है और पुरूष अपनी जगह इनमें तो सिर्फ फर्क इतना ही है कि इनमें से ना कोई बेहतर है, ना कोई कमतर है। उनका अलग होना ही उनकी खूबसूरती है। ऐसे में महिलाओं को अपनी खूबियों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने पर फोकस करना चाहिए। ऐसे में न केवल महिलाओं के घरेलू श्रम को सम्मान दे बल्कि उनकी आर्थिक कीमत समझने के पहलू पर भी यह निर्णय विचारणीय होना चाहिए।

आजादी के आन्दोलन में जो महिलाएं घरों से निकलकर सड़कों पर आई थीं उनमें से अधिकांश वापस, उसी पुरूष–प्रधान समाज व्यवस्था के अन्तर्गत अधीनस्थ की भूमिका में, अपने–अपने घरों में सिमट गई। पुरूष–प्रधान समाज व्यवस्था उसी तरह बरकरार रही जैसे ब्रिटिशकाल में और आगे से थी। इस व्यवस्था में पुरूष परिवार का मुखिया है तथा महिलाएं उसके उपभोग की वस्तु, जिससे अपना वंश चलाने के लिए वह वारिस पाता है। पुरूषसत्ता में सबसे जरूरी है महिलाओं के शरीर व मन को काबू में रखना, उन पर अपना वर्चस्व बनाए

Scanned with OKEN Scanner

रखना। सामाजीकरण की प्रक्रिया बचपन से ही लड़कों को सिखाती है कि उन्हें महिलाओं को काबू में रखना है (चाहे मारपीट करके या मानसिक प्रताड़ना देकर) और लड़कियों को सिखाती है कि परिवार के सभी निर्णय पुरूष ही लेगे तथा महिलाओं को उनके आदेशों–निर्देशों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करना है। बच्चे, सम्पत्ति, नाम, पहचान और महिला सब पर पुरूषों का हक, जो आजादी मिलने से पहले से था, वह वैसे ही कायम रहा। पुरूष प्रधान समाज व्यवस्था को खत्म करने की पहल उस समय की नवगठित सरकार ने नहीं की और न ही किसी राजनैतिक दल ने इस मुद्दे को उठाया। तब से लेकर आज तक केन्द्र व राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारें आती–जाती रहीं पर पुरूष सत्ता को खत्म करके उसकी जगह महिला–पुरूष की बराबरी की बात यदा–कदा ही उठाई गई। पति परमेश्वर और पत्नी उसके चरणों की दासी ही बनी रही। देश के संविधान ने महिला–पुरूष दोनों को नागरिक होने के नाते बराबरी का दर्जा दिया लेकिन वह कागजों तक ही सीमित रहा। इस गैर–बराबरी के रिश्ते के कारण महिलाओं पर होने वाली हिंसा की घटनाएं इस हद तक बढ़ी कि उनकी खबरें घरों से निकलकर बाहर आने लगीं, तब महिला आन्दोलन के दबाव के कारण सरकार ने समय–समय पर कुछ कानून व प्रावधान बनाए। बाल विवाह, सती प्रथा, बालिका भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाए लेकिन समस्याएं खत्म होने की जगह और बढ़ गई। चूंकि पुरूषवादी सोच बरकरार है और उसके रहते महिलाएं सती होती रहेगी, वंश के चिराग, बेटों की चाहत में भ्रूण हत्याएं होती रहेगी। बार–बार यह सिद्ध हो चुका है कि सिर्फ कानून बना देने मात्र से महिलाओं की स्थितियां नहीं बदलेंगी क्योंकि पुरूषवादी सोच न्याय व्यवस्था व सरकार दोनों पर हावी है और शासकवर्ग जानता है कि इससे पितृसत्ता को कोई खतरा नहीं है। इस तरह सरकार ने महिलाओं को खुश करके अपना वोट बैंक सुरक्षित कर लिया वरना क्या कारण है कि आज तक लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका हैं।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राफों की सूची

ग्राफ क्रमांक	ग्राफों का विवरण	पेज सं.
1 (अ)	ज्ञान के आधार पर विभाजन	110
2 (अ)	पति एवं पत्नी के मध्य विवाद का स्तर	111
3 (अ)	महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न	112
4 (अ)	मादक द्रव्य व्यसन ही घरेलू हिंसा का कारण है	113
5 (अ)	अतिरिक्त विवाहेत्तर सम्बन्ध घरेलू हिंसा का कारण है	114
6 (अ)	घरेलू हिंसा का कारण आर्थिक संकट है	115
7 (अ)	दहेज घरेलू हिंसा का कारण है	116
8 (अ)	बेमेल विवाह घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है	117
9 (अ)	परिवार के सदस्य का हस्तक्षेप घरेलू हिंसा का कारण है	118
10 (अ)	पत्नी की शिक्षा का स्तर भी घरेलू हिंसा का कारण है	119
11 (अ)	स्त्रियों की स्वतन्त्रता	120
12 (अ)	महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता	121
13 (अ)	महिलाओं में जागरूकता घरेलू हिंसा को कम कर सकती है	122
14 (अ)	महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण घरेलू हिंसा को घटा सकता है	123
15 (अ)	समाज की मनोवृत्ति करके घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है	124
16 (अ)	समाज की मनोवृत्ति करके घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है	125
17 (अ)	प्रेम विवाह घरेलू हिंसा की रोकथाम में सहायक है	126
18 (अ)	घरेलू हिंसा की रोकथाम में सरकारी प्रयास सहायक सिद्ध हो सकते है	127

Scanned with OKEN Scanner

तालिकाओं की सूची

तालिका क्रमांक	तालिका विवरण	पेज सं.
1.	उत्तरदाताओं में घरेलू हिंसा के प्रति जानकारी का स्तर प्रदर्शन	110
2.	पति एवं पत्नी के मध्य विवाद के स्तर का प्रदर्शन	111
3.	महिलाओं के मानसिक शोषण का प्रदर्शन	112
4.	मादक द्रव्य व्यसन को घरेलू हिंसा का कारक मानने वाले तत्व	113
5.	अतिरिक्त विवाहेत्तर सम्बन्धों का पाया जाना भी घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है	114
6.	घरेलू हिंसा का कारण आर्थिक संकट है	115
7.	दहेज घरेलू हिंसा का कारण है	116
8.	यह प्रदर्शित करना कि बेमेल विवाह घरेलू हिंसा को प्रोत्साहित करता है	117
9.	यह प्रदर्शन कि परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप घरेलू हिंसा का बढ़ावा देना है	118
10.	यह प्रदर्शन कि पत्नी का ज्यादा शिक्षित होना भी घरेलू हिंसा का कारण	119
11.	महिलाओं की स्वतन्त्रता का प्रदर्शन	120
12.	महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता का प्रदर्शन	121
13.	इस तथ्य का प्रदर्शन कि महिलाओं में जागरूकता घरेलू हिंसा को कम कर सकती है	122
14.	इस तथ्य का प्रदर्शन कि आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को कम कर सकती है	123
15.	समाज की मनोवृत्ति परिवर्तित करके घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है	124
16.	महिलाओं में उच्च शिक्षा घरेलू हिंसा की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगा	125
17.	प्रेम विवाह के द्वारा घरेलू हिंसा की रोकथाम	126
18.	सरकारी प्रयासों द्वारा घरेलू हिंसा की रोकथाम संभव है	127

Scanned with OKEN Scanner

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पेज सं.
प्रथम	**प्रस्तावना**	**01–37**
1.1	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	
1.2	घरेलू हिंसा के सामाजिक आयाम	
1.3	महिला हिंसा के मामले में बिहार की स्थिति	
द्वितीय	**अध्ययन पद्धति**	**38–64**
2.1	अध्ययन का उद्देश्य	
2.2	परिकल्पना	
2.3	शोध प्ररचना	
2.4	समग्र का अध्ययन	
2.5	प्रकृति एवं विषय क्षेत्र	
2.6	अध्ययन पद्धति	
2.6.1	अनुसूची	
2.6.2	साक्षात्कार	
2.6.3	निरीक्षण	
2.7	आंकड़ों के स्रोत	
2.8	आंकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण	
2.9	अध्ययन के दौरान उत्पन्न समस्याएं/निष्कर्ष	
तृतीय	**अध्ययन क्षेत्र में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन**	**65–109**
3.1	महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा	
3.2	महिला हिंसा प्रकरण में की गई कार्यवाही सम्बन्धी विपरीत प्रतिक्रिया एवं घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण	

Scanned with OKEN Scanner

3.3	विभिन्न कालों में महिलाओं की बदलती प्रस्थिति	
3.3.1	वैदिक काल	
3.3.2	उत्तर वैदिक युग	
3.3.3	मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की स्थिति	
3.3.4	ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति	
3.4	घरेलू हिंसा के व्यापक प्रभाव	
3.5	घरेलू हिंसा के प्रकार	
3.6	घरेलू हिंसा के शिकार	
3.7	महिलाओं का उत्पीड़न	
3.8	हिंसा की प्रकृति, विस्तार और विशेषताएं एवं लोकोक्तियाँ	
3.9	घरेलू हिंसा से होता है कुपोषण	
3.10	भारत में स्त्रियों की आत्महत्या के मुख्य कारण (वर्ष 2020–21)	
3.11	बिहार में शराबबन्दी पर सर्वे रिपोर्ट : एक नजर	
3.12	कोरोना संक्रमण के कारण घरेलू हिंसा पर प्रभाव	
3.13	घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के विभिन्न प्रतिक्रियाएं	
3.13.1	न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब का प्रभाव	
3.13.2	पुलिस सम्बन्धी कार्यवाही प्रतिक्रिया	
चतुर्थ	**घरेलू हिंसा के प्रकार**	**110–116**
	तालिका क्रमांक : 1 उत्तरदाताओं में घरेलू हिंसा के प्रति जानकारी का स्तर प्रदर्शन	
	तालिका क्रमांक : 2 पति एवं पत्नी के मध्य विवाद के स्तर का प्रदर्शन	
	तालिका क्रमांक : 3 महिलाओं के मानसिक शोषण का प्रदर्शन	
	तालिका क्रमांक : 4 मादक द्रव्य व्यसन को घरेलू हिंसा का	

Scanned with OKEN Scanner

	कारक मानने वाले तत्व **तालिका क्रमांक : 5** अतिरिक्त विवाहेत्तर सम्बन्धों का पाया जाना भी घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है **तालिका क्रमांक : 6** घरेलू हिंसा का कारण आर्थिक संकट है **तालिका क्रमांक : 7** दहेज घरेलू हिंसा का कारण है	
पंचम	**घरेलू हिंसा के उत्तरदायी कारण**	**117–121**
	तालिका क्रमांक : 8 यह प्रदर्शित करना कि बेमेल विवाह घरेलू हिंसा को प्रोत्साहित करता है **तालिका क्रमांक : 9** यह प्रदर्शन कि परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप घरेलू हिंसा का बढ़ावा देना है **तालिका क्रमांक : 10** यह प्रदर्शन कि पत्नी का ज्यादा शिक्षित होना भी घरेलू हिंसा का कारण **तालिका क्रमांक : 11** महिलाओं की स्वतन्त्रता का प्रदर्शन **तालिका क्रमांक : 12** महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता का प्रदर्शन	
छः	**पारिवारिक दशाएँ जो घरेलू हिंसा की कारक है**	**122–127**
	तालिका क्रमांक : 13 इस तथ्य का प्रदर्शन कि महिलाओं में जागरूकता घरेलू हिंसा को कम कर सकती है **तालिका क्रमांक : 14** इस तथ्य का प्रदर्शन कि आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को कम कर सकती है **तालिका क्रमांक : 15** समाज की मनोवृत्ति परिवर्तित करके घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है **तालिका क्रमांक : 16** महिलाओं में उच्च शिक्षा घरेलू हिंसा की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगा **तालिका क्रमांक : 17** प्रेम विवाह के द्वारा घरेलू हिंसा की रोकथाम	

Scanned with OKEN Scanner

	तालिका क्रमांक : 18 सरकारी प्रयासों द्वारा घरेलू हिंसा की रोकथाम संभव है	
सात	**घरेलू हिंसा के निदान हेतु सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास**	**128–141**
7.1	घरेलू हिंसा को कम करने का प्रयास	
7.2	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005	
7.3	महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका	
7.4	महिला सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी	
7.5	घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सुविधाओं में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका	
7.6	विभिन्न थानों में सुधार हेतु प्रयास	
7.7	भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के उपाय	
आठ	**निष्कर्ष एवं सुझाव**	**142–160**
8.1	निष्कर्ष	
8.2	सुझाव	
--	**उपसंहार**	**161**
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	**162–165**
	अनुसूची	**166–169**

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय-एक

प्रस्तावना

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम अध्याय

भूमिका

1.1 भूमिका

भारतीय महिलाएँ दिन–प्रतिदिन अपने कौशल एवं साहस का परिचय दे रही है। कभी आंतरिक्ष में भारतीय ध्वज लहराकर कभी विश्व के सबसे लंबे खतरनाक वायु मार्ग पर विभाग उड़ाकर कभी मुद्धक विमान की कलाबाजियी खिलाकर यानी जटिल क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपने अदम्य साहस, हौसले एवं सूझ–बूझ का परिचय दिया है। परन्तु दुर्भाग्यवश महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार एवं हत्याओं की खबरों ने मन को उद्वेलित कर रहा है। परन्तु हमारे देश के अति दूषित मानसिकता रखने वाले कलंकी लोगों का एक कुरूपित चैहरा हैं जो नारी का शोषण करता है। देश में अनेकानेक ऐसे भी घटनाएं हो चुकी हैं जिसको लेकर महिलाएं जब अपनी शिकायत दर्ज करने पुलिस चौकी या थाने पहुँचती है तो उस समय पीड़ित महिला से इस तरह से इतने सवाल किये जाते है जो कि सारा दोष पीड़ित महिला का ही हो। इससे भी बड़ी त्रासदी और पुरुषों की ज्यादती की शिकार नहीं महिला अपने साथ होने वाली घटना के बाद बुरी एवं अपमान जनक नजरों से देखी जाती है। जैसे अपने साथ हुई ज्यादती की जिम्मेदार पुरूष नहीं बल्कि वह स्वयं है।

आज भारतीय महिलाएं अपने साहस, कौशल पराक्रम एवं हौसले का लोहा मनवाते हुए नित्य नये कीर्तिमान स्थापित तो कर ही रही है। उधर पुरूष समाज को कलंकित करने वाले सरफिरे नारी स्मिता की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं रखना चाह रहे हो एक ओर हमारे ही देश में अभी तक यही निस्तारण नहीं हो पा रहा है कि यौन शोषण, शारीरिक शोषण एवं मानसिक शोषण की परिभाषाएं क्या हो। हमारे देश के न्यायालयों की ओर से यही सुना

जा रहा है कि पुरूषों के किस सीमा को यौन शोषण शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण माना जाए। वैसे तो नीतिशास्त्र के लोगों के अनुसार यदि मन में किसी तरह के पाप का विचार आना ही पाप किये जाने के समान होता है। पश्चिमी देशों में लोग अपने बच्चों को शारीरिक स्पर्श को गुड़ टच एवं बैड टच के रूप में अलग–अलग तरीकों से शिक्षित करते हैं। महिलाओं में पर्दा एवं घूघट प्रथा के पीछे का भी कड़वा सच यही है कि औरत गैर पुरूषों की कुदृष्टि से बची रहे हर जगह पुरूष को पूरी छूट एवं स्वतंत्रता है जबकि महिलाओं को ही सारे परदें, घूघट एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करने जरूरी बताये गये है।

अफसोस दुःख इस कदर है कि भारत सहित पूरी दुनिया की महिलाएं जहां इतिहास में अपनी शौर्यगाथा दर्ज करा रही है वहीं हम नारी स्मिता को सम्मान देने के कीर्तिमान स्थापित करने के बजाएं अब तक यौन शोषण के शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण के नित्य नये तर्क एवं परिभाषाएं गढ़ने में व्यस्त है।

वैदिक काल से ही महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त हैं लेकिन कुछ समय तक हमारे समाज में महिलाओं को सामाजिक और संवैधानिक समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। बड़े–बड़े मंत्रों पर हमेशा से महिलाओं को समान अधिकार देने की बात हो ही रही है लेकिन उनके हक को पुरूष प्रधान समाज मान लेते हैं और न्यायालय भी सही समय पर न्याय नहीं दिला पाते हैं। महिलाओं के साथ न्याय तभी होगा जब उनके हक को कोई मान न ले, महिलाओं को रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त किया गया है। और हम कह सकते हैं कि महिलाएँ किसी रूप में पुरूषों की तुलना में कम काबिल नहीं है, इसलिए हमारे पुरूष प्रधान समाज एवं न्याय व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि लिंगभेद नहीं हो। किसी महापुरूष ने कहा है कि समाज की प्रगति तभी संगम

है जब वहां की महिलाएं सशक्त होगी, इस अमल करते हुए हम सभी को महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलती होंगी।

महिला होने का अर्थ है धैर्यवान होना, किसी हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं होना है, और सबसे बड़ी चीज महिला होना का मतलब है। प्रेम से भरा होना जो आज महिलाएं इस मामले में पुरूषों से पूरी तरह अलहदा है।

महिला और पुरूष से किसी तरह का मुकाबला नहीं है। महिलाएं अपनी जगह है और पुरूष अपनी जगह इनमें को सिर्फ फर्क इतना ही है कि इनमें से ना कोई बेहतर है, ना कोई कमतर है। उनका अलग होना ही उनकी खूबसूरती है। ऐसे में महिलाओं को अपनी खूबियों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने पर फोकस करना चाहिए। ऐसे में न केवल महिलाओं के घरेलू श्रम को सम्मान के बल्कि उनकी आर्थिक कीमत समझने के पहलू पर भी यह निर्णय विचारणीय होना चाहिए।

हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद कहते हैं कि जिस देश में स्त्रियों का सम्मान नही होता, उस राष्ट्र का चरित्र कलंकित होता है और वह पतन को प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए। मनु ने भी **'यंत्र नार्यस्तु प्रज्यंते रमंते तंत्र देवताः'** लिखा है। भारतीय संस्कृति में स्त्री–पुरूष का उद्‌भव सहअस्तित्व के साथ स्वीकार किया गया है। शास्त्रों ने स्त्री को शक्ति स्वरूप माना है। स्वयं को अग्नि की ज्वालाओं में झोंककर भी भारतीय स्त्री राष्ट्रीय स्वाभिमान और जागरण की कहानी लिखती रही है। चाहे वह रानी पद्‌मिनी का युग रहा हो या फिर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का आजाद भारत के संविधान में स्त्री को वे सभी अधिकार दिए गए, जो पुरूषों को प्राप्त है। मध्य काल में स्त्रियों के साथ हुई मर्यादा हनन की अनेकानेक घटनाओं ने उन्हें घर की चारदीवारी में कैद किया और वे अपने मूलमूढ़ अधिकारों से वंचित हो ही गई। स्वाभाविक रूप से समाज में बहुत पिछड़ती भी चली गई। शिक्षा से वंचित नारी बाल विवाह, सती

प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों का शिकार हुई। भारत में उसे पुनः सशक्त बनाने और खोए अधिकारों को वापस दिलाने की संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, परन्तु ध्यान से देखने पर नतीजा वही के हीन पाते ही नजर आते हैं।

दरअसल बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों से नारी मुक्त हो हुई, परन्तु उसकी शिक्षा, आर्थिक निर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता अब भी हासिल नहीं दिख रही थी। हिंसा और शोषण की कहानियाँ भी पिछले लगभग कई दशकों जैसी ही दिखाई देती। इस सूरते हाल में स्त्री की नींद उड़ जानी स्वाभाविक ही थी। स्त्री अवारू होकर संविधान वाली सशक्त स्त्री को देख रही थी। दोनों एक दूसरे से प्रायः अपरिचित ही थी। एक निरीहसी अपने अधिकारों की कमजोर सी लड़ाई लड़ती हो संविधान वाली एक सशक्त आत्मनिर्भर नारी अपने पूरे दसक के साथ समाज की स्त्री को अपनी ओर लुभाती। ऐसे में भरोसा खत्मसा हो रहा था, स्त्री का पुरूष समाज से। इस भरोसा का खत्म होना ही काफी है पूरी धरती के चिंतित होने के लिए। संविधान में नारी के प्रति की गई हिंसा के लिए त्वरित और कड़ी कार्रवाई का विधान है, पर उत्पीड़ित नारी को न्याय के लिए या हो दर–दर भटकना पड़ता था या फिर वह अपने जीवन से हाथ धो बैठती थी। भटकती स्त्री या मृतप्राय जीवन जी रही स्त्री गाँव–गाँव, शहर–शहर में दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश में इस स्थिति को बदलने का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेतृत्व की बागड़ोर जब अपने हाथ में ले ली हो पहला ही कदम स्त्रीयों की सुरक्षा का उठाया। महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्होंने मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ किया। प्रदेश के 1535 स्थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। जहाँ पर नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी को कोई भी उत्पीड़ित नारी अपनी व्यथा नि'संकोच बढ़ा सकती है। इसके ब्यानदार नतीजे भी दिखने लगे है। 21वीं सदी के इस कालखं डमें स्त्रियों को वास्तव में सूक्ष्म और सशक्त बनाने का कार्य तेजी से प्रारंभ हुआ है।

अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम (पुरूष रिश्तेदार) के हज पर जाने की सुविधा दी गई। इतना ही नहीं विगत कुछ दशकों से लव जिहाद की घटनाओं में स्त्रियों के प्रतिक्रूरता की पराकाष्ठा देखकर स्त्रियां अपने ही समाज से सहम सी गई थी। पुरूषों के प्रति अविश्वास और सरकारों पर उनका भरोसा खत्म हो रहा था। विवाह के नाम पर लड़कियों के साथ छलपूर्वक आचरण और शारीरिक हिंसा ने स्त्रियों के विश्वास को रौंदा। पहले प्रेम का छल और विवाह फिर धर्मावरण के नाम पर बर्बर हत्याओं ने सभ्य समाज को हिलाकर रख दिया और लोग सोचने पर विवश हुए कि यह धर्म का कौन सा चेहरा है। क्या हम सभ्य कहलाने के वाकई अधिकारी है ? भारत के कई राज्यों में इस मुद्दों को लेकर मचे घमसान ने साधु–संतों, नेताओं और सामान्य जनता का भी ध्यान अपनी ओर खींचा और इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए कठोर कानून बनाने की राज्य सरकारों से मांग की गई और सभी सरकारों ने इन घटनाओं का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया और कड़े कानून बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के साथ समाज का हर व्यक्ति है, क्योंकि स्त्री सुरक्षा के लिए यह एक सार्थक पहल में भी है। हालांकि कुछ लोगों को इस सार्थक पहल में भी कमियां दिखाई दी। जैसा कि हर अच्छे कार्य को थोड़ा बहुत विरोध होता ही है, इस पहल के साथ भी वही हुआ। कानून बनने से बर्बर हिंसा या आर्थिक उन्माद का शिकार बनने से सुरक्षित हुई है। स्त्री राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी स्त्रियों के सशक्तीकरण के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए है। केन्द्र सरकार की मातृ वंदना योजनायें देश में लगभग 23 लाख माताएं लाभान्वित हुई है। हर अपराधी का स्थान जेल में निश्चित हुआ है। यह कहने में संकोच नहीं है कि धार्मिक आजादी, आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी सभी को है, परन्तु प्रेम करने की आड़ में या प्रलोभन देकर शोषण करना निंदनीय अपराध होना ही चाहिए। स्त्री अपने पुराने उज्जवल और सूक्ष्म स्वरूप को अब त्वरित गति से प्राप्त कर रही है। किसी शासन काल में स्त्रियां स्वयं को सुरक्षित और सशक्त समझो। यह इस

सत्ता की सफलता है। भाव परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। अपनी अस्मिता की पहचान करने लगी है।

बीते दिनों चीन में तलाक के मामले में छात्रा एक फैसला काफी चर्चित हुआ। इस निर्णय को सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि शादी के बाद महिला ने पति के घर में 5 साल काम किया है, इसलिए उसे 5 लाख रूपये का मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत का एक शख्स को उसकी पत्नी द्वारा किए गए घरेलू काम के बदले मुआवजा देने का यह आदेश ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। यही बजह है कि सोशल मीड़िया से लेकर असल दुनिया तक, यह अदालती निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। फैसले के बाद वहां घर के कामों के मेहनहाने को लेकर बहस छिड़ गई है। लाजिम भी है क्योंकि यह कहीं–न–कहीं दुनिया के हर देश, हर समाज और हर परिवार से जुड़ा संवेदनशील विषय है।

दरअसल घर की जिम्मेदारियों के निर्वहन में लगी महिलाओं की श्रमशील भूमिका की अनदेखी दुनिया के हर हिस्से में कायम है। घर के भीतर और बाहर बहुत कुछ बदल जाने के बावजूद अपने ही घर में आधी आबादी के श्रम का भाव करने की व्यावहारिक सोच तो नदारद है ही उसकी अपेक्षा भी बदसूर जारी है, जबकि घर के सारे बोझ अधिकतर महिलाओं के हिस्से ही होता है। इस मामले में भी अदालत में महिला ने साफ कहा है कि 5 साल तक चली शादी में वही बच्चे की देखभाल करती थी। घर का सारा काम भी उसे ही संभालना पड़ता था। परिवार ने पति ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। न अपने बच्चों को संभाला और न घर के किसी काम में मदद् की। इसलिए महिलाओं ने मुआवजे के तौर पर 17 लाख रू0 की मांग की है। गोरेतलब है कि मुख्यतः मंतव्य और घर के दूसरे कामों से जुड़ी महिलाओं के यह भागमभाग अक्सर उपेक्षित ही रह जाती है। इसका कोई आर्थिक मोल भी नहीं आंका जाता। जबकि कुछ ही समय पहले अमेरिका में हुए एक अध्ययन में

सामने आया है कि माँ का काम किसी नौकरी में किए जाने वाले काम के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा होता है। एक माँ बच्चे की देखभाल में 18 घंटे प्रति सप्ताह काम करती है। अध्ययन के नतीजों के मुताबिक बच्चे को पालना किसी पूर्ण कालिक नौकरी से कम नहीं है। 40 फीसदी माँ अपनी जिंदगी में कभी न खत्म होने वाले कामों की फेहरिस्त के दबाव में गुजारती है। विचारणीय है कि सुविधा सम्पन्न माने जाने वाले देशों में भी महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर काफी दबाव में झेलती है। ऐसे में भारत के सामाजिक–पारिवारिक खर्चें में ही उनकी मुश्किले कहीं ज्यादा है। व्यापक रूप से देखा जाए तो स्त्री की कर कारणी सी दिखती है। यह भूमिका असाधारण कर्जा और समर्पण मांगती है। बावजूद इसके अनगिनत जिम्मेदारी निभाने वाली गृहणी की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। शिक्षा के बढ़ते आँकड़े और जीवन से जुड़े हर पहलू पर आई जागरूकता के बाद भी हमारे परिवार में उनके प्रति अनदेखी भरा व्यवहार साधारण सी बात माना जाता है। मनोविज्ञान के रूप में देखा जाए तो सब कुछ संभालने में जुटी घरेलू महिलाओं के श्रम और सहभागिता की अनदेखी उनको मन में हीनता को भी जन्म देती है। अकेलापन अवसाद और भावनात्मक टूटन आती है। अपेक्षाओं और अपेक्षाओं से उपजी शारीरिक और मानसिक परेशानियां निराशा के भंवर में फंसा देती है। अकेलापन, अवसाद, हीनता बोध और उपेक्षा का भाव उनकी सहज सी दिखती जिंदगी को असहज बना देता है। एनसीआरटी के अनुसार साल 2019 में आत्महत्या के मामले में सर्वाधिक खुदकुशी करने वालों में दिहाड़ी मजदूरों के बाद गृहणियों के आँकड़े है जिनके मुताबिक देश में 23.4 प्रतिशत मजदूर और 15.4 प्रतिशत गृहणियों ने खुदकुशी की है।

ऐसे आँकड़े चिंतनीय है, क्योंकि अधिकतर परिवारों में महिलाएं घर के कामकाज ऐसे कर बच्चों के पालन पोषण तक अकेली ही जुझ रही है। कुछ समय पहले 'मॉक्स हैप्पीनेस इंडेक्स' में 15 फीसद माताओं ने कहा था ि कवे बच्चों की परवरिश में पिता का और ज्यादा सहयोग चाहती है। तकलीफ देह

है कि कमोबेश दुनिया के हर हिस्से में महिलाओं के घरेलू काम का मोल नहीं समझा जाता। अब चीन में आए दिन इस फैसले में न्यायालय ने गौर करने वाली बात कही है। बेंच के प्रमुख न्यायाधीश ने कहा कि 'शादी टूटने के बाद दंपति की जायदाद का विभाजन करते समय अचल संपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है। घरेलू काम ऐसी संपत्ति है जिसका भी मूल्य होता है। तो ऐसी स्थिति में न केवल महिलाओं के घरेलू श्रम को सम्मान देने बल्कि उसकी आर्थिक कीमत समझने के पहलू पर भी यह निर्णय विचारणीय है। भारत के संदर्भ में भी इस फैसले को देखने की जरूरत है, जिससे घरेलू हिंसा उत्पन्न होता है।

दुनिया के अन्य देशों के समान रूस में भी लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। पीड़ित महिलाओं से आई शिकायत दो गुना–तीन गुना तक बढ़ी है। 120 से अधिक देशों ने कोविड़–19 संकट के समय हिंसा की शिकार महिलाओं को राहत देने की सेवाओं को मजबूत बनाया है। रूस इस मामले में अपवाद है। पिछले साल अपेक्षा में सरकार ने इंकार कर दिया था कि देश में घरेलू हिंसा की समस्या है।

सरकार की निष्क्रियता देखते हुए महिलाओं इस समस्याओं से निपटने के लिए अन्य संगठन भी बनाएं है। ऐसे ही एक ग्रुप अन्ना की डायरेक्टर मारिना पार्कर कहती है, कि हिंसा को जब चक्र शुरू होता है तो जरूरी नहीं कि वह महामारी शांत होने पर रूक जाए। पार्कर एव ंनाश्ली की अन्ना रिविना सहित कई एक्टिविस्ट के सहयोग से मास्को की एडवरटाइजिंग एजेंसी रूस 485 ने गेम 116 नामक वीड़ियों गेम बनाया है। ये यूजर के सामने घरेलू हिंसा की घटनाएं पेश करके उस स्थिति में उनके होने पर उससे निपटने के विकल्प चुनने के लिए कहता है।

अन्ना के हालमेल से रूस और पूर्व सोवियत गणराज्यों में 150 महिला ग्रुप घरेलू हिंसा के खिलाफ सक्रिय है। अन्ना और नाशलू प्रताड़ना की शिकार

महिलाओं को मुफ्त कानूनी व मानसिक सलाह देती है। लेकिन उन्हें सरकार और रूसी ऑर्थोडिक्स चर्च के विरोध का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रपति प्लादीमीर पुतिन के कार्यकाल में चर्च का प्रभाव बहुत बढ़ा है। 2019 में घरेलू हिंसा पर जेल भेजने का विधेयक पेश किया गया था। रूस के 180 ऑर्थोडिक्स और अनुदारवादी समूहों ने पुतिन को एक पत्र लिखकर विधेयक रोकने की मांग की थी। चर्च ने उसे परिवार विरोधी बताया था। यह विधेयक कानून नहीं बन सका। सरकार ने घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ने वालों गुटों को देशद्रोही करार दिया। उसका कहना है विदेशी मदद पाने वाले और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय संगठन स्वयं को विदेशी एजेंट घोषित करें। महामारी के बीच सरकारी विरोध को देखते हुए अन्ना ने 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है। प्रताड़ित महिलाओं और बच्चों को होटल में ठहराने और खाना पहुंचाने का इंतजाम भी किया जाता है।

रूस में 20 प्रतिशत महिलाओं को अपने पार्टनर के हाथों प्रताड़ना झेलना पड़ी है। अनुमान है कि देश में हर साल घरेलू हिंसा में 14 हजार महिलाओं की मौत होती है। 55 देशों ने घरेलू हिंसा को अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाए गये है। प्रायः कोई ऐसा कानून नहीं है।

लेकिन रूस में ऐसा कोई कानून नहीं है। 74 प्रतिशत इतनी रूसी महिलाएं घरेलू हिंसा के गंभीर समस्या मानती है। ऐसा मानने वाले पुरूष केवल 45 प्रतिशत है।

हम यह कह सकते है कि पिछले कुछ समय से घरेलू हिंसा खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। ये मात्र दो बजहों से एक किसी मुद्दे को परिवार वाले से संयुक्त रूप से राय और विमर्श पर धारना या रास्ता उनकी रोकने के लिए परिवार को आगे ज जाम करने के लिए परिवार को आगे आना, दूसरा या फीर किसी प्रेमी जोड़े को सजा सुनने के लिए हमारे समाज में परिवार और मर्दों की शान उनकी मूंछों से शुरू होकर महिलाओं पर खत्म होती है। तो

जब–जब वे मूंछों पर ताव देते हैं तब–तब महिलाओं की मुंडी घुमाकर कस देते हैं कि वे ज्यादा न बोले और औकात में रहे।

अगर महिला उनकी धुनकर नृत्य नहीं कर पाई, उनकी जायज–नाजायज हर बातें आंख मूंदकर स्वीकार नहीं कर पाई हो उनका होना या न होना बेकार। कर दो खत्म। इस गुंडागर्दी को इलाज थोड़ी है। हम जब महिलाओं की प्रताड़ना की बात करते हैं तो हर जगह हमारी सभ्यता उसको छिपा लेती है और हम सीता–सावित्री के देश की गाथा गाने लगते हैं। सारे मुर्ख परिवार और समाज याद करो सीता ने स्वयंवर से राम को चुना था। राधा कृष्ण के साथ रासलीला करती थी। पार्वती ने शिव को पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी।

हमारी संस्कृति और समाज का यह भी एक अभिन्न अंग है पर हमारा समाज भूलकर भी इसकी चर्चा नहीं करता क्योंकि यह समाज और परिवार के हित में नहीं है। महिला दबी–ढकी रहेगी तो बोलेगी नहीं और पितृसत्तात्मक समाज का वर्चस्व हो जाएगा और सम्पत्ति सता और प्रभुत्व पुरूष के पास बरकरार रहेगा।

वस्तुतः जब भी संस्कृति का चर्चा होती है, तो उसका विश्लेषण भी होना चाहिए कि हमारा इतिहास जो दरशा रहा है। उसके वास्तविक निष्कर्ष क्या होगा न कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं या लोगों को कैसे दिखाना चाहते हैं या हमारे समाज धर्म के नेता टाइप लोग संस्कृति को कैसे दिखाना चाहते हैं।

मैं मानता हूँ कि जीवन में समय की कमी हो सकती है। समस्याएं भी हो सकती है लेकिन फिर भी अपनी परिवार की उपेक्षा न करें। अगर आपका परिवार अस्त व्यस्त है तो फिर आपका जीवन किसी काम का नहीं। लड़कियों को चाहिए कि वे बचपन से ही झूठी शान से दूर रहे। दिखावा, आडंबर और स्वयं को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाने से आज तक न कोई महान बना है और न ही

कभी बनेगा। आज तक का रिकॉर्ड है कि दुनिया में जिन महिलाओं ने नाम कमाया है वे झूठी शान में कभी नहीं पड़ी। उनकी सोच और विचार जितने बड़े थे जीवन उतना ही साधारण रहा है। झूठी शान हमेशा परेशानियां पैदा करती है तथा लक्ष्य से दूर ले जाती है।

अहंकार से दुनिया का कोई रिश्ता नहीं चलता। जहां रिश्तों में अहंकार आया, वहीं रिश्ता ध्वस्त होने लगता है। खत्म हो जाता है। माना कि आप ने जन्म दिया उनमें बड़े हैं रिश्ते में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो इसमें अहंकार की क्या बात है। आप यह क्यों चाहते हैं कि दूसरे आपके कदमों में झुकें आपकी हर बात माने, आप जो कहें, वही ठीक हो। इस तरह दादागिरी चल सकती है, बाँसगिरी चल सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं चल सकते। डर से, भय से, ताकत से, जोर जबरदस्ती से या फिर मजबूरी से अगर कोई रिश्ता चलता है, तो आवेश में मान सकता है, लेकिन आपसे प्यार और इज्जत नहीं कर सकता। बहुत समय पहले एक कविता की लाइनें पढ़े थे, जिनका अर्थ था, 'मेरा घर स्वर्ग में है। यह संसार एक रास्ता है। मेरे सभी रिश्तेदार और मित्र मेरे सहभागी है। जब तक सफर रहेगा, वे साथ रहेगें फिर जब हमारे में से ही कोई अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तो सभी पीछे छूट जायेगें।'

सभी का असली द्वार कहीं और है। संसार में जब तक हम हैं, एक यात्रा की तरह है। कोई अपना सफर जल्दी पूरा करके घर पहुंच जाएगा तो कोई देर से। सफर सभी का खत्म होना है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपने असली घर में पहुंचेगें तो यात्रा के कैसे अनुभव लेकर पहुंचेगे ? क्या घर पहुंचकर हम पाएंगे कि सारा सफर लड़ते–झगड़ते ही कट गया ? हम दूसरों से छीनते रहे, किसी को कुछ नहीं दिया ? अपनी ताकत से दूसरों को परेशान करते रहे, शोषित करते रहे। इसलिए न किसी से प्यार मिला और न ही सम्मान। इस सच्चाई को समझ जाएंगे तो अहंकार दूर हो जाएगा और कोई समस्या ही नहीं रहेगी।

दूसरी तरफ आजादी के आन्दोलन में सभी जातियों, धर्मों एवं वर्गों की महिलाओं–पुरूषों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को टक्कर दी। इस आन्दोलन में महिलाओं का शामिल होना ही महिला आन्दोलन की शुरूआत कही जा सकती है। उस समय घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर तथा पारिवारिक भूमिका के अलावा राजनैतिक मुद्दे से जुड़ना भारी बदलाव की बात थी। **'वाणी मजूमदार'** के अनुसार, **''गाँधीजी ने महिला मुद्दों को समर्थन दिलवाया।''** आजादी के इस आन्दोलन के साथ–साथ कुछ समाज सुधारकों के नेतृत्व में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर भी आन्दोलन हुए। भारत के महिला आन्दोलन में इन सुधारवादी आन्दोलनों का अपना महत्व है जिसे कम करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनमें कहीं भी महिला–पुरूष के बीच सामाजिक दर्जे की गैर–बराबरी की बात नहीं उठी। ब्रिटिश राज के खिलाफ लम्बे संघर्ष तथा अनगिनत शहादतों के फलस्वरूप देश आजाद हुआ और अपना संविधान बनाया गय जिसमें बगैर किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये गये।

आजादी के आन्दोलन में जो महिलाएं घरों से निकलकर सड़कों पर आई थीं उनमें से अधिकांश वापस, उसी पुरूष–प्रधान समाज व्यवस्था के अन्तर्गत अधीनस्थ की भूमिका में, अपने–अपने घरों में सिमट गई। पुरूष–प्रधान समाज व्यवस्था उसी तरह बरकरार रही जैसे ब्रिटिशकाल में और आगे से थी। इस व्यवस्था में पुरूष परिवार का मुखिया है तथा महिलाएं उसके उपभोग की वस्तु, जिससे अपना वंश चलाने के लिए वह वारिस पाता है। पुरूषसत्ता में सबसे जरूरी है महिलाओं के शरीर व मन को काबू में रखना, उन पर अपना वर्चस्व बनाए रखना। सामाजीकरण की प्रक्रिया बचपन से ही लड़कों को सिखाती है कि उन्हें महिलाओं को काबू में रखना है (चाहे मारपीट करके या मानसिक प्रताड़ना देकर) और लड़कियों को सिखाती है कि परिवार के सभी निर्णय पुरूष ही लेगे तथा महिलाओं को उनके आदेशों–निर्देशों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करना है। बच्चे, सम्पत्ति, नाम, पहचान और महिला सब पर

पुरूषों का हक, जो आजादी मिलने से पहले से था, वह वैसे ही कायम रहा। पुरूष प्रधान समाज व्यवस्था को खत्म करने की पहल उस समय की नवगठित सरकार ने नहीं की और न ही किसी राजनैतिक दल ने इस मुद्दे को उठाया। तब से लेकर आज तक केन्द्र व राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारें आती–जाती रहीं पर पुरूष सत्ता को खत्म करके उसकी जगह महिला–पुरूष की बराबरी की बात यदा–कदा ही उठाई गई। पति परमेश्वर और पत्नी उसके चरणों की दासी ही बनी रही। देश के संविधान ने महिला–पुरूष दोनों को नागरिक होने के नाते बराबरी का दर्जा दिया लेकिन वह कागजों तक ही सीमित रहा। इस गैर–बराबरी के रिश्ते के कारण महिलाओं पर होने वाली हिंसा की घटनाएं इस हद तक बढ़ी कि उनकी खबरें घरों से निकलकर बाहर आने लगीं, तब महिला आन्दोलन के दबाव के कारण सरकार ने समय–समय पर कुछ कानून व प्रावधान बनाए। बाल विवाह, सती प्रथा, बालिका भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाए लेकिन समस्याएं खत्म होने की जगह और बढ़ गई। चूंकि पुरूषवादी सोच बरकरार है और उसके रहते महिलाएं सती होती रहेगी, वंश के चिराग, बेटों की चाहत में भ्रूण हत्याएं होती रहेगी। बार–बार यह सिद्ध हो चुका है कि सिर्फ कानून बना देने मात्र से महिलाओं की स्थितियां नहीं बदलेगी क्योंकि पुरूषवादी सोच न्याय व्यवस्था व सरकार दोनों पर हावी है और शासकवर्ग जानता है कि इससे पितृसत्ता को कोई खतरा नहीं है। इस तरह सरकार ने महिलाओं को खुश करके अपना वोट बैंक सुरक्षित कर लिया वरना क्या कारण है कि आज तक लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय कानून में सन् 1983 में आई0पी0सी0 की धारा 498 (क) के माध्यम से पहली बार घरेलू हिंसा को मान्यता मिली जो कि पति व उसके परिवार द्वारा हिंसा के लिए है तथा आई0पी0सी0 धारा 304 (ख) दहेज हत्या

के लिए है ये दोनों धाराएं शादीशुदा महिलाओं तथा उनके ससुराल में होने वाली हिंसा तक ही सीमित थीं। इन हालात के मद्देनजर लॉयर्स कलेक्टिव ने सन् 1992 में 'घरेलू हिंसा से (रोकथाम) विधेयक' का पहला प्रारूप राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सन् 1994 में इस विधेयक का दूसरा प्रारूप तैयार किया। लॉयर्स कलेक्टिव ने घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए दीवानी कानून की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान (सितम्बर 1999 से सन् 2002) चलाया। 8 मार्च 2002 को लोकसभा में 'घरेलू हिंसा से बचाव' प्रस्ताव पेश हुआ, जो महिलाओं की किसी भी जरूरत पर पूरा नहीं उतरता था। इसलिए देश भर की महिलाओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध के कारण 28 अगस्त 2002 में इसकी समीक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया। 12 दिसम्बर 2002 को इस समिति ने अपनी 124वीं रिपोर्ट लोकसभा व राज्यसभा को पेश की। समिति ने महिला संगठनों की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया लेकिन घरेलू हिंसा की परिभाषा को लेकर रिपोर्ट खामोश थी। 8 मार्च 2003 को 'एक्शन इण्डिया' ने प्रस्तावित दीवानी कानून की मांग के हक में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। 5 फरवरी 2004 को लोकसभा भंग हो गई। जून 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने घरेलू हिंसा विधेयक को अपने साक्षा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया। उसी समय कुछ महिला संगठनों ने मिलकर 'वूमन पावर कनेक्ट' नाम से एक समूह का गठन किया। 9 जून 2004 को इस समूह के कोर ग्रुप के कुछ सदस्य सोनिया गांधी से मिले। 26 जून 2004 को लॉयर्स कलेक्टिव ने घरेलू हिंसा विधेयक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया तथा 6 सदस्यों के एक प्रतिनिधि समूह ने मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात की।

लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, ''घरेलू हिंसा का मतलब ऐसी कोई हरकत या व्यवहार जो नुकसान या चोट पहुंचाता हो या पहुंचाने का खतरा हो या स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतरी के लिए नुकसानदेह,

चाहे वो पीड़ित के लिए हो या किसी बच्चे के लिए जो पारिवारिक रिश्तों में आता आती हो। इसमें शारीरिक दुर्व्यवहार, यौनिक दुर्व्यवहार, मौखिक और मानसिक दुर्व्व्यवहार के साथ–साथ आर्थिक दुर्व्यवहार भी शामिल हैं।

इस तरह, सन् 1992 में घरेलू हिंसा से रोकथाम (विधेयक) की जो मांग शुरू हुई, उसको शिथिल करते हुए 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005' पारित होने तक रोकथाम की अवधारणा की जगह संरक्षण की अवधारणा ने ले ली।

परिभाषा– 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005' में घरेलू हिंसा को इस तरह परिभाषित किया गया है–

1. ऐसा किसी भी तरह का व्यवहार जिसमें पीड़ित महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन तथा अन्य सुख से रहने की इच्छा का हनन होता हो या ऐसा व्यवहार जो घरेलू महिला को शारीरिक या मानसिक दुःख देता हो इसमें मारपीट, भावनात्मक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना और नाजायज शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश, गाली–गलौज करना या ताने देना आदि शामिल है।
2. कोई इस प्रकार की प्रताड़ना या हिंसा जिसमें किसी महिला को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वह किसी तरह की अनुचित मांग या दहेज की पूर्ति करे।
3. उपर्युक्त वर्णित प्रकार का व्यवहार, महिला के किसी अन्य रिश्तेदार के विरुद्ध इस उद्देश्य से कि घरेलू महिला पर उसका दबाव पड़े अथवा किसी अन्य प्रकार की प्रताड़ना जिससे महिला को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो। शारीरिक प्रताड़ना में उसके स्वास्थ्य को नष्ट करने की चेष्टा, मारपीट, डराना–धमकाना तथा हर तरह की यौन प्रताड़ना या अपमान जो महिला की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो, वह भी शामिल है।

4. मौखिक और भावनात्मक प्रताड़ना में, उसको अपमानित करना, गाली देना या इसका उलाहना देना कि उसे पुत्र–पुत्री या संतान नहीं हुई, भी शामिल है। इस तरह की प्रताड़ना उसके किसी रिश्तेदार के विरुद्ध करना भी इसमें शामिल किया गया है।

5. आर्थिक प्रताड़ना में शामिल है कि किसी प्रकार की ऐसी कार्यवाही जिसमें महिला के लिए उपजीविका के साधन कम कर दिये जाएं या रोक दिए जाएं। उसके स्वयं के कपड़े–लत्ते, जेवर, बैंक में जमा राशि या अन्य सम्पत्ति से उसे बेदखल या वंचित किया जाए या रहने के लिए आवश्यक साधनों या सुविधाओं से वंचित किया जाए।

अधिनियम में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्दों के शब्दार्थ पीड़ित व्यक्ति

वे सभी महिलाएं जो किसी गृह (घर) में रिश्तेदारी के सम्बन्धों के कारण रह रही हो और जिनके विरुद्ध किसी तरह की कोई हिंसा उस पर में हुई हो।

घरेलू संबंध या रिश्तेदारी

कोई व्यक्ति जो आपसी रिश्तेदारी के कारण किसी घर में साथ रह रहा हो या उन्हें गोद लिया गया हो या जो किसी संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में निवास कर रहे हों, सभी शामिल है।

सम्मिलित परिवार का गृह– यह एक ऐसा घर या उसका भाग है जहां पीड़ित व्यक्ति और दोषी व्यक्ति अपने घरेलू सम्बन्धों के कारण साथ–साथ निवास कर रहे हो या इससे आशय ऐसे सम्मिलित घर या रहवास से है जिसमें महिला को उसके निर्वाधन निवास का अधिकार है भले ही उस घर में उसका कोई स्वामित्व या मालिकाना हक हो अथवा न हो।

संरक्षण अधिकारी– पीड़ित महिला के लिए अधिनियम में कई व्यवस्थाएं अधिकारियों व न्यायालयों के माध्यम से दी गई हैं, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है शासन द्वारा संरक्षक अधिकारी की नियुक्ति ।

शिकायत कहां और कैसे ?

पीड़ित महिला खुद, उसके रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन पत्र लगाना होगा जिसमें बताना होगा कि उन्हें क्या मदद चाहिए। जैसे–गुजारा भत्ता, घर में रहने का अधिकार, मारपीट से मुक्ति, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति का मुआवजा, बच्चों की सुरक्षा, उसकी जायदाद की सुरक्षा तथा अन्य के सभी सुरक्षाएं जो किसी भी घरेलू महिला के लिए जरूरी है।

सुरक्षा की गारंटी

1. महिला उसी घर में रहेगी जहाँ वह पहले से रहती है। हिंसा करने वाले को उस घर में न घुसने का आदेश भी दिया जा सकता है।
2. यदि घर में जगह नहीं है तो किराए का घर दिलवाने का और उसका किराया भरने की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की होगी।
3. सम्बन्धित इलाके के पुलिस थाने को यह निर्देश दिए जायेंगे कि वह महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
4. हिंसा करने वाले से बाण्ड भी भरवाया जायेगा ताकि वह उस महिला पर घर या बाहर कहीं भी हिंसा न कर सकें।

आर्थिक राहत

1. मजिस्ट्रेट हिंसा करने वाले को निर्देशित कर सकते हैं कि महिला को जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करे।
2. इतना गुजारा भत्ता मिले कि महिला व बच्चे सम्मान के साथ जी सकें। गुजारा भत्ता हर महीने या एक मुश्त भी तय हो सकता है।
3. संरक्षण के आवेदन पत्र पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट बच्चों की कस्टडी का आदेश भी दे सकते हैं।

न्याय किस तरह मिलेगा (नियमावली)

1. महिला के बयानों से केस का फैसला होगा। महिला जहाँ रहती है, उसी क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकती है।
2. कोर्ट जो आदेश देगा उसकी कापी की कोई फीस नहीं लगेगी। यह कापी पुलिस व सेवा देने वाली संस्थाओं को भी मुफ्त दी जायेगी।
3. यदि मजिस्ट्रेट को पहली नजर में लगे कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो वे अंतरिम व एक तरफा फैसला दे सकते हैं।
4. यदि महिला का कोई नुकसान हुआ है, उसे चोट आयी है तो मुआवजे का आदेश भी दिया जा सकता है।

सजा–

यह एक दीवानी कानून है इसलिए इसमें सजा नहीं हो सकती लेकिन,

1. हिंसा करने वाला यदि कोर्ट का आदेश न माने तो यह एक संज्ञेय व गैर जमानती अपराध है। इसके लिए उसे एक साल तक का कारावास या बीस हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों द्वारा दण्डित किया जा सकता है।
2. सबूतों के आधार पर मजिस्ट्रेट धारा 498 (क) या दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत भी आरोप तय कर सकते हैं।

आपातकालीन मामले

यदि संरक्षण अधिकारी या किसी सेवा प्रदाता को ई–मेल या किसी टेलीफोन काल या उसी रूप में व्यधित व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसके पास यह विश्वास किए जाने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कृत्य हो रहा है या होने की संभावना है और ऐसी किसी आपात्कालीन स्थिति में यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता तत्काल पुलिस की सहायता मांगेगा, जो यथास्थिति, संरक्षण अधिकारी

या सेवा प्रदाता के साथ घटना स्थल पर जायेगी और घरेलू घटना की रिपोर्ट को अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के अधीन समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए उसे अविलंब मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।

अन्य–

1. परोक्ष रूप से पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन यदि दोषी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता है तो फिर उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही होगी।
2. मजिस्ट्रेट के पास शिकायत पहुंचने के 03 दिन के अन्तर्गत ही प्रथम कार्यवाही कर ली जाएगी तथा 60 दिन में फैसला कर दिया जाएगा।
3. दोषी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ एक महीने के अन्दर सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है।
4. यदि पीड़ित महिला को जान का खतरा है तो वह मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत देकर दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार भी करा सकती है।
5. संरक्षण अधिकारी पीड़ित महिला व मजिस्ट्रेट के बीच कड़ी का काम करता है, उसको फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। फैसला केवल मजिस्ट्रेट ही सुना सकता है।
6. पीड़ित महिला की इच्छानुसार मजिस्ट्रेट निम्न आदेश दे सकता है–
    1. सुरक्षा आदेश
    2. क्षतिपूर्ति मुआवजा
    3. निवास के आदेश
    4. डाक्टरी सुविधा
    5. बच्चों की सुरक्षा व बच्चों के साथ रहने का आदेश तथा
    6. परामर्श विधिक सहायता ।

1.2 घरेलू हिंसा (Domestic Violence)

भारतीय समाज में पारिवारिक समस्याओं के अन्तर्गत घरेलू हिंसा की समस्या वर्तमान युग को एक प्रमुख समस्या है। घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है जिसके कारण परिवार में नारियों को सुरक्षा देने की जगह न केवल उसका तिरस्कार किया जाता है बल्कि अमानवीय ढंग से नारी को अपमानित और शोषित करके उसे अपने अस्तित्व को भूल जाने के लिए भी बाध्य किया जाता है।

उपरोक्त स्थिति वर्तमान का चित्र है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है। आज शनैः–शनैः महिलाओं को पुरुषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माना जाने लगा है परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके हिंसा उत्पीड़न में काफी योगदान दिया हैं। इनमें से कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव, महिलाओं की धीरे–धीरे बढ़ती हुई आर्थिक सुरक्षा के बावजूद असंख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार है उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलत्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। निम्न स्तर का होना महिला जीवन में महिला अत्याचार को बढ़ाने का तथ्य सभी राज्यों में दृष्टिगोचर होता है। महिला स्वयं के विरुद्ध अत्याचार पर इन स्थानों में जाना उचित नहीं समझती। अतः महिलाओं में जागरूकता लाना आवश्यक है। एम0एम0 लावानिया में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को निम्न रूप में वर्गीकृत किया है–

1. पारिवारिक हिंसा जैसे पत्नी को पीटना, विधवा वृद्ध महिला अत्याचार आदि।
2. दहेज हत्याएँ जैसे वधु दहन
3. सामाजिक हिंसा जैसे – भ्रूण हत्या, महिला के साथ छेड़छाड़ आदि ।

राम अहूजा ने भी महिला के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो निम्न हैं–

1. अपराधिक हिंसा जैसे बलत्कार, अपहरण, हत्या।
2. घरेलू हिंसा जैसे दहेज सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुरव्यवहार, विधवाओं और वृद्ध महिलाओं के साथ दुरव्यवहार।
3. सामाजिक हिंसा जैसे– पत्नी, पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिंसा देने से इंकार करना, अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्रवधु को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना।

पारिवारिक हिंसा– अधिकतर महिलाएँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतियों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। इन्हें शारीरिक यातनाएँ दी जाती है। पुलिस अन्वेषण में यह तथ्य सामने आता है कि ज्यादातर महिलाएं पति द्वारा पीटी जाती है। उनके साथ गाली–गलौच किया जाता है। इन मामलों में परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, मित्रों द्वारा पति–पत्नी का निजी घरेलू मामला मानते हुए आँख बन्द कर ली जाती है। पारिवारिक हिंसा के विभिन्न स्वरुप निम्न हैं–

शारीरिक उत्पीड़न–परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों या नातेदारों द्वारा महिला को शारीरिक क्षति पहुँचाना, शारीरिक उत्पीड़न है। निम्न क्रियाओं द्वारा महिला को शारीरिक क्षति पहुँचाई जाती है–

1. तमाचे मारना, लात मारना।
2. दीवार से सिर टकराना।

3. बाल पकड़कर सिर टकराना।

4. लाठी, डंडों से पीटना।

5. चाकू, खंजर एवं अन्य धारदार वस्तुओं से प्रहार।

उपरोक्त क्रियाओं से महिला को आघात, फैक्चर, चोटें, रक्त स्राव, गर्भपात एवं विकलांगता आती है।

दहेज उत्पीड़न– दहेज न पाने, कम पाने के कारण अथवा पत्नी की मृत्यु के पश्चात् पुनः विवाह करके पुनः दहेज की लालच में वधुओं को शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता है। जिसमें विशेष रुप से बहु को जलाने की घटना आये दिन, समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती है। बधुओं महिलाओं की जलाने से मौत हो जाती है किन्तु यदि वह बच जाती है तो उसका शेष जीवन नरक के समान हो जाता है। इसके अतिरिक्त दहेज न पाने के कारण बहु को मारना, पीटना, कमरे में बन्द रखना, भूखा रखना आदि तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है।

मानसिक उत्पीड़न– दहेज को लेकर या ठीक ढंग से भोजन न बना पाने के कारण या परिवार के सदस्यों की सही से सेवा न कर पाने आदि। कारणों से पारिवारिक सदस्य महिला को मानसिक रुप से प्रताड़ित करते हैं। बहुयें दहेज न मिल पाने या कम पाने के कारण भी महिलाओं को परिवार के अधिकांश सदस्य मानसिक रुप से प्रताड़ित करते हैं। जिसमें महिला के मानसिक स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़त है। महिला में विकृतियाँ जन्म लेने लगती है। फलस्वरूप कभी–कभी तो महिलाएं आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। मानसिक उत्पीड़न में निम्न तरीकों से महिला को उत्पीड़ित किया जाता है।

1. अपमानजनक गाली–गलौच करना।

2. ताने मारना।

3. उपेक्षा करना।

4. नीचा दिखाना, बेवजह बात का बतगंड बनाना।

5. प्रत्येक चीज में कमी निकालना।

6. महिला से बोलचाल बन्द कर देना।

7. महिला के मायके वालों को कोसना।

8. प्रत्येक मौके पर अपमान करना आदि।

विधवाओं के विरुद्ध हिंसा– हमारे भारतीय समाज में प्राचीनकाल से लेकर अभी तक विधवा शब्द एक गाली की तरह प्रयुक्त होता आ रहा है। विधवा होना अपने आप में एक अपराध है। हमारे भारतीय समाज में शायद इसी सिद्धान्त को अपनाये हुए है। हालांकि स्थिति में परिवर्तन है प्राचीनकाल में जहाँ विधवा को देखना भी सुहागिनों के लिए अपराध था। वहीं आज विधवायें सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकायें अदा कर रही है। परन्तु विधवा महिला विधवा में विधवा का कलंक तो लग ही जाता है। सब विधवाएं एक प्रकार की समस्याओं का सामना करती है। एक विधवा ऐसी हो सकती है जिसके कोई बच्चा न हो और जो अपने विवाह के एक या दो वर्षों में ही विधवा हो गई हो या वह ऐसी हो सकती है जो 5 से 10 वर्ष के पश्चात विधवा हुई हो और उसके 1 या 2 बच्चे पालने के लिए हो, या ऐसी हो जो 50 वर्ष की आयु से अधिक हो। यद्यपि इन तीनों श्रेणियों की विधवाओं को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली और तीसरी श्रेणियों की विधवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि दूसरी श्रेणी की विधवाओं को अपने बच्चों के लिए पिता की भूमिका भी अदा करनी पड़ती है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न सार्वकालिक और सर्वत्र रहा है, हिंसा की प्रकृति जरूर भिन्न–भिन्न हो सकती है।

भारत में घरेलू हिंसा की समस्या को कुछ करने वाले राज्यों से जा सकता है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के वर्तमान आँकड़ों के अनुसार स्पष्ट होता है कि प्रत्येक दिन 20 स्त्रियों की दहेज के कारण हत्या होती है लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय परिवार ऐसे है जिनमें विभिन्न रूप में स्त्रियों के विरुद्ध हिंसक घटनाएँ होती रहती है। स्त्रियों के विरुद्ध वाली घरेलू हिंसा में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश सबसे आगे रहने वाले राज्य है। कानून बन जाने के बाद भी दहेज के कारण होने वाली हिंसा की घटनाएँ लगातार बढ़ रही है। नगरों और महानगरों में लियों के साथ छेड़छाड़ और अभद्र प्रदर्शन के कारण उनका घर से निकलना कठिन हो गया है, दो परिवार के बीच होने वाले विवाद का परिणाम में पत्नी, बहिन या बेटी को विभिन्न तरह के अपमानों से भुगतना पड़ता है। ऐसे परिवारों को संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है जहाँ अनैतिक ढंग से स्त्रियों का उपयोग करके उन्हें अपमानित जीवन व्यतीत पर मजबूर किया जा रहा है।

मानवीय इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाओं की वृद्धि वस्तुतः चिन्ता का विषय है। आए दिन समाचार–पत्रों तथा टेलीविजन चैनलों पर महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों के समाचार पढने एवं सुनने को मिलते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब इस प्रकार के समाचार न मिलें। यह समाज वैज्ञानिकों, नीति–निर्धारकों, समाज सुधारकों व अन्य सभी के लिए एक गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। यह स्त्री नहीं है, क्योंकि महिला को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरुषों ने महिला को तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा की है, उसका अपमान व शोषण किया है तथा अपने उद्‌देश्यों के साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है।

संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार भी दिया हुआ है फिर भी वास्तविकता यह है कि महिलाएँ लगातार दोयम दर्जे की नागरिक बनती जा रही है। उसके अपने घर परिवार द्वारा उस पर तरह–तरह की पाबंदिया

लगाई जाती रही है। अपने बारे में खुद निर्णय लेने के हक को कुचला जाता रहा है। उन पर तरह–तरह से हिंसा हो रही है। घर हो या बाहर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है।

महिलाओं के प्रति वास्तविक हिंसा उनकी सामाजिक–आर्थिक गतिविधि पर अंकुश लगाती है। राजस्थान वह प्रदेश है जहां सामन्तवाद की परम्परा रही है। महिलाओं को घुघट में बंद रखा गया है। उनकी जल्दी शादी करने का प्रचलन रहा है। लड़कियों के पैदा होने को स्वागत योग्य नहीं माना गया। उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी गई। उन पर होने वाली हिंसा को अपने चरित्र या दोष से जोड़कर देखा गया। इसीलिए घरेलू हिंसा की समस्या में कोई महत्व नहीं दिया गया। महिलाएं अगर घर में होने वाली को बाहर कहती है तो वह घर एवं समाज में बदनाम होती है। उसे चुप रहने की शिक्षा दी जाती है। हिंसा को सहन करने की शिक्षा दी जाती है। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को अच्छे निगाहों से नहीं देखा जाता है। महिला यह समझती है कि कहीं उसकी ही गलती है। इस हिंसा को व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ नहीं पाती है।

महिला विकास के जितने भी राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय मापदण्ड है। उनकी दृष्टि से राजस्थान की महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। शिक्षा का प्रतिशत कम है। गर्भवती माताओं की मौत ज्यादा होती है। बालिका शिशुओं की मृत्यु ज्यादा होती है। बालिकाओं की स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भ्रूण हत्या एवं बालिका वधु जैसी परम्पराएं रही है। वे सर्वाधिक अधिक कुपोषण की शिकार है।

यदि हम दहेज हत्या, दहेज मृत्यु, उत्पीड़न आँकड़ों को देखे तो आँकड़े से ज्यादा है, हिंसा का प्रतिशत, क्योंकि ज्यादातर घरेलू हिंसा के मामले पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं या पुलिस केस ही दर्ज ही नहीं करती। गांव, समुदाय, पंचायत स्तर पर नितांत पुरूष प्रधान माहौल और न जारी से इस हिंसा से

निबटने का प्रयास होता है। शहर में घर की इज्जत चली जाएगी, परिवार टूट जाएगा या बदनामी होगी इस कारण अधिकांश मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते है। महिलाएं या हो परेशान होकर अलग रहने लग जाती है या चुपचाप हिंसा को सहती रहती है।

सीड़ो (CEDUIA) के पत्र में साफ लिखा है कि घरेलू हिंसा का होना ही इस बात का सबूत है कि स्त्री व पुरूष बराबर नहीं है। औरत के अस्तित्व एवं स्वतंत्रता पर यह सीधा हमला है। उसके नागरिक एवं इन्सानी अधिकार पर हमला है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हर सरकार यह वादा कर चुकी है कि वह महिलाओं पर हिंसा को रोकेगी पर अब तक कोई ठोस उपाय नहीं हुए है।

घरेलू हिंसा रोकने के लिए घर में रहने वाली स्त्री–पुरूषों के सोच वे क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह शुरूआत शिक्षा व जन–चेतना के कार्यों से ही संभव है। यानि घरों में शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए अध्यापक, विद्यार्थी जन संगठन, बुद्धिजीवी प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका आदि सभी को आगे आना होगा। एक साथ बैठकर रणनीति तय करनी होगी, कभी घर की चाहरदीवारी में घटित हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा।

देश विदेशों में महिला आन्दोलन ने भी इस दिशा में छिटपुट प्रयास किए है। इस आन्दोलन से एक माहौल बना है। इस आन्दोलन का असर यह हुआ कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कई कानून में बदलाव हुआ। कई नई संस्थाएँ बनी और कुछ नीतियों में परिवर्तन आया। घरेलू हिंसा को लेकर भारतीय दण्ड संहिता में विभिन्न दण्ड 304 .... महत्वपूर्ण धाराएं जुड़ी दहेज निषेध अधिनियम में बदलाव आए। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मजबूत दीवानी कानून भी संसद में विचाराधीन है।

नई संस्थाएँ जैसी– पारिवारिक न्यायालय, महिला थाने, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, जिला स्तर की महिला सहायता समीतियाँ, अल्पावास

गृह, परिवार परामर्श केन्द्र भी अस्तित्व में आएं है। कुछ नीतियाँ भी बनी है, जैसे महिला नीति, पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का कानून जिससे महिला सशक्तीकरण बढ़े और महिला हिंसा को रोका जा सके।

इन सब बातों का क्या प्रभाव हो रहा है और महिलाओं को हिंसा से कितनी राहत मिल रही है, यह एक विचारणीय विषय है। हमारे छात्र–छात्राओं की जागरूकता के लिए प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों को एक सकारात्मक मोड़ कैसे दिया जा सकता है। घरों में लड़को एवं लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को कैसे दूर किया जा सके।

घरेलू हिंसा को अभी तक सिर्फ आपराधिक कानून के दायरे में देखते रहे हैं। उससे महिला को ज्यादा मदद नहीं मिली या तो उसका घर टूटा और वह सड़क पर आ गई या बच्चे पर प्रभाव पड़ा। इससे कई बार महिलाओं को हिंसा झेलना ज्यादा टिक लड़ा। हिंसा का विरोध का उनके लिए मतलब था सीधा सड़क पर आ जाना। कानून पुलिस एवं न्यायालय इस दिशा में उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए।

घरेलू हिंसा न केवल पुरुषों द्वारा होती है बल्कि महिलाओं के द्वारा भी होती है। कहने का मतलब इतना है कि कमजोर पर किया गया कोई भी प्रहार चाहे वो बोलकर या शारीरिक नुकसान पहुँचाकर हो वे स्त्री द्वारा हो या पुरुष द्वारा वे घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला एवं बच्चे को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े। इन सभी को घरेलू हिंसा में शामिल किया जाता है।

दुनिया में अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा कोई देश सम्मान देता है तो वे भारत है। क्योंकि हमारा भारत परम्पराओं और संस्कृतियों का देश है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा

जाता है। लेकिन फिर भी भारत में क्यों महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन–व दिन बढ़ते ही जा रहे है। उनके साथ न सिर्फ घर के बाहर बल्कि घर के अन्दर भी घरेलू हिंसा के अपराध हो रहे हैं। आये दिन हम दैनिक समाचार में देखते हैं कि एक घर में दहेज के कारण महिलाओं को मार दिया गया।

परन्तु महिलाओं के साथ–साथ पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार है। इसके बारे में भी दैनिक समाचार के माध्यम से देखने और सुनने को मिलता है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने सम्पत्ति को लेकर अपने बेटे को ही मार दिया या सम्पत्ति के खातिर अपने आपको जान दे दिया लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा ज्यादातर महिलाओं में ही ज्यादा है। जैसे में **स्त्रियों के प्रति मारपीट,** घर परिवार में ही महिलायें सुरक्षित नही है। अक्सर छोटी–छोटी बातों पर उन्हें मारपीट का शिकार होना पड़ता है। विशेषतः मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय परिवारों में महिलाओं से अधिक मारपीट होती है। 20 से 45 वर्ष तक की महिलाएं अधिकतर मारपीट की शिकार हो जाती है।

परिभाषा– राज्य महिला आयोग के अनुसार, कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूषों द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से पीड़ित है। तो वह घरेलू हिंसा का शिकार कहलायेगी। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता के अधिकार प्रदान करता है।

पुलिस विभाग के अनुसार, ''घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट प्रमुख है।''

1.3 घरेलू हिंसा के सामाजिक आयाम

स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा एक आम घटना है। विशेषकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे अल्प विकसित देशों में। यह पश्चिम के विकसित देशों में भी पाया जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत कम। स्त्री–पुरूष की शारीरिक

बनावट के बीच भारी अन्तर है, जिसकी बजह से स्त्रियों के लिए समस्याएं उत्पन्न होती है। पहले स्त्री–शिशु–हत्या का प्रचलन था पर आज स्त्री–भ्रूण–हत्या एक आम बात है और यह ज्यादातर पढ़े–लिखे नगरीय लोगों के बीच में हो रहा है। मातृ–मृत्यु–दर (एक लाख जन्म में कितनी मातृ–मृत्यु–दर है) भारत में अधिक है। सबसे ज्यादा उड़ीसा में यह संख्या 738 है तथा सबसे निम्न केरल में जहाँ यह संख्या 87 है।

मातृ–मृत्यु–दर उड़ीसा में ऊँची इसलिए है क्योंकि यहाँ जनजातियाँ 29. 1 प्रतिशत हैं, जो अभी भी स्थानीय पद्धतियों को अपनाती है और अनुसूचित जातियाँ 16 प्रतिशत हैं जो विभिन्न स्थानीय पद्धतियों को अपनाते हैं जबकि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक भ्रष्टाचार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 124 है। पूरे भारत में 453 है। भारत के ग्राम अंचलों में 40% माताओं की मृत्यु गर्भावस्था में रक्तस्राव या एनीमिया से होती है (रिपोर्ट–गोपालन 2000)। इस प्रकार हर स्तर पर नारी के लिए परेशानियाँ पायी जाती हैं।

'संयुक्त राष्ट्र संघ विशिष्ट रिपोर्ट 1995' में राधिका कुमार स्वामी ने नारियों के प्रति हिंसा के प्रकार का निम्नलिखित वर्णन किया है–

1. **परिवार में शारीरिक यौन सम्बन्धी एवं मानसिक हिंसा–** इसमें पत्नी को मारना–पीटना एवं कन्या सन्तानों के प्रति दुराचार करना, दहेज सम्बन्धी, हिंसा, महिला का बलात्कार आदि, नारी के यौनांग को काट देना और अन्य प्रकार की हिंसा।
2. **समुदाय में शारीरिक यौन सम्बन्ध एवं मानसिक हिंसा–** बलात्कार, दुराचार, कार्य–क्षेत्र में परेशान करना, छेड़खानी करना, वैश्यावृत्ति की बातें करना आदि।
3. राज्य या प्राधिकार के द्वारा नारियों के शारीरिक यौन सम्बन्धी एवं मानसिक हिंसा को माफ करना या अनदेखी करना।

4. कुमार स्वामी ने कहा नारियों के लिए हिंसा कई वजह से होती है– क्योंकि वह नारी है इसलिए बलात्कार होता है। यौनांग काट दिये जाते हैं। महिला शिशु की हत्या की जाती है। नारी की यौनता से सम्बन्धित और उसकी सामाजिक संस्तरण में भूमिका नगण्य है। उनको (नारियों को) पुरुष के साथ सम्बन्ध की वजह से घरेलू हिंसा, सती, हत्या आदि का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर नारी को सम्पत्ति के रूप में लिया जाता है। इसलिए उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण पिता, पति या पुत्र के द्वारा किया जाता है।

5. नारियों को वंश या जाति या वर्ग हिंसा अथवा समुदाय दंगा के समय सामूहिक बलात्कार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ताकि उसकी जाति के समुदाय भी प्रताड़ित हो सकें।

नारी पुरुष की सम्पत्ति है। वह उसे जैसा चाहे इस्तेमाल करे। एक भारतीय विवाहिता नारी ने अपने आस–पास, अपने रिश्तेदारों तथा अन्य सहेलियों के परिवारों में जो घरेलू नारी की स्थिति देखी, समझी और जानी, उसमें पाया कि वास्तव में घरेलू नारी को वह सम्मान नहीं प्राप्त हो सका हैं, जिसकी वह अधिकारिणी है। सम्भव है कि इस निजी विचार से कई लोगों की असहमति हो इसीलिये मैंने भारतीय नारी, विशेषकर घरेलू भारतीय नारी की समस्याओं पर यथासम्भव अध्ययन करने का निर्णय लिया।

विश्वास है कि यह अध्ययन, जो काफी हद तक वैज्ञानिक रूप से किया गया है, घरेलू नारियों की स्थिति को समझने में अहम् भूमिका निभायेगा।

यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं कि भारत में गायों एवं नारियों को एक जैसा सम्मान दिया जाता है। यद्यपि इस कथन से कुछ लोग इत्तेफाक रखते हैं तो कुछ इसके घोर विरोधी भी हैं। हिन्दू धर्मानुयायी गोमांस खाने से परहेज तो करते हैं, किन्तु गायों को खुले में चरने के लिए या गलियों में घूमने

के लिए छोड़ देते हैं। नारी की पूजा भी भारत में शक्ति या दुर्गा के रूप में होती है, किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से पुरुष नारी को सम्मान नहीं दे पाता।

अपने अध्ययन से मुझे निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि कई परिवारों में जब पहली कन्या का जन्म होता है तो उसका नाम देवी के नाम पर, यथा दुर्गा, अम्बा आदि रखा जाता है किन्तु जब दूसरी कन्या का जन्म होता है तो परिवार द्वारा आदशों की लगभग तिलांजलि दे दी जाती है। नारी यदि घर में गृहिणी के रूप में रहती है तब भी वह काफी काम करती है और जब वह कामकाजी होकर बाहर जाती है तो उसे लगभग दोहरा कार्य करना पड़ता है। घरेलू नारी को घर का पूरा काम करना पड़ता है तब भी उसे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

कार्य कोई भी हो, प्रत्येक के साथ समस्या जुड़ी होती है, जीवन है तो तनाव भी है। या यूँ कहें कि जीवन तनाव है और तनाव जीवन है। समस्या का सामना प्रत्येक को करना पड़ता है, चाहे वह पुरुष हो या नारी हो। नारी चाहे वह कामकाजी, स्वव्यवसायी या गृहिणी ही क्यों न हो पर पुरुषों की तुलना में अधिक परिशान होती है जिसमें अधिकांश घरेलू नारी की स्थिति विकट होती है। उसे घर की हिंसा का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक संगठन में स्त्रियों की स्थिति आज की दशा का परिचायक है। जिस समाज में स्त्रियों की दशा जितनी गिरी हुई होगी वह समाज उतना ही अवनत माना जायेगा। समाज सामाजिक सम्बन्धों का ताना–बाना है। इन अत्याचार, कार्यालयों तथा घर में दैहिक, मानसिक उत्पीड़न महिला की स्थिति व उसकी समस्याओं को प्रदर्शित करते हैं।

संवैधानिक अधिकार मिलने के बावजूद व्यवहारिक तौर पर वे स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा तथा रोजगार इन सभी क्षेत्रों में पक्षपात की शिकार मानी जाती हैं। इसी सन्दर्भ में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों ने प्रयास किये हैं। समाज के अनेक क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की विभिन्न समस्याएं हैं, परन्तु यहाँ

केवल नगरीय क्षेत्र की घरेलू महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन किया गया है। इतनी अधिक चर्चा होना इस बात को दर्शाता है कि समाज के इस पक्ष में अभी भी बहुत कमी है। इसके लिए अध्ययन और सक्रिय तथा ठोस कदम उठाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी कारण प्रस्तुत विषय को शोध प्रबन्ध के लिए चुना गया है।

महिलाओं के सम्बन्ध में तथा स्त्री–पुरुष के समीकरण में अनेक आदि ग्रन्थों में क्या लिखा है तथा उससे आज के लोगों की विचारधारा तथा मानसिकता का क्रमिक विकास हुआ है। पृथ्वी की सृष्टि के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न मत प्रचलित हैं। बाईबल में पृथ्वी और प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वर्णित है कि परमेश्वर ने इनकी रचना की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसी ने दिन–रात, साँझ–मोर, जल–वायु, पेड़–पौधे, पशु–पक्षी सभी की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने प्रथम मानव की रचना की, फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उन्होंने उसे गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसुलि निकालकर स्त्री को बनाया। आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में से निकली है तथा मेरे मास मंजा का ही अंश है क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इसलिए इसका नाम नारी होगा। सामाजिक सम्बन्धों में स्त्री–पुरुष के सम्बन्ध सबसे अधिक व्यापक, गहरे और स्थायी होते हैं। माता, पत्नी, बहन, प्रिय, मित्र आदि विविध रूपों में स्त्री समाज में महत्वपूर्ण कार्य करती है। व्यक्ति के समाजीकरण में उसके स्त्री से सम्बन्ध का बड़ा महत्व है। महान व्यक्तियों पर उनकी माताओं का प्रभाव सर्वविदित है। पत्नी के व्यक्तित्व का पति के व्यक्तित्व पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रिया के रूप में स्त्री ने समाज के इतिहासों को बदल दिया है। राजस्थान के इतिहास में बहन की राखी ने वह कार्य किया जो कि अन्य कोई भी तत्त्व नहीं कर सकता था।

सशक्त समाज की आधारशिला नारी है। इस विचार को पुष्टि करते हुए महिला सशक्तिकरण वर्ष 2000 का आयोजन अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण किया गया। विभिन्न सम्मेलन, विचार गोष्ठियों और कार्यक्रमों में स्त्री सशक्तिकरण का विषय चर्चा में रहा है। इसी सन्दर्भ में भारतवर्ष में सरकारी और गैर–सरकारी सभी स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक योजनाएं तथा नीतियां बनी हैं।

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं में आन्तरिक शक्ति का विकास कर उनमें आत्म विश्वास जगाना, उनकी क्षमताओं और विलक्षणताओं का विकास करना तथा उन्हें राष्ट्र के संवर्धन से जोड़ना है।

पिछले तीन दशकों से महिला सशक्तिकरण के यह प्रयास आज किस सीमा तक सफल हुए हैं, यह प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में घरेलू महिलाओं के बीच देखा गया है। आज प्रतिदिन किसी न किसी समाचार पत्र, दूरदर्शन के माध्यम से प्रकाशित प्रसारित स्त्री के विरुद्ध हिंसा, उसके प्रति किये जाने वाले अपराध का चित्रण होता है।

घरेलू हिंसा क्या है ?

घरेलू हिंसा सामाजिक मुद्दा है क्योंकि हिंसा के कारण महिलाएं अपने नागरिक अधिकारों एवं इन्सान बनने के हक से वंचित होती है। घरों में होने के कारण ही इसे व्यक्तिगत मुद्दा नहीं माना जा सकता। घर में गैर–बराबरी का एक संकेत है यह हिंसा। इस हिंसा से महिलाओं की पहचान प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता एवं क्षमता सब पर असर पड़ता है। हिंसा के कुछ उदाहरण भी है।

- ❖ लड़की का पीहर एवं ससुराल में अधिकार का न होना।
- ❖ वे सब प्रक्रियाएं एवं कार्य घरेलू हिंसा है जो शारीरिक, मौखिक, दृश्यगत, आर्थिक अथवा यौन–शोषण को घर परिवार में विशेष रूप में बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, भय, आक्रमण, प्रताड़ना के रूप में पीड़ी व चोट के रूप में

अनुभव करते हैं। जिनके कारण इन्हें निम्न एवं छोटे का अहसास कराने का प्रयास किया जाता है।

- ❖ घरेलू हिंसा प्रायः अदृश्य होती है, क्योंकि इसके अन्तर्गत वे सब महिलाएं आती है जिन्हें समान प्राथमिक सम्बन्धी माना जाता है। इन सम्बन्धों को व्यक्तिगत माना जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा के आचरण में उन्हें सार्वजनिक रूप से बताना ठीक नहीं माना जाता है।
- ❖ घरेलू हिंसा के अन्तर्गत पति या पत्नी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार के साथ–साथ माता–पिता एवं पुत्री व पुत्र के साथ पुत्र व पुत्रवधु का वृद्ध माता–पिता अथवा सास–श्वसुर के साथ हिंसात्मक व्यवहार एवं प्रतिक्रियाएं शामिल है।
- ❖ हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं यौनिक होती है, इससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह गहराई तक महिलाओं को प्रभावित करती है। कभी तो वह पागल या मनोरोगी तक हो जाती है या उसके अंदर तक असुरक्षा घर कर जाती है। असहायता एवं शक्तिहीनता का अहसास बढ़ जाता है। जीने की संभावना का प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
- ❖ घर में लड़का–लड़की में भेदभाव भी हिंसा है। यही लड़के जब बड़े होते हैं तो यह भेदभाव उसे और ज्यादा हिंसक पुरूष बना देता है। यह भेदभाव महिलाओं में कमजोर एवं पुरूष को ताकतवर पैदा कर देता है।
- ❖ ताने देना, जैसे– काली–कलूटी, बाँझ, अपशकुनी, डायन, पागल आदि लड़की पैदा होने पर महिलाओं को प्रताड़ित करना।
- ❖ पीहर एवं ससुराल में लड़की के अधिकार नहीं होना हिंसा है। न कानून से हक न समाज से। इस कारण शादी के बहुत सालों बाद भी जब चाहे महिलाओं को सड़क पर निकाल दिया जाता है।
- ❖ स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज न करवाना, पूरा भोजन न देना भी हिंसा है। स्वास्थ्य व प्रजनन पर नियंत्रण न होना।

- ❖ विधवा को इस कारण सताना कि उसका कोई संरक्षक नहीं है, उसे उसके जायज हक न देना।
- ❖ बच्चा छिन लेना, घर बाहर कर देना।
- ❖ कन्या भ्रूण हत्या भी हिंसा।
- ❖ कुछ जातियों में बहू के साथ ससुराल के अन्य पुरूषों द्वारा शारीरिक संबंध बनाने का रिवाज है, यह क्रूरतम हिंसा है।
- ❖ गर्भवती होने पर खर्च से बचने के लिए पीहर छोड़ आना और वापस न बुलाना।
- ❖ लड़कियों–महिलाओं को अपनी प्रतिभा के अनुसार मन का काम करने से रोकना।
- ❖ बहु को पीहर वालों को गालियाँ देना। बहू को माँ–बाप से नहीं मिलने देना, उन्हें फोन नहीं करने देना, आस–पड़ोस नहीं जाने देना।
- ❖ वेश्यावृत्ति के लिए दबाव देना, तथा जर्बदस्ती यौन संबंध न बनाना।
- ❖ महिलाओं की इच्छा के बिना उसे जबरन बच्चे पैदा करने को मजबूर करना, क्या जबरन उसका गर्भ गिरवाना।
- ❖ धोखे से शादी करना। मानसिक रोगी या बेरोजगार या कम पढ़ा–लिखा हो उसे छिपाकर शादी करना।
- ❖ पत्नी से हर समय झगड़ा करके उसके दूध पीते बच्चों को उससे छीन लेना।
- ❖ मुस्लिम कानून तहत् तलाक देकर या न देकर परेशान करना।
- ❖ दूसरी महिला के साथ रहकर पहली पत्नी की पूर्ण उपेक्षा करना।
- ❖ निकाह करके पीहर से न लाना।
- ❖ अन्य महिलाओं से पत्नी के सामने ही शारीरिक संबंध बनाना।

- ❖ तलाक के बाद दूसरी शादी का इजाजत नहीं देना।
- ❖ घरों की चहारदीवारी में किशोरी बालिकाओं के साथ यौनिक हिंसा।
- ❖ जान–बूझकर पागल करार करना और तलाक का आधार बना लेना।
- ❖ पत्नी के पैसे से बनाए गए, घर को पति द्वारा अपने नाम पर कर लेना। पत्नी को घर से बाहर निकालकर सड़क पर खड़ा कर देना।
- ❖ पति या ससुराल के अत्याचारों से ठंडा आकर स्वतंत्र रूप से रहना चाहे तो उसे जहाँ वह रहती है वहाँ जाकर ठंडा करना, मोहल्ले में हल्ला मचाना, पति होने का रौब मारना, उसके वाहन को रास्ते में रोक लेना।
- ❖ पत्नी जहाँ काम करती है, वहाँ जाकर अभद्र व्यवहार करना।
- ❖ अपने हक की मांग करने पर और ज्यादा प्रताड़ित करना।
- ❖ आस्था व विश्वास का संकट।
- ❖ बच्चों के सामने पत्नी से जर्बदस्ती यौन संबंध बनाना।

1.4 महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा

हिंसा, यानि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ किया गया वह व्यवहार जो उस व्यक्ति के मन या शरीर या दोनों पर चोट पहुँचाता हो, उस व्यक्ति के जीवन विकास में बाधा डालता हो।

शेलाफ डिलेनी (हिन्दुस्तान) लिखती है ''मुझे बाहर के नहीं, अपने भीतर के अंधेरे से डर लगता है।'' अर्थात् महिलाओं को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना खुद भी सीखना होगा। जिस देश में चालीस प्रतिशत से अधिक महिलाएं किसी–न–किसी रुप घरेलू हिंसा की शिकार हो, वहाँ एक वर्ष में केवल 10 हजार मामले ही दर्ज होना सच्च से आँख मिचौली खेलने जैसा ही है। लगभग ढाई वर्ष पहले घरेलू हिंसा में निषेध कानून लागू होने के बाद आशा जगी थी कि इससे घर की चाहर दीवारी में औरतों हाथ उठाने वाले पुरुषों की जुवान और हाथ पर अंकुश लगेगा। साथ ही हिंसा को अपनी

नियति मानने वाली औरतों और पत्नी से मारपीट को ही मर्दानगी का सबूत समझने वाले मर्दों की सोच में परिवर्तन आयेगा– लेकिन यह आसान नहीं है निम्न वर्ग की अनपढ़ औरतें ही नहीं, मध्य और उच्च वर्ग की पढ़ी–लिखी तथा नौकरी पेशा सम्भ्रान्त महिलाएं भी सदियों से हमारे यहाँ घरेलू हिंसा की शिकार रही है। सदियों पुराने पुरुष के विचार स्त्री को बराबरी तो को दूर मानवाधिकार पाने से भी रोकते हैं।

दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में महिलाएं घरेलू हिंसा का दंश झेलती रही है। कई सर्वेक्षणों से यह बात सामने आयी है कि प्रताड़ना की शिकार महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, पति से पिटने और गालियाँ खाने के बावजूद शुरू में गहरी शर्म और हीन भावना के कारण मुँह नहीं खोल पाती। भारत में यूँ भी पति के खिलाफ बोलना सामाजिक एवं पारिवारिक परवरिश के दायरे में शिष्टता के खिलाफ समझा जाता है। बचपन से ही लड़कियों को बोझ समझना, पराया मानना तथा यह देखाना कि जिस घर में डोली गई है अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए। उन्हें दबू और डरपोक बना देता है। परिणामस्वरुप अधिकांशतः वे चाहकर भी अन्याय का विरोध नहीं कर पाती। घरेलू हिंसा के पाटों तले भले ही वे पिसती हों, मुँह नहीं खोल पाती। हिंसा को वे अपनी नियति मान लेती हैं, और खुद को पीटने के योग्य जीव।

अच्छी बात यह है कि कानून बनने के बाद घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं शिकायत करने लगी है। निश्चय ही ऐसी हिम्मती औरतों की संख्या और भी बहुत कम है, वैसे भी घरेलू हिंसा निषेध कानून को लागू करने के स्तर पर अनेक खामियाँ दिखती है। सामाजिक जागरूकता का अभाव और पुलिस का उदासीन व्यवहार भी औरतों की रक्षा में आड़े आता है। केवल कानून के जरिए घरेलू हिंसा पर एक सीमा तक ही अंकुश लग सकता है।

सबसे आवश्यक तो परिवार समाज में लड़कियों को बोझ और महिलाओं को अपना गुलाम समझने की मानसिकता को बदलने की है।

1.5 महिला हिंसा के मामले में बिहार की स्थिति

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के मामले में बिहार का देश में 30वां स्थान है। अर्थात् 29 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से बिहार में महिला अपराध कम हुए है। वहीं, असम में सबसे अधिक एक लाख पर महिला अपराध 177 तो दिल्ली में 144 है। राष्ट्रीय स्तर पर वह आँकड़ा 6.4 है। जो बिहार में हुये अपराध 32.3 से लगभग दोगुना है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2020–21 की रिपोर्ट में देश भर में ऐसे मामले को दर्शाया गया है। हालांकि नीति आयोग ने समेकित रूप से कमजोर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के मामले में बिहार को देश में नीचे से अंतिम पायदान पर रखा है। पर महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामले में बिहार की स्थिति को बेहतर माना है। महिलाओं पर हुये अपराध में जो राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की स्थिति बिहार से अच्छी है। उनमें नागालैण्ड 4.1, पाण्डुचेरी 12.1, तमिलनाडु 15.6, मणिपुर 17.2, दादरी व नगर हवेली 21.6, दमन–दीव 25.2 और गुजरात 27.1 है। असम और दिल्ली के अलावा प्रति 1 लाख की आवादी पर जहाँ 100 से अधिक अपराध महिलाओं पर हुए उनमें हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान और लक्ष्यद्वीप है।

पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर किये जाने वाले अत्याचार मामले में बिहार का स्थान देश में 25वां है। बिहार में प्रति 1 लाख पर 4.55 ऐसे मामले हुए जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आँकड़ा 19.54 है। इस तरह राष्ट्रीय औसत से बिहार में एक तिहाई से कम ऐसे मामले हुए। पूरे देश में 11 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे है जहाँ इस मामले में स्थिति बिहार से अच्छी है। इस मामले में भी सबसे अधिक मामले असम में 70 हुये है। राजस्थान में प्रति लाख पर 49 महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हुई।

द्वितीय अध्याय

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की पृष्ठभूमि एवं विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अध्ययन

प्लेटो ने कहा करता था कि महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है और उन्हें न्यायालय में गवाही देने तक का भी अधिकार नहीं है क्योंकि वे कहता है कि प्रजा में कभी आत्माएं भी आ गई तो स्त्रियों में कभी आत्मा आता ही नहीं है। (कल्पा) Lawes में लिख रहा है कि किसी न्यायालय न्यायाधीश को स्त्रियों के न्याय पर विचार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें स्त्री को सत्य का ज्ञान नहीं है। उन्हें विवके नहीं क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है। जब प्लेटो ने ऐसा लिखा तो लगभग सारे देश के दार्शनिकों ने लिखना शुरू किया कि महिलाएं सिर्फ कुर्सी और मेज की तरह है। जब चाहे इस्तेमाल करो नहीं तो फेंक दो।

वही हमारे भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बन्धित पूछा गया कि महिलाएं गुरूकुल शिक्षा व्यवस्था में या अन्य पदों पर आगे क्यों है ? उन्होंने उत्तर दिया कि भारत में महिलाएं आत्मा से बढ़कर परमात्मा में निहित महिलाओं को देखा जाता है। क्योंकि भारत के सभी शास्त्रों को देखने से भी शाबित होता है क्योंकि महिलाएं पुरूष से ऊँची है। उसमें ईश्वरीय गुण है और आज के वैज्ञानिक युग की बात करे तो महिलाएं तय करती है बच्चा होगा कि नहीं, पुरुष का कोई महत्व नहीं। स्त्री ईश्वर की सबसे नजदीक है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सूत्र है कि जब समाज को पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो महिलाओं से पूछो कि क्या करना है ? क्योंकि उनको क्रियात्मक ज्ञान ज्यादा उनको पता है कि क्या करना है जिससे कुछ हो जाता है, ऐसा ज्ञान महिलाओं में ज्यादा है। क्रियात्मक ज्ञान पुरुषों में फालतू का ज्ञान होता है। इसी तरह स्त्री के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि

जीवन हम सबके साथ शादी के बाद स्त्री नहीं है वे जिन्दगी बेकार है। ऐसा उदाहरण हमारे मन्दिरों में देखने को मिलता है। कहीं–कहीं तो मन्दिरों के पुजारी ने बिना स्त्री और पुरुष के साथ नहीं होने पर अन्दर प्रवेश नहीं करने देते हैं और कहा जाता है कि जीवन स्त्री के आने के बाद पवित्र होता है। उनके पहले वे लम्पट होता है।

हमारा समाज जो स्त्रियों के प्रतिसर्वथा उपराम था, अब उन प्रश्नों पर बड़े गौर से विचार करने लगा है। स्त्रियों के बंधनों को काट देने के लिए अब चारों तरफ से आवाजे आने लगी है। प्रत्येक पढ़ा–लिखा आदमी स्त्रियों की आजादी के हक में सोचने लगा है। गरीब घरों के लोग भी लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं। स्त्रियों की हमारे समाज में अब तक जो स्थिति रही है, उसके विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हो रही है और यह प्रतिक्रिया ऐसे आधी के वेग से हो रही है कि पुराने विचारों को जड़ से उखाड़ फेके दे रही है।

इस प्रतिक्रिया के युग में पुराने विचारों वालो का भी बिलकुल अभाव नहीं है। प्रतिक्रिया की प्रबलख को देखकर वे लोग घबरा उठे हैं। वे पुराने विचारों को और ज्यादा जोर से चिपट गए हैं। मौके–बे–मौके वे हरेक पुराने विचार की तरफदारी करते हैं। उनकी समझ में स्त्रियाँ इस लायक हैं ही नहीं कि उन पर एक मिनट के लिए भी विश्वास किया जा सके। उनके मत में स्त्रियों को जकड़कर रखना ही उन्हें ठीक रास्ते पर चलाने का एकमात्र साधन है। गनीमत यहीं है कि ऐसे लोगों की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है।

पुरानी लकीर को पीटने वालों के खिलाफ नए विचारों में उड़ने वाले इतने आगे बढ़ गए है कि वे हरेक पुरानी बात से हरेक पुराने विचार से तंग आ गए जान पढ़ते हैं। वे नई बात को नए विचार को, नई लहर को नई लहर को खोजते से फिरते हैं। वे हर एक पुराने विचार का मजाक उडाते हैं। उनके समझ में कोई बात सिर्फ इसलिए छोड़ देने लायक है क्योंकि वह पुरानी है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्रतिद्रव्य भी कोई आदर्श हो सकता है।

स्त्रियों के साथ अब तक जैसा बर्ताव होता रहा है, उसकी जब तक पुरी प्रतिक्रिया नहीं हो लेती तब तक शायद स्वभाविक अवस्था भी नहीं आ सकती। हमें स्त्रियों को आजाद स्थिति में लाने के लिए ऊँची से ऊँची और जोरदार से जोरदार आवाज उठानी होगी। हम जिस आजादी को चाहते हैं, वह भारत की स्त्रियों को किसी समय प्राप्त थी। अपनी चतुर्मुख उन्नति करने की उन्हें पुरी सुविधा थी। पुरुष तथा स्त्री में जिस प्रकार के इस समय भेद समझे जाते हैं, इस प्रकार के भेद उस समय नहीं थे। आजादी की दृष्टि से वैदिक युग की ओर बीसवीं सदी की स्त्री में रती भर फरक नहीं था। स्त्रियों की स्थिति भारत वर्ष में बहुत पीछे जाकर गिरी। अब हम स्त्रियों की स्थिति में वर्तमान गिरावट को ही भारत में स्त्री की असली स्थिति समझने लगे है और इसमें लेने लायक कुछ नहीं मिलता। मैं समझता हूँ उस समय जब कि समाज एकदम स्त्रियों की प्रश्नों की तरफ ध्यान देने लगा है और कुछ हद तक हिंसा में कमी आ रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 2020 में पिछले छह सालों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे अधिक शिकायतें मिली है। एनसीडब्ल्यू के आँकड़े के अनुसार 23.722 शिकायतों में से करीब एक चौथाई घरेलू हिंसा के मामलों की है। राष्ट्रीय महिला आयोग के आँकड़े के मुताबिक सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। उत्तर प्रदेश में 11.872, दिल्ली में 2.635, हरियाणा में 1266, बिहार में 1384 और महाराष्ट्र में 1188 मामले दर्ज हुए है। इनमें से कुल 5,294 शिकायतों में से 7708 शिकायते गरिमा के साथ जीवन के अधिकार के तहत की गई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के अनुसार आर्थिक असुरक्षा, तनाव के बढ़ते स्तर चिंता, वित्तीय परेशानियां और परिवार से कोई भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने चलते वर्ष 2020 में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए है। उन्होंने बताया की दम्पती के लिए आजकल घर ही दफ्तर बन गया

है। बच्चों के भी स्कूल और कॉलेज घर से ही खुल गए है। ऐसी सूरत में एक ही समय में महिलाएं घर और दफ्तर साथ–साथ संभाल रही हैं। इसलिए छह साल में सर्वाधिक शिकायतें पिछले साल ही दर्ज किए गए है। इसे पहले वर्ष 2014 में 33,906 शिकायतें दर्ज की गई थी।

पीपुल्स अगेंस्ट इन इंडिया की प्रमुख महिला अधिकारी कार्यकर्ता योगिता मयाना ने कहा कि ज्यादा संख्या में शिकायते मिलने के पीछे महिलाओं में शिकायत करने को लेकर बनी जागरूकता भी एक बजह हो सकता है। उन्होंने कहा कि शोशल मीड़िया की बजह से घरेलू हिंसा की शिकायतों के मामले बढ़े है, अब महिलाएं आवाज उठाती हैं और वे दबती रही है जो कि अच्छी बात हैं।

अंकिता भारद्वाज की रिपोर्ट–

1.	घरेलू हिंसा	53.86%	घरेलू हिंसा वर्ष	
2.	दहेज प्रताड़ना	14.21%	वर्ष	संख्या
3.	बाल विवाह	10.55%	2016	212
4.	छेड़छाड़	1.08%	2017	325
5.	यौन शोषण	1.25%	2018	323
6.	मानसिक प्रताड़ना	10.25%	2019	268
7.	सम्पत्ति विवाद	1.67%	2020	221
8.	मानव तस्करी	0.21%	2021	82

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के विभिन्न प्रतिक्रियाएं

50 प्रतिशत महिलाओं ने कहा– खाना, दवा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी घर वाले पैसे नहीं देते हैं।

बिहार सिवान जिला के घरेलू हिंसा से पीड़ित 50 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पैसे न होने से एक ऐसे रिश्ते को लंबे समय से झेलना पड़ता जहाँ रोजगार पीट होती थी। बच्चे की बजह से मजबूरन ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना पड़ रहा है, जिससे हम सभी क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी थी। क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होने से कानून भी उन्हीं का साथ देता पैसे नहीं होने के कारण अनेक महिलाओं ने बुरी तरह से जाल में फंसे हुयी है और छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हैं। ये समस्या बिहार सिवान जिले की उन महिलाओं की है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई और न चाहकर भी उसे झेलती रहीं। जिंदगी को लगभग नर्क कर देने वाले रिश्ते में बंधे रहने की सबसे एक बड़ी बजह बताई, आर्थिक स्वतन्त्रता न होना। बिहार सिवान जिले ही नहीं बल्कि भारत के उन विभिन्न राज्यों में ऐसी महिलाओं के लिए शेल्टर होम (आश्रम गृह) होना आवश्यक है, लेकिन जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। घरेलू हिंसा का शिकार ऐसी महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कुछ आवश्यक जरूरतों को मुफ्त में देने की घोषणा करनी चाहिए जिससे इस समस्या को झेल सकें। परिवार में मद्यपान एवं अन्य नशे की आदत परिवार में मद्यपान की आदत का दुष्प्रभाव सामान्यतः महिलाओं को ही अधिक भोगना पड़ता है। मद्यपान की स्थिति में व्यक्ति आक्रामक एवं उत्तेजित अवस्था में होता है अनेक बा रवह अपना आत्मसंयम खो देता है तथा अनुत्तरदायी कार्यों की ओर अग्रसर होता है। साथ ही मद्यपान की आदत अनुकूल परिस्थितियों को निर्मित कर हिंसा हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने के भी सहायक है।

न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब का प्रभाव

समाज द्वारा मान–मर्यादा व लाज–शर्म सम्बन्धी स्थापित प्रतिमानों, पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक निन्दा का भय तथा पुलिस एवं न्यायालयीन पेचिदा प्रक्रियाओं के कारण घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी अनेक प्रकरण पुलिस में दर्ज ही नहीं किये जाते। न्याय प्राप्ति की चाह में पुलिस एवं न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में बचाव पत्र के वकील द्वारा इस आशा के साथ कि प्रकरण में जितना विलम्ब होगा प्रकरण उतना कमजोर होगा, कानूनी खामियों का फायदा उठाकर प्रकरण को जानबूझकर लम्बित किया जाता है। साथ ही पुलिस एवं न्यायालय की प्रक्रिया एवं पेंचीदागियों के कारण भी प्रकरण में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष को वित्तीय हानि के साथ–साथ लम्बे समय तक अपमान सहना पड़ता है तथा पीड़ित पर सामाजिक दारे का एक दबाब निरन्तर बना रहता है।

पुलिस सम्बन्धी कार्यवाही प्रतिक्रिया

हिंसा के संदर्भ पुलिस कार्यवाही अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं कि सही समय पर पुलिस में दर्जगी घटना व अपराधी के सन्दर्भ में पूर्ण खुलना तथा जनता द्वारा पुलिस व्यवस्था को मिलने वाला जनसहयोगी व्यवस्था के प्रति जन आस्था तथा विश्वास पर निर्भर है। यदि पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान है, वह पूर्ण प्रशिक्षित एवं व्यवहार कुशल है तथा यदि जनता में न्याय एवं सुरक्षा के प्रति विश्वास कायम करने में सफल है तो कोई कारण नहीं कि उसे जनसहयोग व समर्थन प्राप्त न हो। इसके विपरीत यदि पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है हिंसा के प्रकृति के अनुसार यदि वह पीड़ित की भावनाओं को समझने में असमर्थ है, भाषा में संतुलित प्रयोग के प्रति उदासीन है तथा दबाब लालची एवं लापरवाही में घटना के वास्तविक एवं उचित अनुसंधान स्थान पर तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत करती है तो

निश्चित रूप से वह व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को कायम रखने में समर्थ नहीं हो सकती।

हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों का व्यवहार

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन के उद्देश्य से अपने सदस्यों को प्रस्थिति एवं भूमिका प्रदान करती है। यह प्रस्थिति एवं भूमिका सामाजिक व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं सामाजिक संतुलन को बनाये रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होती है। इस प्रस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति विचार एवं मान्यताओं के अनुरूप होता है।

लिप्टन के अनुसार– ''सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की प्रस्थिति कहा जाता है।''

अतः प्रस्थिति व्यक्ति को समाज में मिलने वाला एक सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थान है, जिससे व्यक्ति की इस प्रतिष्ठा पर पड़ने वाला अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव न केवल समाज में उसकी स्थिति एवं भूमिका को प्रभावित करता है बल्कि उस व्यक्ति के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के प्रति हिंसा की दृष्टि से यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हैं।

महिला हिंसा प्रकरण में की गई कार्यवाही सम्बन्धी विपरीत प्रतिक्रिया

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी अनेक प्रकरण जन–आलोचना, सामाजिक अपमान, प्रतिष्ठा का भय तथा अन्य सामाजिक कारणों से पुलिस में दर्ज ही नहीं किये जाते। यदि पीड़ित पक्ष द्वारा न्याय प्राप्ति हेतु प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही की जाती है तो प्रतिक्रिया स्वरुप अनेक बार उन्हें विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना भी पड़ता है। हिंसक पक्ष

द्वारा पीड़ित पक्ष को धमकाने व अन्य तरीकों से प्रकरण को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है, तथा पुलिस के साथ मिलकर अथवा राजनीतिक प्रभाव से प्रकरण वापसी हेतु पीड़ित पक्ष पर दबाब बनाया जाता है। अनेक बार स्वयं के रिश्तेदार सगे सम्बन्धी भी पुलिस कार्यवाही करने पर खानदान की इज्जत समाज में अपमान के भय से पीड़ित पक्ष के विरोधी हो जाते हैं।

2.1 विभिन्न कालों में महिलाओं की बदलती प्रस्थिति

प्रारम्भ में जब मानव का उद्‌भव हुआ था, तब स्त्री–पुरुष के कार्यों में कोई भेद नहीं था। जैसे–जैसे मानव विकास की ओर बढ़ता चला गया उसके कार्यों में विभाजन होता चला गया। इनके कार्यों में विशेषीकरण आया तथा स्त्री–पुरुष में श्रम विभाजन हुआ। संसार का प्रत्येक समाज मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। अनेक उद्विकासवादियों मानव शास्त्रियों एवं मनीषियों का ऐसा अनुमान एवं विश्वास रहा है कि आदिकाल में सन्तान माता से जुड़ी रहती थी उसका जैविक पिता (जनक) वास्तविक रूप में कौन था यह वे नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय मानव समुदाय में विवाह सम्बन्धी नियमों का सृजन नहीं हुआ था। अतः बच्चों एवं परिवारों पर मातृसत्ता प्रधान थी। मातृसत्तात्मक परिवार होने से सम्पत्ति पर परिवार के नाम पर वंश एवं गोत्र इत्यादि पर स्त्री का अधिकार होता था जिससे उसकी स्थिति अपेक्षाकृत रूप से अधिक प्रबल हुआ करती थी, लेकिन धीरे–धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और पितृसत्तात्मकता प्रबल होने लगी। हर क्षेत्र में पुरुष ने अपना आधिपत्य स्थापित किया और वह स्त्री को अपने से कमजोर समझने लगा। कुछ सीमा तक यह एक स्वाभाविक एवं सांस्कृतिक मजबूरी भी थी। स्त्री को गर्भावस्था एवं सन्तानोपत्ति के कारण अपने जीवन काल में कई बार दुर्बल व स्वास्थ्य की समस्या से गुजरना पड़ता था और बच्चों के छोटे होने के कारण घर की सुरक्षित सीमा में रहना पड़ता था । उसी अवधि में स्त्री एवं बच्चों के भरण–पोषण के लिए भोजन एवं सुरक्षा की आपूर्ति करना पुरुष के प्रकार्यों में

प्रमुख होता गया। इसी कारण उत्पादकता का आशय लेकर पुरुष ने स्त्री को घर की सीमा में सीमित कर दिया तथा स्वयं उसका स्वामी बन गया। 'पितृसत्तात्मकता' शब्द एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को वर्णित करता है, जिसमें स्त्री एवं अन्य पारिवारिक सदस्य पुरुष की सत्ता के अधीन रहते है। यह ऐसी सामाजिक संरचना है जहाँ जीवन के हर एक पक्ष में पुरुष का वर्चस्व बना रहता हैं और प्रत्येक निर्णय लेने में तथा उसके क्रियान्वयन में वही प्रमुख होता है।

यदि हम प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक की महिलाओं की स्थिति को देखें तो हमें उसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा । महिलाओं को दुर्बल मानने की विचारधारा आज के युग की विशेषता नहीं है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक की महिला विविध परिस्थितियों में गुजरी है। प्राचीन समय से भारतीय साहित्य में महिला का स्वतंत्र अस्तित्व न देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। राजा एवं प्रजा के पुरुष वर्ग में किसी से बदला लेने के लिए उन्हीं की स्त्री पर अत्याचार करना एक परम्परा बन गयी थी।

स्त्रियों के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते हैं। एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरुषों के समकक्ष सम्मान और अधिकार दिलाने के पक्ष में है। दूसरा दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरुष से निम्न श्रेणी को मानता है। नारी के प्रति इसी दूसरे दृष्टिकोण के कारण समाज में नारी को उत्पीड़ित किया जाता है और परोक्ष रूप में उसका शोषण होता है।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवता बसते हैं (मनुस्मृति)। धर्म ग्रन्थों में, उपदेश ग्रन्थों में तथा नीति–शास्त्रों की उक्तियों में नारी को जननी, पूज्या, देवी व गृहलक्ष्मी आदि कई संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न कालों में महिलाओं की प्रस्थिति भिन्न–भिन्न रही है। भारतीय संस्कृति के आधार पर

यहाँ की महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा उसे देवी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय समाज में नारी को, जो देवी तुल्य है। जगत्जननी तथा अन्नपूर्णा कहा गया है, किन्तु साथ ही साथ उसी, परवशता, निर्बलता एवं सामाजिक अशक्तता के अनेक उदाहरण भी सभी प्रकार के साहित्य में उद्धृत हैं।

2.1.1 वैदिक काल

प्राचीन भारत का इतिहास वेदमंत्रों, आरण्यकों और उपनिषदों में निहित है। भारतीय इतिहास का आदिकाल वैदिक काल में प्रारम्भ होता है। वेद ही हमारे आदियुग के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक समाज वर्णाश्रम व्यवस्था की बहुत ही सरल व सुस्पष्ट मान्यताओं पर आधारित था। इस प्रकार इस समाज में लोगों के मध्य भेद–भाव नहीं था। इतिहासकारों ने भी वैदिक व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था माना है। सभी विद्वान ये मानते हैं कि इस युग में नारी का पद केवल सम्मानजनक ही नहीं अपितु गौरवपूर्ण भी था। कोई भी धार्मिक कार्य जैसे– दीक्षा, हवन, यज्ञ, एवं पूजन बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता अतः उसे पुरुष के समान स्तर दिया जाता था।

भारतीय संस्कृति का आधार आध्यात्मिक है। रचनाकाल की दृष्टि से ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। इन वेदों में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के दर्शन होते हैं। वैदिक समाज में सबसे अधिक सम्मानित पद उन ऋषियों का था, जिन्होंने अपने इस उद्घान्त ज्ञान को भाषा प्रदान की थी। उन्हें मंत्रसृष्टा कहा जाता है। इन मंत्र रचनाओं में नारियां भी सम्मिलित हैं, जिन्हें ब्रह्मवादिनी या ऋषिका के नाम से सम्बोधित किया गया है। वे समय पड़ने पर पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ भी करती थीं। ब्रह्मवाहिनी, गार्गी कौर, ऋषि याज्ञवल्यक की पत्नी मैत्रेयी अपने ब्रह्मज्ञान के लिए विख्यात थीं।

वैदिक काल में कन्या के जन्म को चिन्ता का कारण नहीं माना जाता था। परिवार में यदि पुत्री का जन्म होता था तो उल्लास से स्वागत किया

जाता था। पुत्री का सम्मान भी पुत्र की तरह ही किया जाता था। इस काल में शिक्षा का आरम्भ उपनयन संस्कार के पश्चात होता था। इसके बाद उनको विद्याध्ययन हेतु गुरु के आश्रम भेजा जाता था। स्त्रियों को वैदिक साहित्य के अलावा गणित, संगीत, नृत्य व आयुर्वेद आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियां युद्ध कौशल में निपुण थीं। इस प्रकार वैदिक युग में युवतियां अपनी योग्यता और इच्छानुसार विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थीं। 17–18 वर्ष की आयु से पहले उनका विवाह नहीं किया जाता था। वैदिक काल में 'एक पत्नी विवाह' का आदर्श सर्वमान्य था। उस समय यद्यपि बहुविवाह की निन्दा की गयी हैं तथापि ऋषियों, मुनियों व राजाओं के बहुविवाह के उदाहरण भी मिलते है। इस में मातृपद सबसे ऊँचा माना गया है। माता को सन्तान का प्रथम गुरू माना गया है। माता की आज्ञा भी पिता की आज्ञा की तरह उच्च व सर्वोपरि मानी गयी है। वैदिक काल में विधवा होना अशुभ या कलंकपूर्ण नहीं माना जाता था। विधवा को दूसरा पति चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी। वैदिक काल में पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में वर के चुनाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी स्वतंत्र थी। इस काल में पिता की सम्पत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था लेकिन पुत्र के न रहने पर पुत्री पिता की सम्पत्ति की अधिकारिणी होती थी। अविवाहित कन्या को भी सम्पत्ति का कुछ अंश अवश्य मिलता था, परन्तु माता–पिता, भाई–बहन या सगे–सम्बन्धियों से मिले धन या दहेज में मिली सम्पत्ति तथा पति व ससुर से मिली सम्पत्ति पर स्त्री का सम्पूर्ण अधिकार होता था। वह 'स्त्री धन' के नाम से जाना जाता था और स्त्री की मृत्यु के पश्चात उस पर उसकी पुत्री का अधिकार होता था लेकिन मृत पति की सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार वैदिक काल में समग्र रूप से यदि देखा जाय तो स्त्रियों की स्थिति उत्कृष्ट थी। (व्होरा, 1994)

2.1.2 उत्तर वैदिक युग

यद्यपि वैदिक काल में स्त्री की स्थिति अच्छी थी, परन्तु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान समाज में पुरुषों की अपेक्षा निम्न होने लगा था। इस युग में लड़कियों का उपनयन संस्कार समाप्त करके विवाह की विधि में ही उसका समावेश कर दिया गया। पति सेवा, गुरू सेवा व गृहकार्य को यज्ञ के समान माना गया। अतः पत्नी की स्थिति निरन्तर दुर्बल होती चली गई।

इस काल में विधवा के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करने तथा पूजापाठ में लीन रहने का नियम बनाया गया। स्त्रियां इस भारयुक्त जीवन की अपेक्षा सहमरण को अधिक उपयुक्त समझने लगीं और इस प्रथा ने धीमे–धीमें सती प्रथा का रूप धारण कर लिया ।

2.1.3 मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की स्थिति

बारहवीं शताब्दी के अन्त में जब मुहम्मद गोरी ने कन्नौज नरेश जयचन्द के निमंत्रण पर दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ तो भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति की विजय ने भारतीय महिला की दशा में उल्लेखनीय परिवर्तन किये। भारतीय महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन मध्यकाल के विभिन्न शासकों जैसे दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश आदि के समय में स्त्रियों की दशा में बहुत परिवर्तन हुआ। जिससे पता चलता है कि उसके पहले महिलाओं की दशा अच्छी थी और समाज में उचित सम्मान था। बौद्ध काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, इस काल में उनका पतन होना आरम्भ हो गया था, लेकिन मध्यकाल के आते–आते इनकी दशा में सोचनीय गिरावट आ गयी थी। मुस्लिम एवं हिन्दू संस्कृति का मिला जुला रूप मध्यकाल में देखने को मिलता है। इसके पूर्वाद्ध में स्त्रियों की दशा सोचनीय होती जा रही थी लेकिन समाज में इन्हें अभी सम्मान प्राप्त था। स्त्री गृहस्वामिनी एवं गृहलक्ष्मी कहलाती थी और पत्नी की अनुपस्थिति में कोई भी

धार्मिक कृत्य पूर्ण नहीं माना जाता था। स्त्रियों का सम्मान होने पर भी इन पर नियंत्रण था। ये स्वतंत्र नहीं थीं। इन्हें पुत्री के रूप में उनके पिता, पत्नी के रूप में पति तथा विधवा होने पर ज्येष्ठ पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता था। हिन्दू समाज में प्रचलित संस्कारों के अनुरूप ही पुरुष सेवा करना स्त्री धर्म माना जाता था । पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री अति भाग्यशाली मानी जाती थी।

भारतीय मुस्लिम महिला की स्थिति हिन्दू की अपेक्षा बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि हिन्दू महिलाओं की अपेक्षा इन पर कठोर नियन्त्रण था। हिन्दू संस्कृति में केवल एक ही विवाह का प्रचलन था लेकिन मुगल संस्कृति में बहु–विवाह का प्रचलन अधिक था। इसलिए उच्च वर्ग ने बहु–विवाह की नीति को अपना लिया था। मुस्लिम विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था लेकिन हिन्दू विधवा के लिए पुनर्विवाह निषिद्ध था। वह शेष जीवन सन्यासिनी की भाँति व्यतीत करती थी। किसी–किसी प्रदेश में हिन्दुओं में विधवा स्त्री के बाल काट दिये जाते थे। वह रंगीन एवं चमकदार वस्त्र भी धारण नहीं कर सकती थी।

इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। सल्तनत काल में मंगोलों के आगमन से यह प्रथा जटिल होती गई। मंगोलों में पर्दा प्रथा का चलन था इसके अतिरिक्त भारतीय महिलाओं ने इसे अपना कर विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा भी की थी। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को समाप्त करने के प्रयत्न किये पर उनके इस प्रयास में कई शत्रु बन गये। मुगलकाल के सम्राट अकबर ने पर्दे के सम्बन्ध में आदेश दिया था कि यदि कोई युवा स्त्री गलियों अथवा बाजारों में बिना पर्दे के घूमती दिखायी देंगी और वह पर्दे का उल्लंघन करेगी तो उनको वेश्यालय ले जाया जायेगा तथा उस पेशे को अपनाने के लिए बाध्य किया जायेगा। इस प्रकार से हिन्दुओं में मुसलमानों के प्रभाव के कारण ही पर्दे का प्रचलन हुआ।

मध्यकाल में सती प्रथा का प्रचलन था। यह प्रथा केवल हिन्दू समाज में थी। इसके अन्तर्गत हिन्दू स्त्री, अपने पति की मृत्यु हो जाने पर, उसकी चिता में ही जल जाती थी और वह सती कहलाती थी। सती होने के दो प्रकार थे–

1. जब स्त्री अपने पति की मृत देह के साथ जलती थी तब उसे सहमरण अथवा पति के साथ जलना कहते थे।
2. जब स्त्री पति की किसी वस्तु के साथ जलती थी के वह अनुमरण कहलाता था।

यदि किसी राजा की कई रानियाँ होती थीं। वे सब आग में जल जाती थीं। इसे 'जौहर प्रथा' कहते थे। यदि कोई स्त्री पति के साथ जलने से मना करती थी तो वह दुष्चरित्र समझी जाती थी। इसी तरह से जौहर प्रथा विशेषतः राजपूत राजाओं में प्रचलित थी। जब राजपूतों की स्त्रियों को ये अनुभव हो जाता था कि उनके पति युद्ध भूमि से वापस नहीं आ सकेंगे तो वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में प्राणों की बलि चढ़ा देती थीं। इसे जौहर करना कहते थे। उनकी इस प्रथा का समाज में बहुत आदर था।

इस काल में कन्या जन्म अशुभ माना जाता था और लड़की के माता–पिता अपनी पुत्री का विवाह शीघ्रातिशीघ्र कर देने का प्रयत्न करते थे। लड़की को स्वयं वर चुनने का अधिकार नहीं था। इस काल में दहेज प्रथा का प्रचलन था। निम्न जाति के लोगों में वर पक्ष की ओर से वधू को कुछ धन देना पड़ता था। धन की लालच से लोग अधिक आयु की स्त्रियों से भी विवाह कर लेते थे।

मध्यकाल की मुगलकालीन महिला की दशा पत्नी के रूप में दयनीय थी। विवाह के बाद वह अपनी सास के नियंत्रण में रहती थी। यदि उसकी सास बहू से असन्तुष्ट होती थी तो बहू का जीवन असहनीय हो जाता था। परन्तु इस काल में स्त्रियों को माता के रूप में अधिक सम्मान प्राप्त था । निम्न वर्ग में स्त्रियां अपने पति के कार्यों में सहयोग करती थीं। सूरत नगर में

रेशमी एवं ऊनी वस्त्र बुनने का कार्य स्त्रियाँ करती थीं। निर्धन स्त्रियाँ छोटी–छोटी दुकानें चलाने तथा पान आदि बेचने का कार्य करती थीं।

2.1.4 ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति

भारतीय इतिहास के अठारहवीं शताब्दी का समय पतन का युग माना जाता है। इस समय देश में अनेक रजवाड़े थे जो आपस में लड़ते रहते थे। व्यापारिक एकाधिकार के लिए पारस्परिक संघर्ष करने वाली यूरोपियन कम्पनियों ने इसका लाभ उठाया। उनका राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने के लिए संघर्ष आरम्भ हुआ जिसमें अन्त में अंग्रेजों की विजय हुई। 1848 तक समस्त भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया। अवनति के इस युग में भारतीय समाज के प्रायः सभी अंग पतनोन्मुख हो गये। इसका प्रतिकूल प्रभाव स्त्रियों की स्थिति पर पड़ा। वे घर की चार दीवारी तक सीमित हो गई। बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों के अतिरिक्त स्त्रियों को उत्तराधिकार से वंचित रखने की प्रथा भी सामान्य बात हो गई। उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा गया ।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पाश्चात्य सभ्यता के साथ बढ़ते सम्पर्क तथा अन्य परिस्थितियों के प्रभाव से भारतीय समाज में परिवर्तन आया।

भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न एक ऐसा अपराध है जिसका निवारण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। वे अपने को ही जिम्मेदार बनाती हैं, अपने प्रति हिंसा होने के लिए घरेलू महिलाओं के प्रति मारपीट की संभावना, हिंसा व दहेज, बलात्कार व उन्हें जला दिया जाना समाज में आम बात है।

2.2 घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण/असर

घरेलू हिंसा के कई कारण हो सकते हैं– उदाहरण के लिये महिलायें पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रुप से कमजोर होती है। उन्हें अक्सर

कमजोर दर्जों में रखा जाता है। प्राप्त दहेज से असन्तुष्ट साथ ही के साथ बहश करना, स्वादिष्ट खाना न बनाना, विवाहोत्तर सम्बन्धों में लिप्त होना, बच्चों की उपेक्षा करना, घर के कार्यों की उपेक्षा करना, ससुराल वालों को सही से देखभाल न करना और कुछ मामले में बांझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है।

पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहोत्तर सम्बन्ध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद् न करना, बच्चों की देखभाल न करना, पति–पत्नी के परिवार को गाली देना आदि कारण होते हैं।

बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता–पिता के सलाह और आदेशों की अवहेलना करना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन आदि कारण है।

पितृसता पालन–पोषण के पूरे तरीके से पितृसत्ता हावी है, जिसके चलते लड़की को कमजोर एवं लड़कों को ताकतवर बनाया जाता है। लड़की को सारा काम करना होता है। आदमी काम में हाथ न ही बांटते हैं। लड़की के स्वतंत्र व्यक्तित्व को प्रारंभ से ही कुचला जाता है। इस कारण–

- ❖ हिंसा के माता–पिता भी जिम्मेदार है और पति, सास, ससुर भी।
- ❖ बिना प्रयास के जल्दी से जल्दी अमीर बनने का सपना और औरतों को पैसा बनाने वाली मशीन के रूप में देखा जाना।
- ❖ महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर निर्भरता।
- ❖ औरत की यौनिकता पर नियंत्रण के चलते उस पर शक करना कि उसके किसी अन्य पुरूष से संबंध है।
- ❖ शराब खोरी की लत।
- ❖ समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव।
- ❖ इलैक्ट्रॉनिक मीड़िया का दुष्प्रभाव।

घरेलू हिंसा का व्यापक असर

महिलाओं पर घरेलू हिंसा निरंतर बढ़ा है। आज पुलिस के पास या परिवार परामर्श संस्थाओं के पास इस तरह के मामले ज्यादा आ रहे हैं। कई बार यह कहा जाता है कि हिंसा नहीं बल्कि जागरूकता के कारण हिंसा के खिलाफ शिकायत ज्यादा दर्ज होने लगी है। वस्तु–स्थिति यह है कि हिंसा निरंतर बढ़ रही है और उसमें ज्यादा क्रूरता भी आ रही है। चेन से बांध देना, ताला में बंद करके रखना, मारना पीटना, जहर देना, यौन शोषण करना, जला देना व तरह–तरह की मानसिक यातना देना अब आम बात है।

इसको बढ़ाने में कट्टरवादी वैश्वीकरण ने बहुत भूमिका निभाई है। महिलाएं उपभोग की वस्तु बनती जा रही है। संचार माध्यमों से उसके स्वरूप के विकृत किया है। महिलाओं की जागरूकता से पुरूषत्व को ठेस लगती है, इस कारण वह और ज्यादा हिंसक व्यवहार करता है। महिला को महिला के खिलाफ मोहरा बनाया जा रहा है, इसमें टी0सी0 सीरियल बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है।

2.3 घरेलू हिंसा के व्यापक प्रभाव

घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति मानसिक आद्यातों से वापस नहीं आ पाते, ऐसे मामले में लोग या तो अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है।

इस प्रकार घरेलू हिंसा से शिकार बालक–बालिकाओं के मस्तिष्क पर इस कदर प्रभाव पड़ता है कि लड़के गुस्सेल हो जाते हैं। इसके विपरीत लड़कियाँ दब्बू, डरपोक और आत्मविश्वास से कमजोर हो जाती है।

- ❖ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, क्षय महिला के व्यक्तित्व को कुचल देता है।

- ❖ महिला के काम, निर्णय होने, परिवार में आपसी रिश्तों और आस–पड़ोस के साथ रिश्तों एवं बच्चों पर भी इस हिंसा का सीधा प्रभाव देखा जा सकता है।
- ❖ इस कारण दहेज, मृत्यु, हत्या, आत्महत्याएं बढ़ी है, कभी–कभी वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति भी इसी कारण देखी गई है।
- ❖ औरतों की सार्वजनिक भागीदारी में बाधा होती है। महिलाओं की कार्यक्षमता घटती है। वह डरी–डरी रहती है। मानसिक रोगी बन जाती है जो कभी–कभी पागलपन तक पहुंच जाती है।

2.4 घरेलू हिंसा के स्वरूप

यह एक सामाजिक समस्या है क्योंकि हिंसा के कारण स्त्री अपने नागरिकों अधिकारों व इन्सान बनने के अधिकार से वंचित रह जाती है। घर में होने के कारण ही इसे व्यक्तिगत समस्या नहीं माना जा सकता है घर में हिंसा गैर बराबरी का एक लक्षण है। इस हिंसा से औरत की पहचान, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता व क्षमता सब पर प्रभाव पड़ता है।

1. लड़की के पिता के घर या पति के घर में अधिकार का न होना परोक्ष रूप से हिंसा का ही स्वरूप है।
2. घरेलू हिंसा प्रायः अदृश्य होती है क्योंकि इसके अन्तर्गत वे लोग होते हैं, जिन्हें प्राथमिक सम्बन्धी माना जाता है। इन सम्बन्धों को व्यक्तिगत माना जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा के आचरण में उन्हें सार्वजनिक रूप से बताना ठीक नहीं माना जाता है।
3. घरेलू हिंसा के अन्तर्गत पति का पत्नी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार के साथ–साथ माता–पिता व पुत्र–पुत्री के साथ, पुत्र व पुत्रवधू का वृद्ध माता–पिता अथवा सास–श्वसुर के साथ हिंसात्मक व्यवहार या प्रक्रियाएं शामिल हैं।

4. घर में लड़का–लड़की में भेद–भाव भी हिंसा है। यही भेद–भाव युवावस्था में लड़कों के स्वभाव में लड़कियों के प्रति दिखायी देता है।
5. घरेलू हिंसा का अन्य रूप दैनिक व्यवहार में अभद्र भाषा का प्रयोग है ।
6. महिला को वर्षों से न कानून से अधिकार प्राप्त था और न ही समाज से। इस कारण विवाह के बहुत वर्षों बाद भी जब चाहे स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह हिंसा का एक उग्र रूप है।
7. स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज न करवाना और स्त्री को पूरा भोजन न देना भी हिंसा है।
8. विधवा स्त्री को सताना तथा उसको उसका अधिकार न देना भी हिंसा मानी जाती है।
9. कन्या भ्रूण हत्या भी हिंसा है।

घरेलू हिंसा के शिकार

वह स्त्री जो पारिवारिक स्थिति में रहती है या ऐसा परिवार जो सामान्य नहीं कहा जा सकता है या दोनों माता–पिता जीवित हैं और साथ–साथ रह रहे हैं, आर्थिक रूप से निश्चिन्त है यानी सदस्यों की मूल और पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या उनके पति या ससुराल वाले का विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं या जिनके पति बहुधा मदिरापान करते हैं।

2.5 घरेलू हिंसा के प्रकार

हिंसा जो धन–अभिमुख होती हैं। हिंसा जो कमजोर पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। हिंसा जिसका उद्देश्य भोग–विलास है। हिंसा जो अपराधकर्ता की विकृति के कारण होती है। हिंसा जो तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थिति के कारण होती है।

1. अक्सर रूढ़िवादी परिवारों में लड़कों की परम्परागत तरीके से परवरिश की जाती है। नतीजे में युवक के दिमाग में औरत की जो छवि बनती है, वास्तविक जीवन में जब वे ऐसा नहीं पाते हैं तो उग्र हो जाते हैं।

2. गाली–गलौज और मारपीट करने वाले युवक खुद काम्पलेक्स (हीन भावना) का शिकार होते हैं और वह अपनी कमी को छिपाने या अपनी अहमियत को दर्शाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं।

3. समाज में अपनी अलग पहचान व आर्थिक स्वतंत्रता के कारण स्त्री–पुरुष का अहम भी उनके सम्बन्ध में आड़े आता है। मैं सही हूँ तुम गलत हो– दोनों एक दूसरे के सामने अड़े रहते है।

4. नशाखोर लोग तो हमेशा से ही अपनी पत्नियों का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते हैं। आज के जमाने में शराब के बढ़ते चलन ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है।

5. पतियों द्वारा पत्नियों पर हाथ उठाने के और भी कारण हो सकते हैं। मसलन पति का सनकी होना, बचपन में बड़ों द्वारा जरूरत से ज्यादा डांटना और मारा–पीटा जाना।

6. माँ व बहनों के दुर्व्यवहार के कारण स्त्रियों के पति अन्तंमन में उपजी कुंठा या नफरत, पति–पत्नी के बीच किसी तीसरे की घुसपैठ (खासकर सास–ससुर, माँ–बाप, ननद, जेठानी आदि)।

7. पत्नी का अवसर पति से पूछे बिना घर से घायब रहना, अधिकारों की मांग करना, कहीं भी आने–जाने में पति की सहमति अनावश्यक समझना या उनकी अवहेलना करते जाना जैसे कारण भी होते हैं।

8. पति का एजूकेशनल स्टेटस, प्रोफेशनल लाइफ या सोशल स्टेटस कैसा है, उसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। घटनाएं और मनोवैज्ञानिक

दोनों इस बात की तसदीक करते हैं लेकिन दिमाग की कोई खास अवस्था या वजह जरूरी होती है जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है।

यह मानना गलत होगा कि घरेलू हिंसा सिर्फ अनपढ़ या कम पढ़ी–लिखी और निचले तबके की महिलाओं के साथ होती है। आज के जमाने में अच्छे खासे घरों की पढ़ी–लिखी और कामकाजी महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। यह हिंसा को बढ़ावा देती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय महिला आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2007 से 15 मार्च, 2008 तक महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की 2993 शिकायतें मिलीं इनमें से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश की है।

आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामले में आयोग ने इस समयावधि के दौरान 2993 मामले दर्ज किए। इनमें से आधे से अधिक 1767 मामले उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल कुल 1665 मामले दर्ज किए गये, जबकि इस साल 15 मार्च तक 102 मामलें दर्ज हो चुके हैं।

दिल्ली इस मामले में उत्तर प्रदेश के नक्शेकदम पर चलते हुए दूसरे स्थान पर है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में इस अवधि में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के 467 मामले दर्ज किए गए। यहाँ वर्ष 2007 में 415 मामले दर्ज किए गये जबकि 15 मार्च 2008 तक 52 मामले दर्ज किए गए हैं।

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में दिल्ली के बाद राजस्थान तीसरे स्थान पर है जहाँ 121 मामले इस अवधि में दर्ज किए गए। राजस्थान के बाद हरियाणा का स्थान है, जहाँ 159 मामले दर्ज किए गए।

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में पहले तीन स्थान पर रहने वाले उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा राजस्थान में अभी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसमें कहा गया है कि कई ऐसे प्रदेश तथा केन्द्र शासित क्षेत्र है जहाँ इस अवधि में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

आँकड़ों के मुताबिक अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम ऐसे प्रदेश है जहाँ महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

इसी प्रकार केन्द्र शासित क्षेत्रों–अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी में घरेलू हिंसा का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। केरल, त्रिपुरा तथा दमन और दीव में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के केवल एक मामले दर्ज किए गए।

आँकड़ों पर नज़र डालें तो मध्य प्रदेश में 97 बिहार में 72, उत्तराखण्ड में 67, महाराष्ट्र में 33, झारखण्ड में 31 पंजाब में 29, छत्तीसगढ़ में 19, पश्चिम बंगाल में 16, आन्ध्र प्रदेश में 15 और कर्नाटक में केवल दस मामले दर्ज किए गये।

सूत्रों ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में आठ और हिमाचल प्रदेश में पाँच, असम, चंडीगढ़ और उड़ीसा में चार–चार जबकि जम्मू–कश्मीर और मेघालय में दो–दो मामले दर्ज किए गए।

उम्रदराज महिलाएं अपनी उम्र के पुरुषों की तुलना में अधिक तनावग्रस्त रहती हैं। अमेरिका में अनुसंधानकर्ताओं के दल ने अध्ययन कर पता लगाया है कि वृद्ध महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक तनाव होने की कई वजह हैं।

'येल विश्वविद्यालय' के स्कूल ऑफ मेडिसिन की प्रमुख अनुसंधानकर्ती 'लीसा बेरी' के अनुसार उम्र के आखिरी पड़ाव में तनाव स्वास्थ्य की एक प्रमुख

समस्या है और यह एक आम बात है। इसके अक्षमता जैसे गम्भीर परिणाम हो सकते है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को तनावरहित होने से अधिक तनावग्रस्त होने का अधिक खतरा है और वे तनाव से आसानी से नहीं उबर पाती।

अनुसंधानकर्ताओं ने ये निष्कर्ष 1998 की शुरुआत में 70 साल की उम्र से अधिक के 754 व्यक्तियों पर किए गए अध्ययन से निकाले है। उन्होंने इसके बाद हर 18 महीने बाद इन लोगों को मूल्यांकन किया। सर्वेक्षण में शामिल लोगों को जनसांख्यिकीय सूचना देने को कहा गया था।

इन लोगों पर तनाव के लक्षण जैसे दुखी रहना, सोने में समस्या होना भी देखे गए थे। पहले 17 प्रतिशत महिलाएं और पाँच प्रतिशत पुरुष तनावग्रस्त पाए गए। तीन साल बाद एक चौथाई महिलाएं इस तरह की समस्या से पीड़ित थीं, जबकि इनमें दस में एक पुरुष था।

'बैरी' ने 'आर्काइव्स आफ जनरल साइकोलॉजी' जर्नल में लिखा है कि शोध के नतीजों से पता चलता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक तनाव देखा गया है।

नौकरी एवं घर की जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बैठाने में स्त्रियों को बहुत मानसिक तनाव हो जाता है। कुछ महिलाओं के अनुसार उनका नौकरी करना उनके परिवार के सदस्यों व उनके पति को पसन्द नहीं हैं। वह लोग यह अपेक्षाएं रखते हैं कि वह घर में ही रहे व सारा काम करे। वहीं कुछ महिलाओं ने इसका कारण बताया कि उनके परिवार के सदस्य व पति पुराने ख्यालात के हैं और उन्हें स्त्रियों का बाहर जाना पसन्द नहीं हैं। इनके पति ये भी पसन्द नहीं करते कि उनकी पत्नी किसी पुरुष से बात करे। इस कारण भी इन महिलाओं को मानसिक तनाव रहता है।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रत्येक स्त्री ने एक ही कारक का वर्णन नहीं किया। उपरिलिखित कारकों में से अनेक कारकों को बताया इसलिए यहाँ प्रतिशत इस प्रकार से निकाला गया है, जिससे केवल यह बताया जा सके कि एक अमुक कारक को कितनी स्त्रियों ने बताया है। 2 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उनको अधिक कार्य व आराम के अभाव के कारण तनाव रहता है। 34 प्रतिशत महिलाओं के घर के कार्यों में सहायक के अभाव के तथा गृहस्थ परेशानियों के कारण तनाव रहता है। 14 प्रतिशत महिलाओं पर समय के अभाव का दोष लगाये जाने के कारण तनाव रहता है कि घर के अन्य कार्य कैसे होंगे क्योंकि कुछ महिलाएं एकाकी व कुछ खण्डित परिवारों से है घर में अन्य किसी और महिला के न होने के कारण व पति के दौरे पर जाने के कारण घर से बाहर अधिक रहना पड़ता है और घर में उनकी सहभागिता कम होने के कारण घर के कार्यों में कोई सहायता नहीं मिल पाती। 36 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार मानसिक तनाव के कारण नींद का अभाव रहता है। 6 प्रतिशत महिलाओं के पति की नौकरी अथवा व्यवसाय सुचारू रूप से न चल पाने के कारण भविष्य के प्रति चिन्तित रहती हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी क्योंकि दोनों की आय मिलाने पर भी घर के खचों में समस्या होती है। 16 प्रतिशत महिलाओं का कार्यस्थल घर से दूर होने के कारण मानसिक तनाव रहता है। कार्यालय आने–जाने में अधिक समय लगने के कारण घर से जल्दी निकलना पड़ता है और थोड़ी सी भी देर हो जाने पर कार्यालय में अधिकारी गुस्सा करते हैं। यहाँ तक कि कुछ कार्यालयों में वेतन से पैसा काट लिया जाता है।

18 प्रतिशत महिलाओं को बाहरी क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के अभाव के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई कार्य करना होता है तो यह पहले से मानसिक रूप से परेशान हो जाती है कि परिस्थितियों को किस प्रकार संभालेंगी। इन्ही कारणों से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और सिर दर्द, उच्च रक्तचाप तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

इस कारण अक्सर पति से झगड़ा भी हो जाता है। 6 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण पति से झगड़ा हो जाता है। 12 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर पति से झगड़ा होता है। वे कहती हैं कि कार्यालय से आने के बाद घर के काम करना और बच्चों को पढ़ाना इतने काम हो जाते हैं और पति काम में हाथ नहीं बंटाते। यदि वह पति से बच्चों को पढ़ाने के लिए कहती है तो उनके बीच झगड़ा हो जाता है। 10 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि ससुराल वालों से उनके सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण झगड़ा होता है। यदि उनके सास–ससुर किसी बात में हस्तक्षेप करते हैं तो पति से इस बात की चर्चा करने पर पति उल्टा उन्हें ही समझाते हैं कि ''सुन लिया करो'' परन्तु इन स्त्रियों को यह पसन्द नहीं है। इस प्रकार की दुर्बल सहन शक्ति के कारण व अन्य बहुत सी बातों को लेकर छोटी बातें झगड़े का रूप धारण कर लेती हैं।

8 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पति के बीच झगड़ा एक दूसरे को उपयुक्त समय न दे पाने के कारण होता है क्योंकि उनके पति का व्यापार है या वे कार्यालय के कार्य से अक्सर दौरे पर रहते हैं। इस कारण एक दूसरे को उपयुक्त समय नहीं दे पाते है। कुछ महिलाएं परिचायिका (Nurse) के पद पर कार्यशील हैं। इस कारण इनकी शाम के समय या रात्रि पहर में भी ड्यूटी रहती है। दोनों ही एक दूसरे को समय न दे पाने के कारण परेशान रहते हैं और छोटे–छोटे कारणों से ही बात बहुत बढ़ जाती है। इनका मानना है कि जब मन परेशान रहता है तो गुस्सा भी जल्दी आता है। दोनों ही एक दूसरे में कमी जताते हैं कि गुस्से पर नियंत्रण नहीं हैं 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पति उन पर विश्वास नहीं करते। यदि वह अपने पुरुष मित्र या सहकर्मी से बात करती है तो उसका गलत अर्थ निकालते है।

इन सभी कारणों से जब झगड़ा होता है तो उसका प्रभाव मनुष्य की मानसिक स्थिति पर पड़ता है जिससे वह मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है।

अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने का प्रयत्न तो करता है, परन्तु उन्हें निभा नहीं पाता। जब तक मन शान्त नहीं होता तो उससे स्वास्थ्य प्रभावित होने की सम्भावना तो रहती है साथ ही उसकी कार्य कुशलता पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है।

अधिकतर महिलाओं के कार्यालय से वापस आने के समय रात नहीं हुई होती है तथा जिनको कार्य करते हुए बहुत वर्ष हो चुके हैं उन्हें इतना डर भी नहीं लगता है, परन्तु निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाएं य परिचायिकाओं को घर वापस लौटने में अक्सर देर शाम या रात हो जाती है वह असुरक्षित महसूस करती हैं। रात होने पर वह चाहती हैं। कि उनके पति या घर से कोई लेने आ जाए।

एक निजी संस्थान में कार्य कर रही महिला ने बताया कि उन्हें अनुमति नहीं है कि वह शाम के 6 बजे के उपरान्त घर से बाहर रहें तथा उन्हें स्वयं भी डर लगता है। कार्यालय से घर दूर है। घर के आस–पास सन्नाटा भी रहता है। एक बार उन्हें घर के पास ही लोगों ने परेशान किया था, तब से वह डर गयी हैं। इस कारण प्रयास करती हैं। कि सूर्यास्त से पहले घर पहुँच जाएं।

एक अन्य डॉक्टर महिला ने बताया कि वह अपनी लम्बी ड्यूटी के दौरान यदि रात्रि में किसी कार्य से अपने छात्रावास तक आना चाहती है तो किसी पुरुष साथी के साथ ही आना उचित समझती है। यद्यपि उनका कमरा चिकित्सालय के पास ही है फिर भी यदि रात में 9 बजे के बाद आना हो तो किसी पुरुष सहकर्मी को साथ लेकर ही आना पड़ता है। कुछ निजी संस्था में अपनी महिलाकर्मियों को रात 9 बजे के उपरान्त कार्यालय की गाड़ी से घर छोड़ देते हैं, परन्तु यह सुविधा सबको प्राप्त नहीं है।

कुछ महिलाओं के अनुसार देर हो जाने पर यदि घर से कोई लेने आता है तो उससे आर्थिक समस्या उतनी नहीं होती, जितनी पुरुष वर्ग को इससे

उलझन महसूस होती है। आलस्यवश परिवार वालों के असहयोग के कारण पुरुष बहुधा स्त्रियों को लेने तभी आते हैं जब दोनों बिल्कुल पास–पास काम कर रहे हों स्त्रियाँ अधिकतर प्रयास करती हैं कि किसी सहकर्मी से सहायता न लेनी पड़े, क्योंकि हो सकता है कि उनके परिवार वालों को यह पसन्द नहीं आए। साथ ही उन्हें भी यह पसन्द नहीं है। डॉक्टर, अध्यापिकाओं तथा कार्यालय सहायक की श्रेणी की कुछ महिलाओं के पास अपना दो पहिया वाहन भी है। यह स्त्रियाँ कार्यालय आने–जाने में सक्षम हैं, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम है।

कुछ परिचायिका व डॉक्टर स्त्रियों की ड्यूटी रात में भी लगती है। यह रात्रि पहर की ड्यूटी बच्चे व अन्य सदस्यों को भी परेशानी करती है क्योंकि ''रात में छोटे बच्चे सोने में सबको परेशान करते है।'' जब वह रात भर काम करके लौटती है तो बच्चे को विद्यालय भेजना व अन्य काम करने होते हैं। आराम करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। उनका कहना है कि काम से वापस आने के बाद उनका मन भी करता है कि थोड़ी देर आराम कर लें, परन्तु काम की अधिकता के कारण संभव नहीं हो पाता।

कुछ महिलाएं जिन्हें सुबह जल्दी उठकर कार्यालय जाना होता है उनको सुबह 4 बजे उठकर सारा घर का कार्य करना होता है। बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना जिसमें समय अधिक लगता है। नाश्ता–खाना बनाना होता है। पति भी अक्सर कार्यालय के काम से शहर के बाहर रहते हैं। इस कारण कोई सहायक न होने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है एक महिला ने बताया कि घर की इन्हीं परेशानियों के कारण उनकी इससे पहले एक नौकरी छूट गयी थी क्योंकि उन्हें अक्सर देर हो जाती थी और कार्यालय में उनकी छवि भी ख़राब होने लगी थी। इस कारण उनको वहाँ से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

कुछ महिलाओं के अनुसार उनके व उनके पति के बीच झगड़ा होने से बच्चों की मानसिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है। वह चिड़चिड़े हो गये हैं, कुछ के बच्चे कभी–कभी अकेले में बैठकर बड़बड़ाते हैं, जिद्दी हो गये हैं। ऐसे परिवारों में प्रायः पति–पत्नी के झगड़े के कारण बच्चों की गलत जिद को भी पूरा किया जाता है और ये बच्चे समझ जाते हैं कि यदि वह ऐसा व्यवहार करेंगे, रोयेंगे या चिल्लायेंगे तो उनकी बात अवश्य मान ली जायेगी। ऐसा इस कारण से भी होता है जब कभी किन्हीं परिवारों में ऐसी स्थिति होती है तो पति पत्नी एक दूसरे की राय लेना या उनकी बात समझना आवश्यक नहीं समझते। दोनों के मन में एक ही भावना रहती है कि मैं बच्चे को अधिक प्यार करता या करती हूँ। ऐसी परिस्थिति में पति–पत्नी के अहम के कारण परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं और बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है।

किसी भी महिला ने यह महसूस नहीं किया कि उनकी अनुपस्थिति में बच्चों को आस–पड़ोस के लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि अधिकतर ये बच्चे या तो बाल–पोषण गृह (Creche) में या अपने दादा–दादी या नाना–नानी के पास रहते हैं। वर्तमान एकाकी परिवार व्यवस्था के कारण लोगों में इतना समय ही नहीं होता कि वह किसी और के जीवन में हस्तक्षेप करें। कुछ के बच्चे इतने बड़े हैं कि वह अकेले रह लें तथा कुछ के बच्चे घर में किसी नौकर के साथ रहते हैं, परन्तु अधिकतर उत्तरदाता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिन्तित रहती हैं क्योंकि वह उन्हें उतना समय नहीं दे पाती जितना एक साधारण गृहिणी देती है। कुछ कभी–कभी ऐसा भी सोचती है कि बच्चे कभी ये न कहें कि **'माँ ने उन्हें समय नहीं दिया।'**

अधिकतर महिलाएं, जो मानसिक तनाव से ग्रसित हैं वह किसी न किसी प्रकार से स्वस्थ भी नहीं हैं। इनको उच्च या निम्न रक्तचाप, माइग्रेन, एनीमियां आदि रोग हैं जिसका कारण अधिक मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता व आराम की कमी है। इन महिलाओं को केवल कार्यालय में ही अपनी भूमिका

नहीं निभानी होती है वरन् एक बेटी, पत्नी, बहू, माँ व एक गृहिणी की भूमिका भी निभानी होती है। इन पर बहुत से कार्यों की जिम्मेदारी रहती है। इस कारण जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न परिस्थितियों का सामना करना होता है। इतनी जटिल परिस्थितियों में सामंजस्य बैठा–बैठाते यह महिलाएं मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाती हैं। यदि घर के कार्यों के कारण कार्यालय में देर हो तो वहाँ अधिकारी से या घर में समय के अभाव के दोष के कारण घरवालों से तनाव मिलता है। इन्हीं कारणों से पति–पत्नी के बीच तनाव होने से बच्चों के पालन–पोषण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। देर रात या रात ड्यूटी करने वाली महिलाएं असुरक्षा तथा विश्राम के अभाव के कारण तनावग्रस्त रहती हैं। संयुक्त परिवारों में रहने वाली महिलाएं परिवार के अन्य सदस्यों का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करती हैं। इस कारण (Creche) को बेहतर विकल्प मानती है।

बहुत सी महिलाओं का नौकरी करना उनकी आर्थिक परवशता है। यह महिलाएं बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित होने तथा कार्यालय व घर से प्रताड़ित होने के बावजूद भी परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। अपने परिवार को पूरा समय देने का प्रयास कर रहीं है क्योंकि इन्हें एक बेटी, पत्नी, बहू तथा माँ की भूमिका के साथ एक कार्यकर्ता की भूमिका को सफलतापूर्वक निर्वाह करना होता है। इन महिलाओं को एक आत्मसन्तुष्टि है कि यह आर्थिक रूप से सशक्त हैं, किसी पर निर्भर नहीं हैं। इस प्रकार के सशक्तिकरण के पीछे समाज का बदलता हुआ परिदृश्य भी जिम्मेदार है। घर से बाहर निकलने वाली स्त्रियाँ अपने जैसी अन्य स्त्रियों के सम्पर्क में आती हैं तथा संचार के माध्यम के प्रभाव के कारण सशक्त हो जाती हैं क्योंकि वह कार्यक्षेत्र में अकेलापन महसूस नहीं करती हैं। इन कार्यशील महिलाओं को एक समूह है जिसके माध्यम से यह महिलाएं एक दूसरी से मानसिक सम्बल प्राप्त कर लेती है।

कार्यशील महिलाएं चूंकि आर्थिक रूप से सशक्त हैं, इसलिए उनको लेकर सहायता सम्बन्धी परियोजनाएं अलग से नहीं बनायी जाती हैं, परन्तु सभी महिला समस्याओं एवं समाधान और सहायता कार्य को समर्पित अनेक गैर सरकारी संगठन लखनऊ में कार्यरत हैं जिनकी चर्चा अगले अध्याय में की गयी है। कार्यशील महिलाएं जब अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हो जाती हैं और स्वयं सहायता नहीं कर पाती हैं तो कभी–कभी इन संगठनों की शरण में जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव 'बान की मून' ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर गहरी चिंता जतायी है। उन्होंने कहा कि इसे ''कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्षमा नहीं किया जा सकता और न ही सहन किया जा सकता है।''

'बान' ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खात्मे के लिए एक वैश्विक अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि इसके कारण सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की उपलब्धियों पर असर पड़ रहा है। एमडीजी का मकसद सन् 2015 तक सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयों को काफी हद तक कम करना अथवा समाप्त करना है।

उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ अभियान है उन महिलाओं और बालिकाओं के लिए अभियान है जिन्हें हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। यह अभियान उस नुकसान को रोकने के लिए हैं जो मानवता पर इस हिंसा के कारण पड़ा है।

बान ने कहा कि ''महिलाओं के खिलाफ हिंसा से आर्थिक एवं सामाजिक तरक्की बाधित हुई हैं। लिहाजा नया अभियान एमडीजी हासिल करने की अवधि 2015 तक जारी रहेगा।'' 'बान' ने कहा कि इस बुराई के खात्मे के लिए प्रत्येक देश को अपने खुद के उपाय निरूपित करने चाहिए। उन्होंने कहा ''सभी देशों'' संस्कृतियों एवं समुदायों पर लागू होने वाला एक सार्वभौमिक

सत्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा मान्य नहीं है, क्षम्य नहीं है और असहनीय है।

लैंगिक मुद्दे तथा महिलाओं की तरक्की से जुड़े मामलों पर महासचिव के विशेष सलाहकार रसेल एन मायान्जाश ने कहा कि हर कोई वकालत करता है कि प्रत्येक चीज के विकास के लिए महिलाओं का योगदान जरूरी है लेकिन इसे ष्उचित ढंग से तवज्जो नहीं दी गयी। उन्होंने कहा कि हम सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तय अवधि के आधे रास्ते में हैं, और हम अभी भी पीछे चल रहे हैं। कई महिलाएं विकास के प्रयासों में छूट गयी हैं वजह है उनके खिलाफ हिंसा का जारी रहना नया अभियान इस दुखदायी मुद्दे से निपटने की जरूरत को दर्शाता है। 'मैन अगेंस्ट वायलेंस एण्ड अब्यूज' से जुड़े 'प्रतीत सुमन अवस्थी' सहित कई वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक सामाजिक समस्या से अधिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। उनका कहना या कि ''जब महिलाएं लम्बे समय से वंचित अपने अधिकार को चाहती हैं तो उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है।''

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोश की यूथ एडवाइजरी की तरफ से बोलते हुए अवस्थी ने कहा कि समाज में महिलाओं को अधीन रखने के लिए इस (हिंसा) एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है।

अवस्थी ने कहा कि जब तक महिलाओं के साथ बलात्कार और दुर्व्यवहार होता रहेगा तब तक सभी को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने जैसे विकास सम्बन्धी लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। वक्ताओं का कहना था कि युवाओं की खासी तादात विकासशील देशों में है। उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। साथ ही इस मुद्दे को सामाजिक समस्या के बजाय मानवाधिकार का मुद्दा मानना चाहिए। कुछ वक्ताओं ने महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया तो कुछ ने सुझाव दिया कि आत्मरक्षा के लिए उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2.6 महिलाओं का उत्पीड़न

महिलाओं का उत्पीड़न, दहेज हत्या, यौन शोषण व मारपीट के द्वारा होता है। इस समस्या की व्याख्या के लिए "व्यक्तित्व उपागम और परिस्थिति उपागम की व्याख्याष करनी पड़ेगी।

हिंसा के कारण

1. पीड़ित द्वारा भड़काना।
2. नशा।
3. महिलाओं के प्रति विद्वेष।
4. परिस्थिति वश प्रेरणा।
5. व्यक्तित्व की विशेषताएं।

घरेलू हिंसा के अपराधकर्ता

1. जो अवसाद ग्रस्त होते हैं या जिनमें हीन भावना और आत्म सम्मान कम होता है।
2. जो व्यक्तित्व के दोषी और मनोरोगी होते हैं।
3. जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं और प्रतिभाओं का अभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व समाज में वैज्ञानिक रूप से विकृत होता है।
4. जिनकी प्रवृत्ति में मालिकानापन, शक्कीपना और प्रबलता है।
5. जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति में रहे हों या जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हों या जो मदिरापान करते हों।

2.7 हिंसा की प्रकृति, विस्तार और विशेषताएं

अ. अपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या।

ब. घरेलू हिंसा : जैसे– दहेज सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं या वृद्ध औरतों पर हिंसा का प्रयोग।

स. सामाजिक हिंसा : जैसे–पत्नी/पुत्रवधू को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़–छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इन्कार करना, अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्रवधू को दहेज लाने के लिए सताना आदि।

बलात्कार

बलात्कार की समस्या भारत में अन्य देशों की तुलना से ज्यादा गंभीर नहीं है। अमेरिका में यह प्रति लाख पर लगभग 26 प्रतिशत है। कनाडा में 8 प्रतिशत है तो इंग्लैण्ड में एक लाख जनसंख्या पर 5.5 प्रतिशत है। भारत में इसकी दर 0.5 प्रति एक लाख जनसंख्या पर है।

भगा ले जाना और अपहरण करना

एक नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु का लड़का) कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाने या फुसलाने को अपहरण कहते है। अपहरण में उत्पीड़क की सहमति महत्वहीन होती है, परन्तु भगा ले जाने में उत्पीड़क की स्वैच्छिक सहमति अपराध को मापन करवा देती है।

अपहरण

(अ) अविवाहित लड़कियों को भगा ले जाने के शिकार बनने की संभावना विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है।

(ब) भगा ले जाने व उनके शिकार अधिकांश प्रकरणों में एक दूसरे से परिचित होते हैं।

(स) भगा ले जाने व उसके शिकार का प्रायः प्रारम्भिक सम्पर्क सार्वजनिक स्थानों के बजाय उनके घरों व पड़ोसी में होता है।

(द) भगा ले जाने के दो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य–मैथुन (सेक्स) और विवाह होते हैं।

(य) 80 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में भगा ले जाने के पश्चात् लैंगिक आक्रमण होता है।

(र) माता–पिता का नियंत्रण और परिवार में स्नेहपूर्ण सम्बन्धों का अभाव परिचित व्यक्ति के साथ घर से भगा ले जाने के कारण होते हैं।

हत्या

नारी हत्या का प्रमुख कारण छोटे–मोटे घरेलू झगड़े, अवैध सम्बन्ध और स्त्रियों की लम्बी बीमारी होती है।

दहेज से सम्बन्धित हत्या

दहेज हत्या की महत्त्वपूर्ण स्थितियाँ निम्न हैं–

(अ) मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है।

(ब) लगभग 70 प्रतिशत पीड़िताएँ 21–24 वर्ष आयु समूह में होती है।

(स) यह समस्या निम्न जाति की समस्या की अपेक्षा उच्च जाति में अधिक होती है।

(द) वास्तविक हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया या अपमानित किया जाता है।

पत्नी को पीटना

1. जब पत्नी की उम्र 25 वर्ष की आयु से कम होती है।
2. वो पत्नी जो अपने पति से पाँच वर्ष से अधिक छोटी होती है।

कारण

(अ) यौन सम्बन्धी असमायोजन।

(ब) भावात्मक गड़बड़ी।

(स) पति का गर्वित अहम या हीन भावना।

(द) पति का पियक्कड़ शराब पीने की लत होना।

(य) हिंसा में ईर्ष्या और पत्नी की निष्क्रिय कायरता।

विधवाओं के विरुद्ध हिंसा

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में पीटना, भावनात्मक उपेक्षा, यातना, गाली–गलौज करना, लैंगिक दुर्व्यवहार, सम्पत्ति में वैध हिस्से से वंचित करना और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सम्मिलित है।

2.8 घरेलू एवं विश्व की लोकोक्तियाँ

जे0 पी0 आत्रे, रीडर लैण्ड, डॉ0 राम आहूजा तथा डॉ0 बैली के अनुसार उत्पीड़न से तात्पर्य एक ऐसे व्यवहार या कार्य से है जिसमें नारी को शारीरिक व मानसिक रूप से चोट पहुँचाना है। महिला उत्पीड़न के अन्तर्गत घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति की गई हिंसा में प्रमुख है स्त्रियों को मारना पीटना, उनको जलाना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना या महिलाओं को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार चाहे यह कार्य व व्यवहार उसके पति या परिवार के अन्य सदस्यों अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा में पत्नी को मारना पीटना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, दहेज हत्या करना, उनका बलात्कार करना उनका यौन शोषण करना, उनका अपमान करना, तिरस्कार व उनकी उपेक्षा करना। इसके अलावा संचार माध्यम से स्त्रियों की क्षवि को गलत ढंग से प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करना आदि हिंसाएं आती हैं (गांधी व शाह, 1997)।

15 अगस्त, 1988 को महिलाओं के पारिवारिक अत्याचार के विरुद्ध एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मानवीय विकास व भारतीय सेवाओं की प्रतिष्ठित निर्देशिका श्रीमती प्रमिला कपूर, सुशीला रोहतगी, माग्रेट अलवा,

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डी० एम० देसाई आदि विभूतियों ने भाग लिया। इनके अनुसार ''महिला उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण महिलाओं की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता है।''

टाइम्स ऑफ इण्डिया प्रकाशन से प्रकाशित, महिला समस्याओं पर आधारित मासिक पत्रिका फेमिना के अंक दिसम्बर, 1991 के सम्पादकीय में पत्नी उत्पीड़न पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया है– ''लगता था कि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति भी बेहतर होगी। नई शिक्षा एवं आधुनिकता समाज में जागृति लाएगी और महिलाएं भी पुरुष की तरह समाज में अवसर पाकर एक नये समाज की संरचना में हाथ बटाएंगी, लेकिन दुर्भाग्य से वैसा नहीं हुआ। महिलाएं आगे जरूर आई हैं तथा हर क्षेत्र में पहले की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रही हैं, पर महिला उत्पीड़न की घटनाएं कम नहीं हुई। नतीजा यह है कि महिलाएं आज भी अपने–आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दहेज हत्याएं, बलात्कार, शारीरिक–मानसिक उत्पीड़न के चलते समाज में स्त्री–पुरुष विभाजन की भी नई स्थितियाँ बनीं हैं। कामकाजी आधुनिक नारी को भी बहुधा कई अवरोधों का सामना करना पड़ रहा हैं। यह भी एक सच्चाई है कि उत्पीड़न के तौर–तरीके व मात्रा में फर्क भले ही हो, पर शहरी और ग्रामीण स्त्रियों समान रूप से अवहेलना, उपेक्षा और दमन का शिकार हो रही हैं।''

2.9 घरेलू हिंसा से होता है कुपोषण

भारतीय परिवारों में बड़े पैमाने पर किए गए एक अध्ययन से यह साबित हुआ है कि घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं और बच्चों में कुपोषण से प्रभावित होने की संभावना औरों की अपेक्षा ज्यादा होती है। उन्हें रक्त और वजन की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है।

यह तथ्य 'हार्वर्ड स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ' (एचएसपीएच) द्वारा किए गए एक अध्ययन से सामने आए हैं। एचएसपीएच में मानव विकास और

स्वास्थ्य तथा समाज विषय के प्रोफेसर एस0 वी0 सुब्रमण्यम का कहना है कि ''इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि घरेलू हिंसा और कुपोषण का आपस में गहरा सम्बन्ध है। भारत में भोजन न देना भी हिंसा का ही एक रूप है और यह स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है।''

उनके साथ हुई घरेलू हिंसा के आंकड़ों के साथ ही उनके रक्त के नमूने लिए गए। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन महिलाओं ने यह स्वीकार किया था कि पिछले एक वर्ष के दौरान वे एक से अधिक बार घरेलू हिंसा की शिकार हुई, उनमें रक्ताल्पता और वजन कम होने की शिकायत औरों के मुकाबले 1 और 21 फीसदी ज्यादा थी।

शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा का असर इतन ज्यादा है कि इसे रोककर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को रोका जा सकता है।

भारत में यदि नारी मुक्ति का बिगुल बजा है तो केवल एक ही सुर में यानि महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर कामकाज में संलग्न कर दीजिए और समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अहसान महिलाओं के ऊपर कर दिया है, किन्तु यह प्रश्न हमेशा रहेगा कि क्या सचमुच महिलाओं के घर से निकलने तथा कामकाजी होने मात्र से उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा? या क्या वे वास्तव में शोषण मुक्त हो जाएंगी?

महिलाएं कामकाजी तो सदा से रही हैं बल्कि घरेलू जिन्दगी में कोल्हू के बैल की तरह जुटी हुई हैं। हाँ इतना अवश्य है कि बाहरी कार्यक्षेत्र में आने से उनके कार्य को महत्व मिला है जो उन्हें घरेलू कार्यों में कतई नहीं मिलता बल्कि घरेलू कार्यों को उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझा जाता है, जिन कार्यों की न तो कभी तारीफ मिलती है और न ही उसका कोई मूल्य समझा जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में जागृति आने से महिलाओं के कदम विभिन्न रोजगदारों की ओर अग्रसर हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1981 से 1991 के दशक में रोजगार पुरुषों की संख्या 21.4 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि महिलाओं के आंकड़ो में 42.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। इस तरह के आंकड़े महिलाओं में अंकुरित हुए आत्मविश्वास को दशति है जो अपनी योग्यता और कार्यक्षमता से राष्ट्र की उन्नति में सक्रिय भागीदारी दर्ज करा रही है। लगता तो यही है कि रोजगार के क्षेत्र में कदम रखने से महिलाओं को कुछ फायदे नसीब हुए हैं किन्तु वास्तव में उन्हें परम्परागत कठिनाईयों के अलावा समस्याओं का अम्बार भी सौगात के रूप में मिला है। कोई भी महिला बाहरी तौर पर किसी कार्यक्षेत्र को अपनाने का निर्णय सदियों से चले आ रहे रूढ़ियों के भँवरजाल से निकलकर लेती है। फिर उसका अपने कार्यक्षेत्र में बने रहना या न रहना आज भी उस पर स्वयं निर्भर न होकर विवाह पूर्व पालकों पर तथा विवाह पश्चात् ससुराल पक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में अधिकांश लड़के उसी लड़की को पत्नी बनाना स्वीकार करते हैं जो घरेलू कामकाज के साथ–साथ नौकरीपेशा भी हो क्योंकि परिवार में सोने का अंडा देने वाली कामकाजी बहू आर्थिक सहारा सिद्ध होती है। इसीलिए कई बार यह मी देखने में आता है कि महिला स्वयं अपनी कमाई पर भी कोई अधिकार नहीं जता पाती, उसे अपने वेतन का पूरा हिसाब घर में देना होता है। यदि घर में नौकर–चाकर हों तो उनका वेतन, राशन, बच्चों की फीस, दवाई, कपड़े आदि का खर्च पूरी तरह से उसके वेतन पर निर्भर करता है।

महिलाएँ स्वयं पर खर्च करने में भी ऊहापोह की स्थिति में रहती हैं। घरेलू कार्यों तथा बच्चों की देखभाल से तो कभी मुंह मोड़ नहीं सकती। सारा दिन दफ्तर में पुरुषों के साथ बराबरी का कार्य करने के बावजूद घर में पति का सहयोग अर्जित करने का उसमें कोई साहस नहीं होता है। बच्चों की परवरिश के लिए यदि वह समय नहीं दे सकती है तो हीनताबोध से महिला ही ग्रस्त रहेगी। बच्चों में यदि कोई गलत आदत पनप जाएँ या वे कुसंस्कारित हो

जाएं तो इसकी जिम्मेदार वही मानी जाएगी। दफ्तर के आवश्यक कार्यों में भी यदि नियत समय से अधिक संलग्न रही तो परिवार के सदस्यों की नजर हमेशा उसके चरित्र के इर्द–गिर्द ही मंडराती रहेगी।

2.10 भारत में स्त्रियों की खुदखुशी के मौटे कारण (वर्ष 2020–21)–

मेरे लिए भारतीय नारी की स्वतन्त्रता और पुरुष स्वतन्त्रता में कोई अन्तर नहीं है। दोनों का अर्थ है आजाद देश के नागरिक होने की स्वतन्त्रता, चाहे उसका जेण्डर, जाति, धर्म, वर्ग कुछ भी हो– यानि शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर, कानून की निगाह में समानता, रोजगार प्राप्ति के अवसर या सामाजिक, कानूनी और आर्थिक रुप से एक नागरिकता स्वायत इकाई माना जाना। हमारे देश का बहुसंख्यक भाग, स्त्री–पुरूष दोनों, इस अर्थ में स्वतन्त्र नहीं है यह सही है कि पुरुष की तुलना में स्त्री को सभी साधनों में बनिस्बत कम हिस्सा मिलता है। पर ऐसे पुरुष से आजाद होने से जो खुद आजाद नहीं है, समस्या सुलझ नहीं सकती चाहें अन्त में उन्हें खुशखुशी के शिकार क्यों न होना पड़े।

खुदखुशी के कारण	2020	2021
गृहणी	-	13178
शादी विवाह के मुद्दे	4152	4069
बांझपन/निवीर्यता	165	222
पारिवारिक समस्या	16140	14769
नशीला पदार्थ	193	275
सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी	142	153
जमीन–जायदाद के विवाद	171	351
अवैध सम्बन्ध	315	278

शारीरिक प्रताड़ना	49	53
कैरियर सम्बन्धी दिक्कतें	234	417
अनचाहा गर्भ	39	50
विचार धारात्मक कारण	55	41

नोट– भारत में खुदखुशी के मामले में महिलाएं जिसकी संख्या 45026 आत्म हत्याओं के मामले हैं। जो सबसे ज्यादा महाराष्ट और इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश का स्थान है।

स्रोत– एनसीआरबी, 2020–21

2.11 बिहार में शराबबन्दी पर सर्वे रिपोर्ट : एक नजर

(आँकड़े % में मध निषेध पूर्व और बाद में)

1. महिलाओं के अनुभव के आधार पर

हिंसा	पूर्व में	बाद में
मानसिक हिंसा	77	11
मौखिक हिंसा	73	14
शारीरिक हिंसा	54	05
आर्थिक हिंसा	70	06
यौन हिंसा	15	04
शारीरिक प्रताड़ना यौन हिंसा	17	03

2. बच्चों के अनुभव के आधार पर

हिंसा	पूर्व में	बाद में
मानसिक हिंसा	30	05
मौखिक हिंसा	35	05
शारीरिक हिंसा	24	05
आर्थिक हिंसा	18	04
यौन हिंसा	01	00
शारीरिक प्रताड़ना यौन हिंसा	00	00

3. नशे के आदी लोगों का सामान्य व्यवहार

हिंसा	पूर्व में	बाद में
घर में दुर्व्यवहार	69	09
घर के सामान खराब करना	30	04
परिवार के साथ झगड़ना	35	05
पड़ोसियों के साथ झगड़ना	29	03
खुद को नुकसान पहुँचाना	27	03

नोट– शराबबंदी के आर्थिक प्रभाव

मध निषेध के बाद 43 प्रतिशत पुरुष खेती में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। 84 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि बचत ज्यादा हो रही है। 31 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि घरेलू आय में वृद्धि हुई है। शिक्षा पर होने वाला साप्ताहिक व्यय 364 रूपये से बढ़कर 612 रूपये हो गये। मध निषेध के पहले 92 प्रतिशत पुरुष अपनी आमदनी से शराब पीते थे। 63 प्रतिशत पुरुष पर 50

से 200 रूपये प्रतिदिन खर्च कर देते थे। 73 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि त्यौहारों एवं शादियों में होने वाले हंगामें में कमी आयी है। मध निषेध के बाद भी 19 प्रतिशत पुरूष शराब का सेवन करते हैं।

2.12 कोरोना संक्रमण के कारण घरेलू हिंसा पर प्रभाव

दुनिया भर में महिलाएं आज घरेलू हिंसा यौन, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विभिन्न स्तरों पर हिंसा का शिकार होती है। ऐसी पीड़ित महिलाएं समाज के हर वर्ग– अमीर हो या गरीब और हर आयु वर्ग– बूढ़ा या युवा हर जगह मिलती है। कोविड–19 महामारी में ऐसी महिलाओं के लिए खतरा बढ़ा दिया है जो महामारी से पहले से ही नाजुक स्थिति में जी रही थी। विश्व के विभिन्न कोने से मिली रिर्पोटों के अनुसार इस महामारी के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा में वृद्धि हुई है जिसने उनकी दुर्दशा को और बढ़ा दिया है।

पिछले दशकों के दौरान घरों के अन्दर और बाहर महिलाओं के प्रति व्यवहार में काफी बदलाव आया है लेकिन समाज के पुरुष प्रधान अवधारणाओं और दमनकारी सोच अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के रास्ते में बढ़ा रोड़ा है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध जज न्यायमूर्ति रूथ बेदर गिंसवर्ग ने जेंडर समानता को बेहतरीन शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था, ''मैं महिला होने के नाते अपने लिए कोई अनुग्रह नहीं चाहती। हमारे पुरुष वर्ग से बस इतना चाहती हूँ कि वे हमें पैरों की जूती समझना बन्द करें।'' दुनियाभर की महिलाओं के पास बांटने के लिए अपनी उत्पीड़न की, पीड़ा की, कष्ट की और सबसे महत्वपूर्ण असमानता का दासता है।

परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है और हिंसा मुक्त घर, हिंसा मुक्त समाज की कुंजी है। महिलाओं की सुरक्षा, आयोग की सबसे प्रमुख गतिविधियों में से एक है और कोरोना वाइरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी

लॉकडाउन के दौरान आयोग ने घरेलू हिंसा की घटनाओं की सूचना देने के लिए व्हाट्सएप पर आपात हेल्पलाइन नम्बर 7217735372 जारी किया था। आयोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी.आई.एस.एस.) के साथ मिलकर महिलाओं को सशक्त करने और हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद् के लिए एक परियोजना चला रहा है। यह परियोजना सात राज्यों– बिहार, असम, मेघालय, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में चल रही है। जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के समर्थन तंत्र को बढ़ावा देना और दण्ड न्याय प्रणाली के भीतर एक व्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है। इस परियोजना के अन्तर्गत सभी जिला मुख्यालय में पीड़ित महिलाओं के लिए मनोचिकित्सा और विधिक सेवायें देने हेतु प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाती है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की मिली सर्वाधिक शिकायतें– राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2020 में पिछले छह सालों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे अधिक शिकायतें मिली है। एन.सी.डब्ल्यू. के आँकड़े के अनुसार 23,722 शिकायतों में से करीब एक चौथाई घरेलू हिंसा के मामलों की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के आँकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से आयी है। उत्तर प्रदेश में 11,872 दिल्ली में 2,635, हरियाणा में 1266 बिहार में 1384 और महाराष्ट्र में 1188 मामले वर्ग हुए हैं। इनमें से कुल 5,294 शिकायतें घरेलू हिंसा के हैं। 23,722 शिकायतों में से 7708 शिकायतें गरिमा के साथ जीवन के अधिकार के तहत की गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के अनुसार आर्थिक असुरक्षा, तनाव के बढ़ते स्तर चिंता, वित्तीय परेशानियां और परिवार से कोई भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने के चलते वर्ष 2020 में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए है। उन्होंने बताया कि दंपती के लिए आजकल घर ही दफ्तर बन

गया हैं। बच्चों के भी स्कूल और कॉलेज घर से ही खुल गए है। ऐसी सूरत में एक ही समय में महिलाएं घर और दफ्तर साथ–साथ संभाल रही हैं। इसलिए छह साल में सर्वाधिक शिकायतें पिछले साल ही दर्ज की गई है। इससे पहले वर्ष 2014 में 33906 शिकायतें दर्ज की गई थी।

पीपुल्स अगेंस्ट रेप इन इंडिया की प्रमुख, महिला अधिकारी कार्यकर्ता योगिता मयाना ने कहा कि ज्यादा संख्या में शिकायतें मिलने के पीछे महिलाओं में शिकायत करने को लेकर बनी जागरूकता भी एक बजह भी हो सकती है, उन्होंने कहा कि सोशल मीड़िया की बजह से घरेलू हिंसा की शिकायतों के मामले बढ़े हैं, अब महिलाएं आवाज उठाती है और वे दबती नहीं हैं, जो कि अच्छी बात हैं।

तृतीय अध्याय

अध्ययन पद्धति एवं अध्ययन क्षेत्र

3.1 अध्ययन पद्धति

शोधकर्ता का सम्बन्ध बिहार के सिवान जिला हुसैनगंज, प्रखण्ड छाता पंचायत से लगभग तीन दशवीं से है। अतः शोध कार्य हेतु सिवान जिला के हुसैनगंज प्रखण्ड छात्रा पंचायत को आधार बनाया गया। सिवान जिला हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत का कुछ धार्मिक एवं राजनैतिक महत्व भी रहा है एवं यहाँ विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के लोगों का विभिन्न तरह के व्यवसायों एवं रोजगारों से घनिष्ठता सम्बन्ध रहा है, जिससे शोधकार्य के अध्ययन में गहनता का दर्शन हुआ।

समाजिक सर्वेक्षण एक गंभीर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है और अपने सर्वेक्षण द्वारा निर्भर योग्य निष्कर्षों को प्रस्तुत करना प्रत्येक सच्चे सर्वेक्षणकर्ता का पवित्र कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन मानमानों ठंडा से सर्वेक्षण कार्य को करके नहीं किया जा सकता। इसके लिए सुनिश्चित आयोजन की आवश्यकता होती है। कहा जाना है और कैसे जाना है यह सोचे समझे बगैर ही जो व्यक्ति घर से चल देता है, उसके लिए भटक जाना सरल होता है। यही बात सामाजिक सर्वेक्षण पर भी लागू होती है। क्रमबद्ध आयोजन के बिना सर्वेक्षण में सफलता उतनी ही अनिश्चित है जितना कि योजनाहीन रूप में किसी व्यापार में धन लगाकर लाभ की आशा करना। सामाजिक सर्वेक्षण में विभिन्न प्रयोजनों जनजीवन के प्रतिमानों तथा समस्याओं को मनमाने ढंग से समझा जा सकता है। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम उन समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने में जिनका सामना सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन में सर्वेक्षणकर्ता को करना पड़ता है। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए सर्वेक्षणकर्ता को पर्याप्त कुशलता व दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है।

सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन में उपयुक्त समस्याएं भी सर्वेक्षण का आयोजन न बुद्धिमतापूर्ण किया जाता है और सर्वेक्षण के उद्देश्य की पूर्ति भी की जाती है। इस प्रकार के आयोजन के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं–

1. समस्या का चुनाव
2. उद्देश्य का निर्धारण
3. अध्ययन विषय को परिभाषित एवं परिसीमित करना
4. प्रारम्भिक तैयारियाँ
5. निर्देशन का चुनाव
6. बजट का निर्माण
7. समयसूची का निर्माण
8. अध्ययन पद्धति का चुनाव
9. अध्ययन के उपकरणों का निर्माण
10. कार्यकर्ताओं का चुनाव तथा प्रशिक्षण
11. सर्वेक्षण का संगठन
12. पूर्व परीक्षण तथा पूर्वगामी सर्वेक्षण
13. अध्ययन साधनों का वितरण
14. समुदाय को तैयार करना
15. तथ्यों का संकलन
16. तथ्यों का संपादन
17. तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन
18. तथ्यों का विश्लेषण तथा निष्कर्षीकरण
19. रिपोर्ट का निर्माण व प्रकाशन

3.2 प्रविधि

इस शोध कार्य को सम्पन्न करने के लिए अध्ययन क्षेत्र से एकत्रित किए गए आँकड़ें विभिन्न जाँच/स्केल के आधार पर तैयार किया गया है।

- ❖ प्रथम चरण में क्षेत्र के सिवान जिला हुसैनगंज प्रखण्ड के पुलिस थानों में जाकर महिलाओं से संबंधित आपराधिक काण्ड के स्वरूप के प्रश्नोत्तर के लिए तैयार किया गया और पीड़ित महिलाओं के बारे में सही सूचना देने के लिए भी सहमति लिया गया।
- ❖ दूसरे चरण में व्यक्तिगत सूचना बैंक का चुनाव किया गया। इसके आधार पर उत्तरदात्रियों का परीक्षण किया जाना था।
- ❖ तीसरे चरण में सूचनादात्रियों को निर्धारित समय और स्थान पर एकत्रित कर सहयोग के लिए तैयार किया गया और परीक्षण किया गया तथा आँकड़ों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर शोध कार्य को आगे बढ़ाया गया।
- ❖ चौथे और अंतिम चरण में सहायक ग्रंथ का चुनाव विभिन्न पुस्तकालयों से किया गया और उसका सही स्वरूप प्रदान कर कम्प्यूटर टंकण करवाकर शोध ग्रंथ को तैयार करवाया गया।

अपने अध्ययन कार्य में अनुसंधानकर्ता आज जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जो निम्न हैं–

1. निरीक्षण पद्धति (Methods of Observation)

(क) अन्तदर्शन पद्धति (Introduction Method)

(ख) बहिदर्शन पद्धति (Objective Observation Method)

(ग) प्रयोगात्मक पद्धति (Experimental Method)

2. विवरण पद्धति (Methods of Experiment)

(क) विकासात्मक पद्धति (Development of Genetic Method)

(ख) व्यैक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति (Case History Method)

(ग) तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method)

(घ) मनोविश्लेषण पद्धति (Psycho-analytic Method)

(ड़) प्राधिकीय पद्धति (Pathological Method)

(च) सांख्यिकी पद्धति (Statistical Method)

(छ) प्रक्षेपण प्रविधियाँ (Projective technices)

इस अध्ययन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपने सहानुभूति पूर्ण प्रश्नों द्वारा एक विशेष व्यक्ति के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे कि उसे जानकारी चल जाए की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के जीवन पर कौन–कौन–सी सामाजिक हिंसा परिस्थितियों का प्रभाव प्रमुख रहे हैं और उन परिस्थितियों का उसके मनोसामाजिक जीवन एवं उसके व्यवहारों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस पद्धति की सफलता अनुसंधानकर्ता की कुशलता, बुद्धिमत्ता तथा लोगों को प्रभावित करके उनसे खबरे मालूम करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अनुसंधानकर्ता स्वयं भी प्रायः उस व्यक्ति को इस प्रकार का प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के उत्तर में उसकी इस प्रकार सहायता करते हैं कि वह व्यक्ति ठीक वही कहता है जो अनुसंधानकर्ता सुनना चाहते हैं।

3.3 अनुसूची

(क) निरीक्षण अनुसूची

(ख) मूल्यांकन अनुसूची

(ग) संस्था सर्वेक्षण अनुसूची

(घ) साक्षात्कार अनुसूची

(ड़) प्रल्लेखीय अनुसूची

शोधकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग अपने अध्ययन को वैज्ञानिक एवं गुढ़ बनाने हेतु किया है। सिवान जिले हुसैनगंज प्रखण्ड के पुलिस थानों के अन्तर्गत निवास करने वाली घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का अध्ययन करते समय परिवार के मुख्य महिलाओं से भी साक्षात्कार किया गया है। पीड़ित महिलाओं के साथ साक्षात्कार पर आधारित है और आंशिक रूप से महिला मुखिया के साथ साक्षात्कार पर आधारित है।

इस प्रकार जिस अनुसूची का व्यवहार इस अध्ययन में किया गया है वह साक्षात्कार अनुसूची।

- ❖ महिलाओं का सामाजिक स्तर
- ❖ महिलाओं का पारिवारिक संरचना
- ❖ महिलाओं का खान–पान का स्तर
- ❖ धार्मिक निर्योग्यताएं
- ❖ कार्य का स्वतंत्र चुनाव

के सिद्धांत पर की गई है तथा उसी से सम्बन्धी तथ्यों को एकत्रित किया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख खंड है–

- ❖ सूचनादाताओं का परिचय
- ❖ पारिवारिक जीवन
- ❖ आर्थिक जीवन
- ❖ धार्मिक जीवन
- ❖ शिक्षा
- ❖ आवास
- ❖ स्वास्थ्य

इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न खण्डों के माध्यम से हिंसा से पीड़ित सूचनादात्रियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ हासिल की गई है।

3.4 साक्षात्कार

सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। साक्षात्कार के समय शोधकर्ता को बहुत से उलझे हुए उत्तर प्राप्त होते हैं। एक साक्षात्कार का अर्थ किसी विषय पर किसी व्यक्ति के आमने–सामने का मुलकात है।

साक्षात्कार का तरीका हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अध्ययन के उद्देश्य से काफी सफल सिद्ध हुए है। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया गया है।

- ❖ औपचारिकता या नियंत्रित साक्षात्कार
- ❖ औपचारिकता या अनियंत्रित साक्षात्कार

साथ ही उत्तरदात्रियों की संख्या के आधार पर भी साक्षात्कार को दो भागों में विभक्त किया गया है–

- ❖ व्यक्तिगत साक्षात्कार
- ❖ सामूहिक साक्षात्कार

प्रस्तुत शोध अध्ययन बिहार सिवान जिले हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के दोनों प्रकारों के साक्षात्कार के माध्यम से ही शोधकर्ता ने उत्तरदात्रियों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। साक्षात्कार का यह तरीका सामाजिक अनुसंधान में अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त साबित हुआ, खासकर तथ्यों के संकल में उसका खास महत्व साथ ही जो परिणाम देखने को मिला। वह अधिक विश्वसनीय सिद्ध हुआ।

3.5 निरीक्षण

प्रस्तुत अन्वेषिका ने भी तथ्यों के परीक्षण के आधार पर परीक्षा रूप से निरीक्षण पद्धति का प्रयोग किया तथा उससे प्राप्त सूचनाओं को संकलित किया। अपने अनुसंधान के क्रम में सुविधाजनक ढंग से चुने प्रतिनिधि इकाइयों

से साक्षात्कार करने के कार्य करीब तीन महीना में सम्पादित हुआ। इस दौरान प्रस्तुत शोधकार्य ने पीड़ित महिलाएं जो सिवान जिला हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत के पुलिस थानों के अन्तर्गत निवास करती हैं का अध्ययन किया। कुल 200 उत्तरदात्रियों का अध्ययन किया गया है तथा लक्ष्य संकलित किया गया है।

इन सब गाँवों में साक्षात्कार करने के मध्य अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि विभिन्न गाँवों के थान प्रखण्डों से शोधकर्ता के निवास से काफी दूरी पर है तथा उस गाँवों में पहुँचने का एक मात्र साधने रिक्शा तथा और सड़क परिवहन एवं मोटरसाइकिल से भी बहुल कठिनाई होती थी, फिर इस दौरान भाड़े की रकम को ध्यान में रखकर अनुसंधान किया गया। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या फिर वाटिस उस समय में भी शोध अध्ययन को ध्यान में रखकर सुबह से शाम तक लगाकर अध्ययन क्षेत्र में कार्य करते रहे।

कुछ लोगों से मिले जिनसे सम्पर्क करने के लिए उनके यहाँ दो–तीन बार जाना पड़ता था, लेकिन काम हो गया फिर कुछ व्यक्तियों ऐसे मिले जो समय देकर उस समय तक प्रतिक्षा के लिए नही रूके। शायद उनकी मन का प्रश्नोत्तर यही था।

कुछ जातिगत प्रश्नों का उत्तर पाने में काफी समय लगा। क्योंकि उन लोगों का उस समय घुमा फिराकर अपने अध्ययन से संबंधित जानकारी हासिल करनी पड़ी। कई उत्तरदात्रियों ने आम संबंधी प्रश्न करने पर बहुत घबराते थे और जो अपने आप में धैर्य रखकर उन्हें समझाना पड़ा और उनसे ली गई सूचनाएं को गुप्त रखी जाएगी।

बावजूद उपर्युक्त कठिनाईयों के एक समय, एक पक्ष ऐसा भी मिला जो अत्यधिक सराहनीय है। क्योंकि उस समय उच्च कोटी सदाचार की भावना उनसे व्याप्त देखने को मिला।

इन सब अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिवान जिला हुसैनगंज प्रखण्ड क्षेत्र का अध्ययन बहुत ही रोचक रहा। समस्या भी अनेक समय–समय पर आयी, लेकिन उससे अनेक बहुमूल्य अनुभव भी प्राप्त हुआ।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धतियों के दोष और गुण दोनों ही है। परन्तु अगर उन्हें एक योग्य अन्वेषण सही अर्थ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयुक्त करे तो निश्चय ही वैज्ञानिक तरीकों का प्रतिपादन कर किया जा सकता है। इस संबंध में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन–सी पद्धति सबसे अच्छी है। सिर्फ यही मन में उतर आयेगा कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक संस्कृति परिस्थितियों में मानव का व्यवहार का विज्ञान है और यह व्यवहार अनेक रूप में तथा विभिन्न दशाओं में और परिस्थितियों में प्रकट होता है। इस कारण किसी एक पद्धति की मदद से अध्ययन करना न तो उचित होगा और न ही वह किया ही जा सकता है। फिर भी शोधकर्ता ने बिहार सिवाज जिला हुसैनगंज प्रखण्ड थाना पंचायत के पुलिस थाना का दौरा कर लगभग 600 से अधिक विभिन्न वर्ग एवं 20–60 वर्ष उम्र की हिंसा से पीड़ित महिलाओं से निरीक्षण पद्धति एवं व्यक्ति जीवन अध्ययन पद्धति को आधार बनाकर अपने शोध कार्य का सम्पादन किया।

3.6 अध्ययन के दौरान उत्पन्न समस्याएं

आज का युग अनुसंधान एवं अन्वेषण का है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सतत् अन्वेषण चल रहा है। जिसके जरिए प्रयास किया जा रहा है कि विज्ञापन की इस शाखा के विभिन्न समस्याओं का सही उत्तर प्राप्त हो सके। मनोविज्ञान की भी अनेकानेक समस्याएँ हैं जिनका अध्ययन अपने स्थान पर नितान्त आवश्यक है। सभी प्रकार के अध्ययन के लिए एक ही प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती। वरन् विषय विशेष के अनुसार प्रक्रियाएं अपनायी होती है। प्रस्तुत विषय पर विशेष जानकारी हेतु तदनुरूप प्रविधि ही अपनायी गई है, जिससे विषय विशेष पर समुचित प्रकाश मिल सके।

प्रस्तुत विषय बिन्दु बिहार सिवान जिले के पीड़ित महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए उसी के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति प्रयोग में लायी गई है, जिससे अनुसंधान संबंधी उठने वाली विभिन्न समस्याओं का निदान हो सके।

शोधकर्ता के समुख भाषा सम्बन्धी समस्या का जटिल समस्या होती है जो साधारण क्षेत्रीय कार्यकर्ता के सामने आ दिखायी देती है, लेकिन यह समस्या प्रस्तुत शोधकर्ता के सामने उपस्थित नहीं हुई कारण उत्तरदायी की क्षेत्रीय भाषा तथा शोधकर्ता की क्षेत्रीय भाषा में काफी समानता थी, बल्कि लगभग एक ही थी। अतः शोध अध्ययन के समय भाषा संबंधी ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा।

जिस क्षेत्र का आदमी हो उससे यदि क्षेत्रीय भाषा में ही वार्तालाप हो तो उसे कुछ आत्मीयता का बोध होता है। यदि किसी अपरिचत व्यक्ति द्वारा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक पहलुओं पर कुछ पूछा जाए तो कतराना और स्वाभाविक होगा और सही उत्तर देने में सोचेगा। खासकर अशिक्षित के लिए। प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान इसका भी सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अधिकतर उत्तरदायी पढ़ी–लिखी और हिंसा के प्रति अपने को समझदार दिखायी दी।

शोध अध्ययन के समय प्रश्न पूछते ही उत्तरदात्रियों के मन में भिन्न–भिन्न प्रकार की शंकाएं आयी, विशेषकर आय संबंधी प्रश्न को लेकर क्योंकि यह शंका सदैव दिखायी दी कि कहीं अधिक आय बतलाने पर सरकारी विभाग आयकर द्वारा उसको सूचना नहीं न मांगें जा रहे और आयकर विभाग को नहीं न दे देगें तब उस समय ऐसी पृष्ठभूमि में उस क्षेत्र के कुछ ऐसे व्यक्ति से सम्पर्क किए और अनुसूची प्रपत्र को दिखाकर या प्रथम अवस्था में एक या दो प्रश्न कर इस शंका को दूर कर दिए। तब अध्ययन के समय शोधकर्ता ने

जिस गाँवों में काम किया उस गांवों को दो–एक शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने में मदद की।

प्रस्तुत अनुसूची में कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो उत्तरदायी उसका जबाव देना नहीं चाहा या साफ–साफ नहीं बतलाना चाहते हैं। उदाहरणस्वरूप – क्या आप दहेज देना पसंद करते हैं ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अनेक लोगों ने जबाव देना ही पसंद नहीं किया और कुछ उत्तरदायी ने जबाव भी नहीं दिया हो स्पष्ट नहीं या इस तरह का जबाव दिया जो कि गलत प्रतीत होता है। क्योंकि समाज ही एक बहुत बड़ा मात्र दहेज लेते और देते हो प्रायः देखा जाता है लेकिन इस प्रश्न का जबाव नकार देते हैं। ऐसी स्थिति में अध्ययन के समय काफी समस्याएं उत्पन्न हुई।

फिर एक प्रश्न है– क्या जातिगत आधार आपकी जाति से अन्य जाति के सदस्य द्वेष रखते हैं या कौन सी जाति को अपने से उच्च समझती है तथा कौन सी निम्न समझती है–

यह भी ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सूचनादाताओं ने देने में कठिनाई अपने आप में महसूस कर रही थी फिर जबाव भी दिया तो जाति का नाम नहीं बतलाना चाहा, जिससे अपनी प्रश्न को घुमाकर अपने काम से संबंधित जानकारी हासिल करनी पड़ी।

एक प्रश्न आय से संबंधित है कि आपकी मासिक आमदनी कितनी है। इसका जबाव देने में उनके मन में शंका आयकर विभाग को आने लगा लेकिन जब फिर उत्तरदायी को अपने अध्ययन के बारे में बताया जाता और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता कि उनकी सूचना सिर्फ हमारे अध्ययन कार्य के लिए ही है और इसे गुप्त ही रखा जाएगा तब इस प्रश्न का जबाव हासिल हो सका।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सूचनादाता से जितनी अधिक घनिष्टता तथा व्यक्तिगत रूप से मिल जुलकर प्रश्न को किया जा सके, तो जानकारी

और अधिक पा सकते हैं। अतः सूचनाओं से अपनापन की भावना प्रस्तुत जागृत कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करना ही उसमें विश्वास उत्पन्न करता है, जिसके आधार पर सामाजिक स्थिति का चित्र सुविधापूर्वक जाना जा सकता है।

जीवन के ढांचे और कार्यों के विज्ञान है। इसलिए इस अध्ययन के लिए जाति से संबंधित प्रश्नों का भी अध्ययन किया गया है। ऐसे अध्ययन के लिए मनोविज्ञान अनेक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि जातिगत समस्याएँ विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है।

प्रस्तुत शोध सिवान जिला हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत के विभिन्न गाँवों में स्थिति से संबंधित है। अतः वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान लक्ष्य संकलन करने हेतु अनेक प्रवृधियों को प्रयोग में लाया गया है।

शोध अध्ययन क्षेत्र सिवान जिला के हुसैनगंज प्रखण्ड अन्तर्गत छाता पंचायत के परिवभात्मक अध्ययन से संबंधित है। सिवान जिला बिहार का सबसे पश्चिम में अवस्थिसिमांत जिला है। सिवान आजादी के बाद सारण जिला का हिस्सा था जो 1971 में जिला के रूप में अस्तित्व में आया। इस जिला का क्षेत्रफल 22, 19 वर्ग किमी0 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 33 लाख से ज्यादा आबादी है। यह बहुत घनी आबादी वाला जिला है। घाघरा और गंड़क नदियों के बीच के एक समतल मैदानी भाग में यह बसा हुआ है। प्रतिकृषि भूमि कम होने तथा जोत का आकार छोटे होने के कारण सिवान के हजारों लोग विदेशी में खासकर अरब देशों में काम करते हैं और वहां से काफी रकम भेजते है। इसलिए सिवान की अर्थव्यवस्था को मनीऑर्डर इकोनोमी कहा जाता है। बिहार में पटना के बाद बैंकों में सबसे अधिक पूँजी सिवान में ही है। प्रशासनिक आधार पर सिवान जिलादो अनुमंडली यथा सिवान एवं महाराजगंज में बटा हुआ है। सामुदायिक विकास प्रखण्ड एवं अंचलों की संख्या 19 है। सिवान जिला, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी सचेतन

रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में भी सिवान के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद प्रथम भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। बिहार में वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा। सिवानवासी मौलाना मजहखल हक में ही किये थे। सिवान जिला की 75 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर आधारित है, जिले में वर्तमान समय में कोई महत्वपूर्ण उद्योग धंधे नहीं है। रोजगार की तलास में हजारों लोग देश के अन्य राज्यों तथा अरब देशों में काम करते हैं। इसलिए साल में करोड़ रू0 पेरोडालर के रूप में सिवान के बैंकों में जमा एवं हस्तारण होता है। हाल के दिनों में रेल रोड़ दोना का विस्तार हुआ है। यातायात की सुविधा लोगों को उपलब्ध है।

3.7 अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का मनो–सामाजिक अध्ययन बिहार सिवान जिला हुसैनगंज प्रखण्ड छाता पंचायत के संदर्भ से संबंधित उपलब्ध तथ्यों को संकलन कर तथ्यों का अन्वेषण एवं विश्लेषण करना इस शोध का मुख्य उददेश्य है। शारीरिक आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति से संबंधित विवादों एवं अन्य संबंधित मुद्दों का भी विश्लेषण इस शोध का मुख्य उद्देश्य रहा है।

समाज का क्षेत्र अध्ययन अध्यापन के लिए गहन होता जा रहा है क्योंकि इससे संबंधित सामाजिक शोध की प्रकृति पूर्व ज्ञान की पुर्नपरीक्षा और नवीन ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। सामाजिक शोध की प्रकृति ही ऐसी है। अतः प्रस्तुत अध्ययन भी कुछ उद्देश्य के साथ ही किया गया है।

आज जो हम पीड़ित महिलाओं की स्थिति का जो परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उसका कारण भी जिज्ञासा ही है। वे अपने पूर्व की अवस्था में कैसी थी और उन्होंने किस प्रकार इस पीड़ित अवस्था को गुजार रही है। पीड़ित महिलाओं की स्थिति पर परिवार एवं समाज का क्या प्रभाव पड़ा है। यह जानने का भी इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

दूसरी तरफ प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देष्य घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं का सामाजिक अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त अध्ययन के अन्य निम्न उद्देष्य हैं–

1. उत्तरदाताओं का ब्योरा तैयार करना।
2. महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा के कारणों एवं सूचकों की जानकारी करना।
3. घरेलू हिंसा के भारत सरकार की नीतियों की जानकारी करना।
4. घरेलू हिंसा के विवरण की जानकारी करना।
5. घरेलू हिंसा निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

इस षोध में मूल्यांकन षोध का प्रयोग किया गया है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये प्रयोगों के माध्यम से नवीन विचार के प्रयोग के लिये उज्ज्वल संभावना का विकास किया गया है। क्रिया षोध के माध्यम से नवीन विचारों की मदद से महिलाओं की समस्याओं का समुचित रूप से चुनाव किया गया है, विस्तृत स्तर पर सफल विचारों एवं कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिये आवष्यक ढंगों एवं प्रविधियों का विकास किया गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की गति को तीव्र बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अपूर्ण आवष्यकताओं की प्रभावपूर्ण पूर्ति तथा इस पूर्ति के मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिये पहले से चले आ रहे कार्य{मों में आवष्यक संषोधन करने तथा नवीन कार्य{मों को चलाने के समुचित अवसर क्रिया षोध क्रिया द्वारा प्रदान किये गये हैं।

षोध सामाजिक अनुसंधान का यह विषिश्ट रूप है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय परिस्थितियों में विषिश्ट परियोजनाओं को चलाते हुए वर्तमान आवष्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान के लिये प्रस्तावित साधनों की प्रभावपूर्णता एवं उनके स्वीकृत होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है

मूल्यांकनात्मक षोध क्षेत्र प्रयोग पर आश्रित चर का एक विषिश्ट स्वरूप पहले ही निष्चित कर इसकी प्राप्ति की दिषा में सत्वामासी साधन के रूप में स्वतन्त्र घर में परिवर्तन किया गया। मौलिक, बौद्धिक अथवा सैद्धान्तिक अनुसंधान कुछ निष्चित मौलिक सत्यों का पता लगाने के लिये किया गया। किसी भी सिद्धान्त की सीापना हो जाने के पष्चात इसकी उपयोगिता का आश्वासन क्रिया षोध के माध्यम से प्रदान किया गया। इस प्रकार मौलिक अनुसंधान का उद्देष्य सत्य की सीापना करना है जबकि मूल्यांकनात्मक षोध इस सत्य के उचित उपयोग के लिये आवष्यक ढंगों एवं प्रविधियों को विकास करने का लक्ष्य रखता है। क्रिया षोध की विषेशताओं में स्पश्ट है कि यह क्षेत्रीय परिस्थितियों द्वारा संचालित किया जाता है तथा इसकी प्रकृति उपादेयतापूर्ण होती है। मूल्यांकनात्मक षोध का प्रथम चरण आधार रेखा सर्वेक्षण होता है। सूचनाओं के एकत्रीकरण के पष्चात् क्रिया की एक योजना तैयार की जाती है। क्रिया षोध में जन सहभागिता को अधिक महत्व दिया गया। इसको प्रोत्साहित करने के लिये लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क सीापित किया गया तथा विचार–विमर्ष के पष्चात् स्थानीय व्यक्तियों की समितियों का गठन किया गया।

पीड़ित महिलाओं की स्थिति जानने और सुनने से आम लोगों का चित दुःखी होता है। किसी भी समाज का जो इतिहास होता है उसमें अनुभव इकट्ठा रहता है। जो आने वाले पीढ़ी को सावधान और सचेत करता है। एक अत्यन्त सुप्रसिद्ध ग्रंथकार ने कहा है कि जिस परिवार का पूर्व इतिहास कुछ भी नहीं है उसका भविष्य भी अंधकारमय है और जिस परिवार का पूर्व इतिहास है तो उसका भविष्य भी उज्जवल है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन सिवान जिला हुसैनगंज प्रखण्ड छाता पंचायत के घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का मनो–सामाजिक अध्ययन का अध्ययन भी उपरोक्त सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हिंसा से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को जानने की जिज्ञासा तथा महिलाओं की प्रबल इच्छा को पूरा

करने में वास्तव में पीड़ित होने पर महिलाओं की सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक अवस्था क्या रहती है इत्यादि। सभी बातों का जिज्ञासा तृप्ति के लिए ही प्रस्तुत अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के फलस्वरूप महिलाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथ्यों को संकलित कर उसके आधार पर परिवार में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे घरेलू हिंसा को शिथिल करने की दिशा में प्रयास किया जा सकता है।

- ❖ पीड़ित महिलाओं की स्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण।
- ❖ पीड़ित महिलाओं की पारिवारिक संरचना का अध्ययन।
- ❖ उनके पेशे या पूर्व के पेशे के विषय में जानना।
- ❖ उनकी वर्तमान की स्थिति के विषय में जानना।
- ❖ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उन पर आश्रित लोगों के प्रभावों को जानना।

3.8 परिकल्पना

यह शोध घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शारीरिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति के विभिन्न पहलूओं को उजागर कर उस पर पड़ने वाले हिंसक घटनाओं को ढूंढ़ने पर आधारित है।

- ❖ विभिन्न परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के शारीरिक एवं पारिवारिक जीवन से घरेलू हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है।
- ❖ विभिन्न परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना था।
- ❖ विभिन्न परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ढूंढ़ना था।
- ❖ विभिन्न परिस्थितियों में जातिगत आधार पर पीड़ित महिलाओं को परिस्थिति का अध्ययन करना था।

- ❖ विभिन्न परिस्थितियों में आधुनिकता का पीड़ित महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था।
- ❖ विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक समानता का पीड़ित महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था।

विशेष

- ❖ क्या अच्छा आर्थिक स्थिति वाले परिवार की पीड़ित महिलाओं का शारीरिक एवं पारिवारिक जीवन कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की पीड़ित महिलाओं से अच्छा रहता है।
- ❖ क्या सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले परिवार की पीड़ित महिलाओं का स्वास्थ्य कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के पीड़ित महिलाओं की स्वास्थ्य से अच्छा रहता है।
- ❖ क्या सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को पीड़ित महिलाओं का समायोजन क्षमता कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के महिलाओं से अच्छा रहता है।
- ❖ क्या सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले उच्च जाति के परिवार की पीड़ित महिलाओं का समायोजन की क्षमता कमजोर आर्थिक स्थिति वाले निम्न जाति के परिवारों की महिलाओं से अच्छा रहता है।
- ❖ क्या सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाओं का सामाजिक एवं पारिवारिक समायोजन की क्षमता कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की महिलाओं से अच्छा रहता है।
- ❖ क्या कमजोर आर्थिक स्थिति वाले महिलाओं पर उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोग ही अत्याचार करते हैं।
- ❖ क्या अपनी जाति के लोग उन्हें प्रताड़ित नहीं करते हैं।

- ❖ क्या अपने ससुराल के लोग उन्हें प्रताड़ित नहीं करते हैं।
- ❖ क्या ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करते हैं।
- ❖ क्या केस दर्ज करने के समय या कानूनी मदद् लेने के समय पुलिस आपको मदद करती है।
- ❖ क्या न्यायालय में केस चलने पर अधिवक्ता आपकी मदद् करता है।

3.9 उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि

प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक, सामुदायिक संरचना भिन्न–भिन्न होती है। किसी भी विशेष समाज में विभिन्न जातियों, व्यावसायिक समूहों, आयु समूहों के लोग निवास करते हैं। साथ ही प्रत्येक समाज ने व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर तथा आर्थिक स्थिति भी समान नहीं होता है। अर्थात् समाज के उस विभिन्नता के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि एक हिंसा से पीड़ित महिलाओं के समरूप समुदाय की कल्पना संभव नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदात्रियों के व्यक्तिगत जो घरेलू हिंसा से जीवन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। उत्तरदाताओं की व्यावसायिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, यौन, उपजाति, उम्र, जन्मस्थान, औसत मासिक आय, मकान, मकान का प्रकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ना, सामंजस्य भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता आदि प्राप्त तथ्यों को अध्ययन में सारणी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदात्रियों से प्राप्त उपरोक्त जानकारी अनुसंधान को अत्यन्त उपयोगी बनाती है।

इस अध्ययन में सूचनादाताओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सारणियों का प्रयोग किया गया है। सभी सूचनादात्रियों का उम्र 20–60 वर्ष तक का है।

3.10 शोध प्ररचना एवं विधि तंत्र

3.10.1 शोध प्ररचना

प्रस्तुत शोध में मूल्यांकन शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा की गई परिभाषाएँ निम्न हैं–

1. दि डिजायन ऑफ सोशल रिसर्च में 'आर.एल. एकाफ' ने प्ररचना को परिभाषित करते हुए कहा है कि "प्ररचित करना नियोजित करना है, अर्थात् प्ररचना उस परिस्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को लागू किया जाना है।ष यह एक आशान्वित परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की ओर निर्देशित, जानबूझ कर की गई आशा की प्रक्रिया है।
2. 'रिसर्च मेथडस इन सोशल रेलेशन्स' में 'क्लेयर सैलिज तथा मेरी जाहोडा' ने प्ररचना को परिभाषित करते हुए कहा कि श्एक अनुसंधान की प्ररचना आंकड़ों के संग्रह एवं विश्लेषण की शर्तों की ऐसी व्यवस्था है जो अनुसंधान के उद्देश्यों की संगतता को कार्यरीतियों में बचत के साथ सम्मिलित करने का उद्देश्य रखती है।
3. 'सामाजिक अनुसान' में प्रोफेसर सुरेन्द्र सिंह ने प्ररचना को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुसंधान की प्ररचना एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत पहले से ही समस्या के प्रतिपादन से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अन्तिम चरण तक के विषय में भली–भांति सोच–समझकर तथा सभी उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान देकर इस प्रकार निर्णय लिये जाते हैं कि न्यूनतम समय प्रयासों एवं लागत के व्यय से अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति अधिकम प्रभावपूर्णता के साथ की जा सके।

3.10.2 अनुसंधान प्ररचना

प्रस्तुत शोध में अनुसंधान प्ररचना में प्रयोगात्मक प्ररचना का प्रयोग किया गया। इसमें ऐसी परिस्थितियों में पूँछ–ताछ की गयी है जिनमें सम्मिलित वस्तुओं एवं घटनाओं को अनुसंधानकर्ता ने वांछित ढंग से परिवर्तित किया है। प्रयोग करना निश्चय ही एक पूंछ–ताछ है किन्तु प्रत्येक पूँछताँछ प्रयोग नहीं है। प्रयोग आवश्यक रूप से एक नियंत्रित पूँछ–ताछ है। नियंत्रण को हेरफेर या परिवर्तन का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता।

'ग्रीनवुड' के मत में ''एक प्रयोग एक ऐसी परिकल्पना का प्रमाण है जो दो को ऐसी विरोधी परिस्थितियों के अध्ययन के माध्यम से कारणात्मक सम्बन्ध में सम्बन्धित करता है जिनमें केवल अभिरुचिपूर्ण कारकों को छोड़कर अन्य सभी कारकों पर नियंत्रण कर किया जाना है, बाद वाला अभिरूचिपूर्ण कारक या तो परिकल्पनात्मक कारण अथवा परिकल्पनात्मक प्रभाव होता है।''

प्रयोग अध्ययन में कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण करने के लिये प्राकृतिक परिस्थितियों में हेर–फेर की गयी। क्योंकि प्रायः प्राकृतिक रूप से समान समूहों की प्राप्ति सम्भव हो जाती है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण करते हुए हम विरोधी परिस्थितियों की प्राप्ति सरलतापूर्वक कर सकते हैं। एक प्रयोगशाला प्रयोग की आवश्यक विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत नियंत्रित परिस्थितियों को एक स्वतंत्र चर में परिवर्तित करते हुए इन परिवर्तनों के प्रभावों का पर्यवेक्षण आश्रित चर पर किया गया। प्रयोगात्मक परिवर्तन के सम्बन्ध में सदैव इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि परिवर्तन इस प्रकार से किये जायें कि बाल उत्तरदाताओं कम से कम आभास हो। प्रत्येक सामाजिक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि योजनाबद्ध में शोधकार्य का आरम्भ नहीं किया गया है। इसी योजना की रूपरेखा को शोध प्ररचना कहते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन अन्वेषणात्मक, सह विश्लेषणात्मक प्रकार का है। इसमें ऐसी परिकल्पना का निर्माण किया गया है कि अनुसंधान को सात्यत्य प्रदान किया जा सके।

3.11 विश्लेषण एवं विवेचन

विश्लेषण के द्वारा महिला अधिकारों के सन्दर्भ में विचारपूर्ण आधारशिला की स्थापना की गयी। जिसकी सहायता से संकलित तथ्यों को उचित संस्थिति एवं सम्बन्धों के रूप में व्यवस्थित किया जा सका। घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु आंकड़ों एवं किये गये प्रयासों को परिकल्पनाओं एवं सिद्धान्तों के प्रकाश में देखने का प्रयास किया गया तथा ऐसे निष्कर्ष निकाले गये जिसके आधार पर सिद्धान्तों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन संभव हो सका।

प्रत्येक अनुसंधान प्ररचना पर आधारित है। अनुसंधान प्ररचना के बिना कोई भी शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। अनुसंधान का अर्थ है– स्थापित तथ्यों अथवा नये तथ्यों अथवा सिद्धान्तों की खोज करना। वेवस्टर के अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोष के अनुसार– सावधानीपूर्ण आलोचनात्मक पूछतांछ अथवा परीक्षण जो किसी तथ्य अथवा सिद्धान्त की खोज के लिये किसी क्रम में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं।

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुसंधान किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नये तथ्यों की खोज की जाती है। प्रत्येक सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान वैज्ञानिक विधि तथा तकनीकियों के माध्यम से आंकड़ों के संग्रह की एक व्यवस्था है।

अनुसंधान प्ररचना निर्णय लेने से पूर्व की प्रक्रिया है जिसमें उसे लागू करना है। प्रत्येक अनुसंधान के निम्न चरण होते हैं–

1. समस्या का चयन,
2. समग्र का निर्धारण,

3. प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन,

4. अध्ययन के उपकरणों का चयन,

5. आंकड़ों का चयन,

6. आंकड़ों का सारणीयन,

7. आंकड़ों का विश्लेषण

8. प्रतिवेदन

वर्तमान अध्ययन में अनुसंधानकर्त्री ने उपरोक्त अनुसंधान प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है। अनुसंधानकर्त्री ने प्रतिदर्शन हेतु साक्षात्कार अनुसूची तथा सारणियों का भी प्रयोग किया है।

3.12 समग्र का अध्ययन

समग्र का अर्थ है सम्पूर्ण में से कुछ का चयन जो कि सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत अध्ययन में इलाहाबाद क्षेत्र को समग्र के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रस्तुत समग्र में से 500 महिलाओं को अध्ययन हेतु चयनित किया गया है।

प्रतिदर्शन विधि– निम्न दो विधियों से वांछित सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं–

1. जनगणना पद्धति

2. निदर्शन पद्धति

जनगणना पद्धति– जनगणना पद्धति के माध्यम से उपलब्ध प्रासंगिक आंकड़ों का पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है समय की प्रत्येक इकाई को सम्पर्क किया जाता है। प्रत्येक इकाई की पूछतांछ एक व्यक्ति के रूप में, एक दुकान के रूप में, एक कारखाने के रूप में की जा सकती है। अध्ययन की दृष्टि से आदर्श स्थिति में सूचीबद्ध इकाइयों को अध्ययन हेतु चयनित किया जाना चाहिये किसी भी इकाई को छोड़ा नहीं जा सकता है।

निदर्शन पद्धति– निदर्शन केवल एक जटिल विज्ञान ही नहीं है वरन् यह एक कला भी है। हम अपने दैनिक जीवन में निदर्शन का जटिलम स्वरूप प्रयोग में लाते हैं। जैसे गृहणियाँ पके हुए चावलों में से कुछ चावल लेकर यह आसानी से बता सकती हैं कि चावल पके अथवा नहीं। 'गुडे' एवं 'हाट' के अनुसार– ''निदर्शन जैसा कि उक्त नाम से सूचना प्राप्त होती है कि यह एक बड़ी इकाई का प्रतिनिधित्व करता है।''

अनुसंधानकर्त्री ने यादृच्छिक निदर्शन का प्रयोग प्रस्तुत अध्ययन में किया है जो कि अपने प्रकार का एक उपयोगी निदर्शन है। यादृच्छिक निदर्शन का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि उक्त अध्ययन में सभी वर्गों को समुचित स्थान दिया जा सके।

निदर्शन का आकार– निदर्शन का आकार प्रदर्शित करता है कि समग्र से कितने प्रगलक लेकर समग्र का निर्माण किया गया है। अनुसंधानकर्त्री के सामने यह एक प्रमुख समस्या है। निदर्शन का आकार न तो बहुत ही बड़ा होना चाहिये और न ही बहुत छोटा।

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के संग्रह हेतु एक सुसंगठित एवं सुपरिभाषित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची क माध्यम से 500 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार किया गया तथा उसके आधार पर उचित निष्कर्ष निकाला गया है।

3.13 प्रकृति एवं विषय क्षेत्र

प्रस्तुत शोध की प्रकृति आवश्यक रूप से क्षेत्रीय हस्तक्षेप की है। आरम्भ से लेकर अंत तक अधिक से अधिक विषयात्मक मनोवृत्ति अपनाते हुए क्रमबद्ध रूप से कार्य किया गया। अनुसंधान के अन्तर्गत वैज्ञानिक ढंग को अपना कर कार्य करते हुए चुनावपूर्ण प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अपने कार्य का आरम्भ किया गया। विश्लेषक दृष्टि से वस्तुओं एवं घटनाओं को उनकी सम्पूर्णता समझकर एक विशिष्ट दृष्टिकोण तथा एक विशिष्ट प्रकार की अभिरुचि की दृ

ष्टि से समझा गया। यहाँ पर यद्यपि एक जटिल सामाजिक परिस्थितियों में पाये जाने वाले तत्वों की परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखा गया। स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सरलता का अधिक से अधिक समावेष किया गया है। सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत अत्यधिक प्रभावपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट ढंगों में प्रयोग के माध्यम से किये गये कार्यों से प्राप्त विभिन्न परिणामों में एकीकरण करने का प्रयास किया गया। यह एकीकरण न केवल अध्ययन के ढंगों के स्तर पर बल्कि विभिन्न विद्या विशेषज्ञों के स्तर पर भी किया गया। सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न क्षेत्रों का अन्वेषण करके इनके विकास की प्रक्रियाओं का पता लगाया गया है। सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के चरों का प्रयोग किया गया। चर से यहाँ पर अभिप्राय वस्तुओं, गुणों अथवा घटनाओं की ऐसी विशेषता, गुण अथवा श्रेणी से है जो इसे निर्धारित किये गये विभिन्न आंकिक मान ग्रहण कर सकती है। जैसे आयु, धर्म, बीमारी तथा चोरी करने की आदत इत्यादि। सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत चरों के साथ कार्य करते हुए आवश्यकतानुसार इन्हें स्थिर रखा गया तथा परिवर्तित किया गया। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के अन्तर्गत अपनाई गई मनोवृत्ति की यह विशिष्ट विशेषता कि प्रत्येक कथन, प्रत्येक सिद्धान्त एवं स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वा कही गयी किसी भी बात की परीक्षा कसौटियों के आधार पर की गयी।

3.14 आंकड़ों के स्रोत

प्रस्तुत शोध का प्रारूप मूल्यांकनात्मक है जिसके अन्तर्गत प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से घरेलू हिंसा से सम्बन्धित समस्याओं के प्रतिपादन, घरेलू हिंसा विरोध के सन्दर्भ में भारत सरकार की नीतियों का वास्तविक मूल्यांकन, उत्तरदाताओं के जीवन के पार्श्वचित्र का विवरण तथा उत्तराताओं के विकास, संरक्षण तथा जीवित रहने सम्बन्धी अधिकार किस सीमा के प्राप्त हुए सभी तथ्यों के वास्तविक संग्रह के

लिये मुख्यतः दो स्रोतों का प्रयोग किया गया। प्रथम प्राथमिक अथवा क्षेत्रीय दूसरा द्वितीयक अथवा प्रलेखीय स्रोत। प्रलेखीय स्रोतों के एकत्रीकरण के रूप में पुस्तकों का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक आंकड़ों के रूप में व्यक्ति साक्षात्कार का उपयोग किया गया। सूचना के लेख्य स्रोत वे है जो प्रकाशित एवं अप्रकाशित दस्तावेजों के प्रतिवेदनों, सांख्यिकी, हस्तलेखों, पत्रों, दैनन्दियों इत्यादि के रूप में प्रयोग किये गये। व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने हेतु मौखिक रूप से विचारों का आदान–प्रदान किया गया। साक्षात्कार के अन्तर्गत उत्तरदाता से उसके ज्ञान, अनुभवों, विचारों, मान्यताओं, रुचियों तथा प्राथमिकताओं इत्यादि के विषय के एक प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया। साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान उत्तरदाता का सम्मिलन तथा उनके द्वारा प्रदान किया गया सहयोग पूर्णरूपेण महिलाओं की उस स्वेच्छा पर आधारित था जिसे अनुभव एवं विनय के ढंगों का प्रयोग करते हुए जागृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त उत्तरदाताओं की समस्याओं, ज़रूरतों एवं अनुभवों को जानने के लिये सहभागी अध्ययन का सहारा लिया गया। यह उत्तरदाताओं की समस्याओं एवं उनके निदान को जानने का त्वरित तरीका है। कभी–कभी स्थानीय स्तर पर चर्चा करते समय विभिन्न सुझाव सामने आते थे। परन्तु समुदाय में रहने वाले परिवारों के सन्दर्भ में समस्याओं का उपचार वयस्कों द्वारा किया गया जिन्हें अन्य बिन्दुओं की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। ''जिनका विकास उनकी भागीदारी'' नामक संकल्पना को विकसित करने पर एक स्वयंसिद्ध धारणा उभर कर आयी कि महिलाओं की स्थानीय संस्कृति, अन्तर्मन व उनके द्वन्द, रीति–रिवाज, मान्यताओं, समस्याओं एवं उनके विशिष्ट को मान्यता देनी ही होगी । इसके लिये समुदाय के स्थानीय समुदाय को जानने का प्रयास किया गया। चूँकि प्रत्येक साक्षात्कार प्रश्नावली में प्रत्येक क्यों का उत्तर नहीं होता है, उसी क्यों का जवाब सहभागी अध्ययन द्वारा खोजने का

प्रयास किया गया। समस्याओं की सही प्रकार से जानने के लिये ''जोहारी की खिड़की'' नामक एक प्रमुख औजार का इस्तेमाल किया जा सकता है।

फलक– 1 फलक– 2 फलक– 3 फलक– 4

यह दो सामुदायिक शिक्षकों लुफ्त एवं हैरी इंधम द्वारा विकसित उत्कृष्ट साधन है। फलक– 1 द्वारा महिलाओं के सन्दर्भ में स्पष्ट या आसान से उपलब्ध सूचनाओं को दर्शाया जाता है। यह जानकारी आसानी से साक्षात्कार एवं अवलोकनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। फलक– 2 के द्वारा बाहरी लोगों जिनमें कर्ता भी सम्मिलित हैं, के वे विचार राय और जानकारी को दर्शाया जाता है जिनसे अभी तक उत्तरदाता, पूर्णतया अनभिज्ञ थे। जैसे परम्परा से बंधना, शिक्षा की पूर्ति, स्वास्थ्य एवं पोषण प्रथाओं का मूल्यांकन तथा उन्हें क्या करना चाहिये आदि वे तथ्य कर्ता द्वारा सुझाये गये सुझावों से महिलाओं के मध्य स्वीकृति पा सके। फलक– 3 के द्वारा महिलाओं के ये विचार, राय, आकांक्षायें तथा धारणाओं की जानकारी को दर्शाया गया है जिनका पता लगाना कठिन होता है। क्योंकि महिलायें वहीं उत्तर देती है जो बाहरी लोग या समुदाय चाहता है। उदाहरण के लिये, समुदाय के प्रति महिलाओं की धारणाएँ, उनकी प्राथमिकताएँ समुदाय के बारे में भावनाएं तथा हमारे अपने बारे में भाग्य के बारे में उनकी समझ आदि

जब तीनों फलक खुल जाते हैं अर्थात् कर्ती को सामान्य जानकारी, महिलायें क्या जानती हैं तथा कर्ता के बारे में महिलाएँ जान जाते हैं तब इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना और आवश्यक चरणों को सफल बनाया जा सकता है और तभी फलक– 4 को खोजा जा सकता है जिसके अन्तर्गत दोनों पक्ष एक–दूसरे के ज्ञान व जानकारी से परिचित हो जाते हैं। शोध के प्रारम्भ में जिस जानकारी से सभी अनभिज्ञ थे, सामुदायिक कार्यकर्ता और महिलाओं द्वारा एक साथ करते हुए वह जानकारी प्राप्त कर ली गयी। महिलाओं की अपनी समस्याओं और संसाधनों के बारे में उनके प्रत्यक्ष ज्ञान को समझने में

कर्ता को समय लगा। प्रायः फलक– 1 तथा फलक– 2 की सूचना का प्रयोग करके समुदाय के बच्चों के लिये कार्यक्रम तैयार किये जाते रहे परन्तु जब फलक– 3 की सूचनाओं का प्रयोग किया तो सार्थक परिणाम सामने आये।

सहभागी अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया। जैसे समय रेखा, मौसमी चित्रण, चपाती चित्रण, पाई चित्रण, मानचित्र तथा समस्याओं का प्राथमिकीकरण। इस प्रकार इस अध्ययन की सहायता से समस्या वृक्ष का निर्माण किया गया फिर इसके प्रमुख कारणों का पता किया गया।

3.15 प्रतिदर्शन प्रणाली

प्रतिदर्शन की प्रक्रिया अथवा समग्र से उसके एक ऐसे अंश का चुनाव जिसके आधार पर सम्पूर्ण समग्र के विषय में परिणाम निकाले जाने हैं। समग्र से चुने गये महिलाओं के किसी ऐसे समूह को जिसमें सभी महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, समग्र का प्रतिदर्श कहा जायेगा। प्रतिदर्शन द्वारा तास्विक परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया। ये तात्विक परकल्पनाएँ प्रतिदर्श के विषय में पूर्वकल्पनाएँ हैं। प्रस्तुत शोध में सम्पूर्ण मुख्य ग्राम ही समग्र के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिदर्श का निर्माण स्तरीकृत यादृष्टिक प्रतिदर्शन का प्रयोग करते हुए उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इसमें पूरे गाँव को समग्र को विभिन्न उपसमग्रों में विभाजित करने के पश्चात् प्रत्येक में से प्रतिदर्शी का चुनाव किया गया। स्तरीकृत प्रतिदर्शन के अन्तर्गत कम से कम कार्यरीत के स्तर पर प्रतिदर्श का चयन समग्र के प्रत्येक उपसमग्र से किया गया। यह ध्यान रखा गया कि स्तरों के विषय में प्राप्त सूचना उपयुक्त, उचित, पूर्ण एवं सम्पूर्ण जनसंख्या पर लागू होने योग्य तथा अनुसंधानकर्ता के सरलतापूर्वक प्राप्त होते हैं। अनेक चरों को नियंत्रक के रूप में प्रयोग में नहीं लाया गया। यादृच्छिक प्रतिदर्श का चुनाव इसलिये किया गया ताकि इनमें विभिन्न धर्मों, जातियों, लिंग तथा आयु के

बाल उत्तरदाताओं को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इसके अतिरिक्त स्वयं कर्ता के द्वारा उत्तरदाताओं को प्राप्त होने वाले अधिकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास की दिशा में सकारात्मक एवं प्रयोगात्मक पहल की गयी।

3.16 आंकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण

प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के सम्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रमुख रूप से निम्न कार्य सम्पादित किये गये–

1. आंकड़ों की विश्वसनीयता, यथार्थता तथा प्रमाणिकता की जाँच की गयी।
2. अन्य संग्रहत तथ्यों के साथ आँकड़ों की समरूपता की जाँच की गयी।
3. आंकड़ों को एकरूपतापूर्ण ढंग से भरा गया।

प्रस्तुत शोध में वर्गीकरण की प्रक्रिया का सार वर्गों अथवा श्रेणियों के विकास में निहित है। शोध के दौरान से प्राप्त मौलिक सामग्री को कुछ समूहों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि वह अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगे। यद्यपि कुछ श्रेणियाँ तो आंकड़ों से स्वयं ही प्राप्त हो गयीं।

वर्गीकरण में निम्न नियमों का पालन किया गया–

1. अनुसंधान उद्देश्यों के लिये सार्थकता।
2. पूर्णता।
3. पारस्परिक पृथकता एवं स्वतन्त्रता।
4. स्पष्ट परिभाषा।
5. श्रेणियों की व्यापकता।
6. एकिकता।
7. वर्गीकरण का एक स्तर।
8. प्रबन्ध का एक स्तर।

चतुर्थ अध्याय

तालिका क्रमांक : 1

उत्तरदाताओं में घरेलू हिंसा के प्रति जानकारी का स्तर प्रदर्शन

Showing dispute level between domestic violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	350	70
2.	नहीं	100	20
3.	कह नहीं सकते	50	10
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा के प्रति जानकारी रखते हैं जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक नहीं है। 10 प्रतिशत उत्तरदाता उपलब्ध तथ्यों पर अपना कोई दृष्टिकोण नहीं रखते हैं।

तालिका क्रमांक : 1 (अ)

ज्ञान के आधार पर विभाजन

Knowledge Wise Distribution

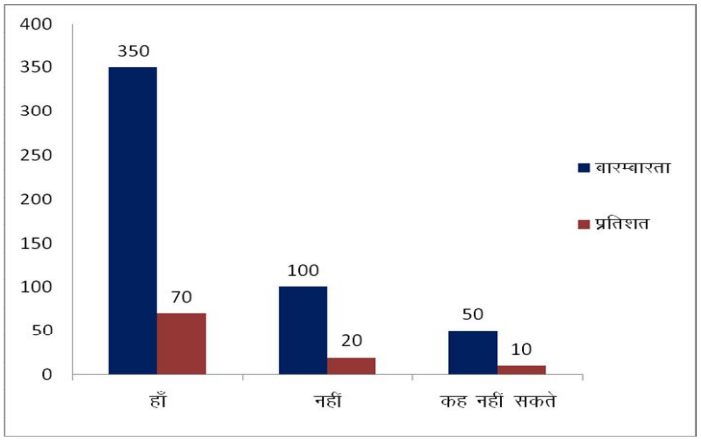

उपरोक्त आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा के प्रति जानकारी रखते हैं जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक नहीं है। 10 प्रतिशत उत्तरदाता उपलब्ध तथ्यों पर अपना कोई दृष्टिकोण नहीं रखते हैं।

तालिका क्रमांक : 2
पति एवं पत्नी के मध्य विवाद के स्तर का प्रदर्शन
Showing dispute level between husband and wife

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	400	80
2.	नहीं	020	04
3.	कह नहीं सकते	080	16
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती हैं कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता अपने दैनिक जीवन में सामान्यता इस स्थिति का सामना करते हैं जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाता यह बताते है कि उन्हें कभी–कभी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। 04 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि विवाद की स्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आती हैं।

तालिका क्रमांक : 2 (अ)
पति एवं पत्नी के मध्य विवाद का स्तर
Dispute level between Husband & Wife

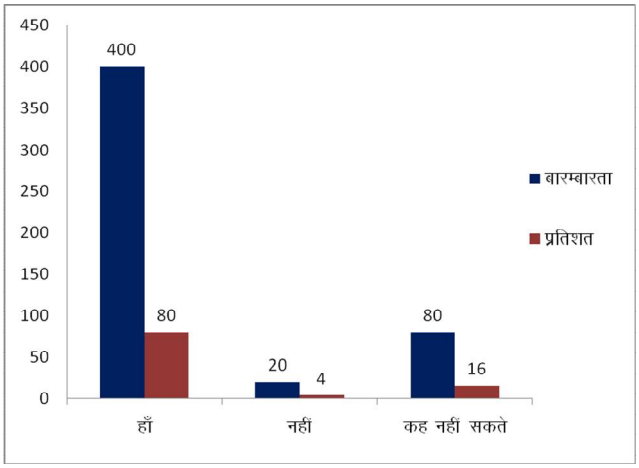

उपरोक्त ग्राफ यह प्रदर्शित करता हैं कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता अपने दैनिक जीवन में सामान्यता इस स्थिति का सामना करते हैं जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाता यह बताते है कि उन्हें कभी–कभी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। 04 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि विवाद की स्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आती हैं।

तालिका क्रमांक : 3
महिलाओं के मानसिक शोषण का प्रदर्शन
Showing mentally exploitation of women

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	400	80
2.	नहीं	00	00
3.	कह नहीं सकते	100	20
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका से यह जानकारी प्राप्त होती हैं कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का प्रायः मानसिक शोषण होता रहता है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि उनका मानसिक शोषण कभी–कभी होता है। शेष उत्तरदाता यह मानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा।

तालिका क्रमांक : 3 (अ)
महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न
Mental Exploitation of Women

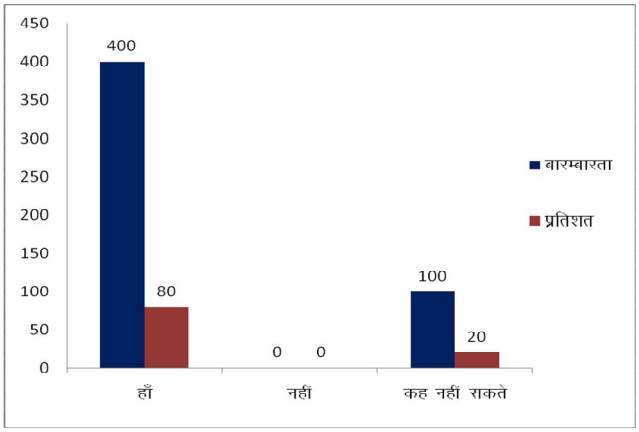

उपरोक्त ग्राफ से यह जानकारी प्राप्त होती हैं कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का प्रायः मानसिक शोषण होता रहता है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि उनका मानसिक शोषण कभी–कभी होता है। शेष उत्तरदाता यह मानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा।

तालिका क्रमांक : 4

मादक द्रव्य व्यसन को घरेलू हिंसा का कारक मानने वाले तत्व

Showing factor of domestic violence is Drug Addition

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	470	94
2.	नहीं	010	02
3.	कह नहीं सकते	020	04
	योग	**500**	**100**

यह तालिका यह प्रदर्शित करती हैं कि 94 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि मादक द्रव्य व्यसन ही घरेलू हिंसा का प्रमुख कारक है तथा केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं है कि जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाता यह कहते हैं कि वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।

तालिका क्रमांक : 4 (अ)

मादक द्रव्य व्यसन ही घरेलू हिंसा का कारण है

Drug Addition is the Cause of Domestic Violence

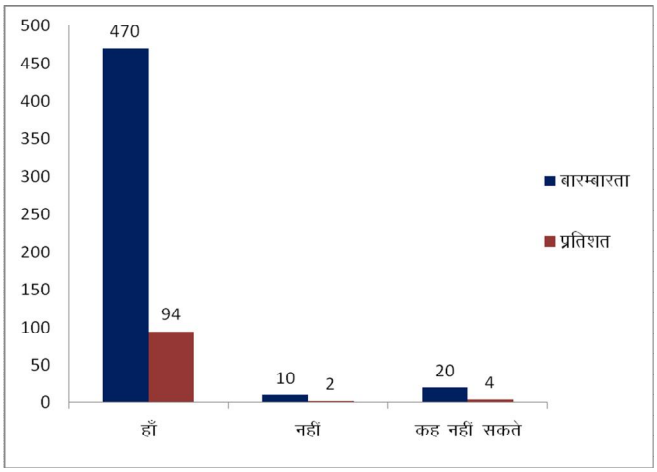

यह ग्राफ यह प्रदर्शित करता हैं कि 94 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि मादक द्रव्य व्यसन ही घरेलू हिंसा का प्रमुख कारक है तथा केवल 2 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं है कि जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाता यह कहते हैं कि वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।

तालिका क्रमांक : 5

अतिरिक्त विवाहेत्तर सम्बन्धों का पाया जाना भी घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है

Showing cause of domestic violence is Extra Marital Relationship

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	480	96
2.	नहीं	000	00
3.	कह नहीं सकते	020	04
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि 96 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि घरेलू हिंसा का प्रमुख कारक अतिरिक्त विवाहेत्तर सम्बन्ध है। 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विषय में अपनी राय व्यक्त करने से इंकार कर दिया।

तालिका क्रमांक : 5 (अ)

अतिरिक्त विवाहेत्तर सम्बन्ध घरेलू हिंसा का कारण है

Extra Marital Relationship is the Cause of Domestic Violence

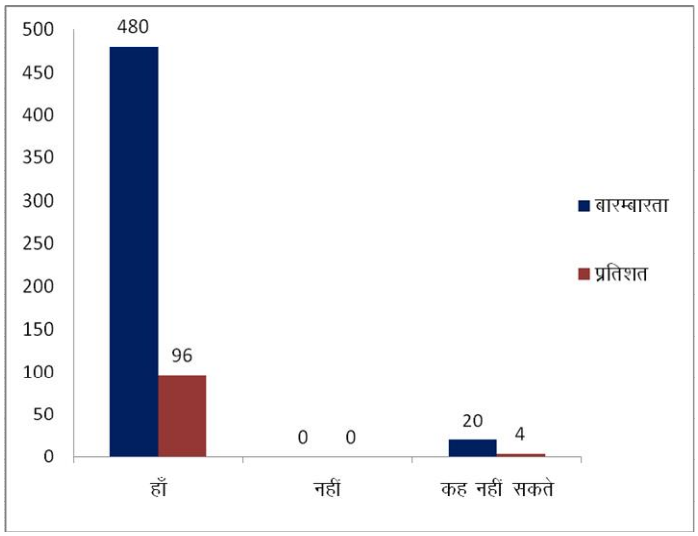

उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि 96 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि घरेलू हिंसा का प्रमुख कारक अतिरिक्त विवाहेत्तर सम्बन्ध है। 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विषय में अपनी राय व्यक्त करने से इंकार कर दिया।

तालिका क्रमांक : 6
घरेलू हिंसा का कारण आर्थिक संकट है
Showing Economical crises if reason of domestic violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	490	98
2.	नहीं	000	00
3.	कह नहीं सकते	010	02
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती हैं कि 98 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि आर्थिक संकट के कारण घरेलू हिंसा फैलती है जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि आर्थिक संकट के कारण घरेलू हिंसा नहीं फैलती है।

तालिका क्रमांक : 6 (अ)
घरेलू हिंसा का कारण आर्थिक संकट है
Economical Crisis is Reason of Domestic Violence

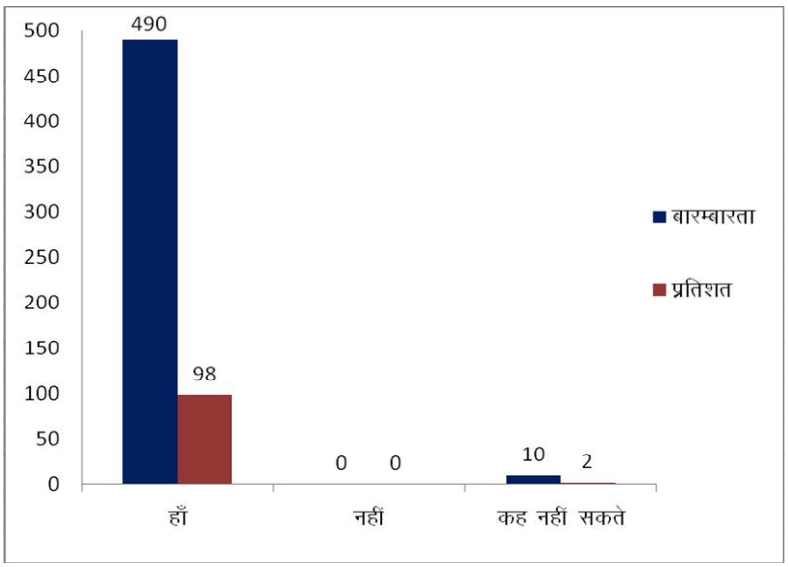

उपरोक्त ग्राफ यह प्रदर्शित करता हैं कि 98 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि आर्थिक संकट के कारण घरेलू हिंसा फैलती है जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि आर्थिक संकट के कारण घरेलू हिंसा नहीं फैलती है।

तालिका क्रमांक : 7
दहेज घरेलू हिंसा का कारण है
Showing Dowry is the reason of domestic violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	480	96
2.	नहीं	000	00
3.	कह नहीं सकते	020	04
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि 96 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि दहेज ही घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है जबकि 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है।

तालिका क्रमांक : 7 (अ)
दहेज घरेलू हिंसा का कारण है
Dowry is the Reason of Domestic Violence

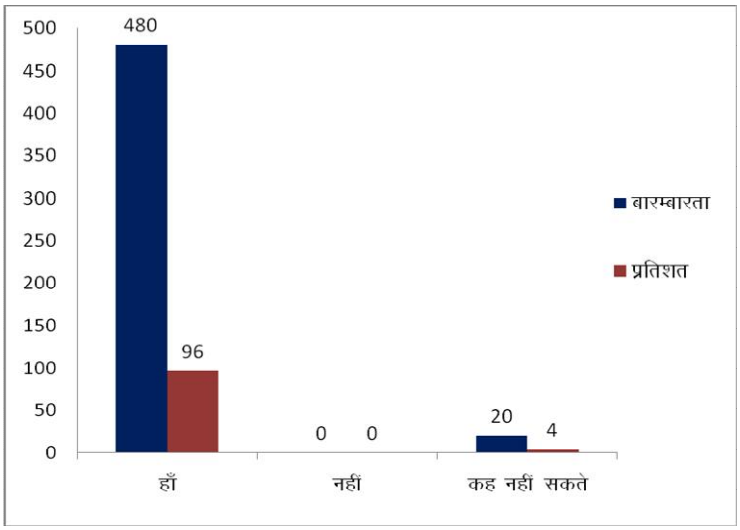

उपरोक्त से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि 96 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि दहेज ही घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है जबकि 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है।

पंचम अध्याय

तालिका क्रमांक : 8

यह प्रदर्शित करना कि बेमेल विवाह घरेलू हिंसा को प्रोत्साहित करता है

Showing mismatch marriages as work for increasing of domestic violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	380	76
2.	नहीं	080	16
3.	कह नहीं सकते	040	08
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती हैं कि 76 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि बेमेल विवाह घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। 16 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त तथ्य से सहमत नहीं थे जबकि 8 प्रतिशत उत्तरदाता यह बोली कि वे इस तथ्य पर कुछ नहीं कह सकती।

तालिका क्रमांक : 8 (अ)

बेमेल विवाह घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है

Mismatched Marriages Increases Domestic Violence

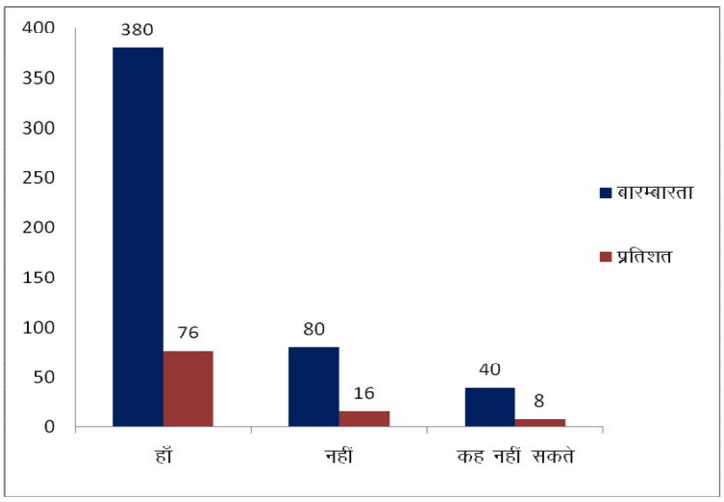

उपरोक्त ग्राफ यह प्रदर्शित करता हैं कि 76 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि बेमेल विवाह घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। 16 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त तथ्य से सहमत नहीं थे जबकि 8 प्रतिशत उत्तरदाता यह बोली कि वे इस तथ्य पर कुछ नहीं कह सकती।

तालिका क्रमांक : 9

यह प्रदर्शन कि परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप घरेलू हिंसा का बढ़ावा देना है

Showing interference of family is the cause of domestic violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	350	70
2.	नहीं	100	20
3.	कह नहीं सकते	050	10
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप भी घरेलू हिंसा का कारण बनता है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं थी जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह कहा कि वे इस तथ्य पर कुछ नहीं कह सकते हैं।

तालिका क्रमांक : 9 (अ)

परिवार के सदस्य का हस्तक्षेप घरेलू हिंसा का कारण है

Interference of family is the cause of Domestic Violence

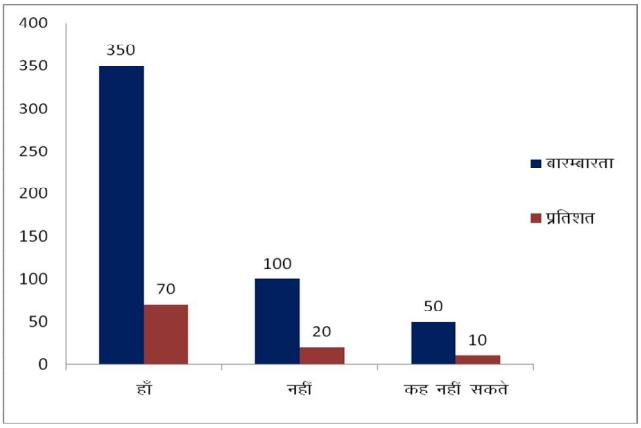

उपरोक्त ग्राफ से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप भी घरेलू हिंसा का कारण बनता है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं थी जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह कहा कि वे इस तथ्य पर कुछ नहीं कह सकते हैं।

तालिका क्रमांक : 10

यह प्रदर्शन कि पत्नी का ज्यादा शिक्षित होना भी घरेलू हिंसा का कारण

Showing more education level of wife if reason of domestic violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	260	52
2.	नहीं	200	40
3.	कह नहीं सकते	040	08
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती हैं कि 52 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि पत्नी का अधिक शिक्षित होना भी घरेलू हिंसा का कारण होता है। 40 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं हैं जबकि 8 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि उन्हें इस सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं है।

तालिका क्रमांक : 10 (अ)

पत्नी की शिक्षा का स्तर भी घरेलू हिंसा का कारण है

Education Level of Wives is the Reason of Domestic Violence

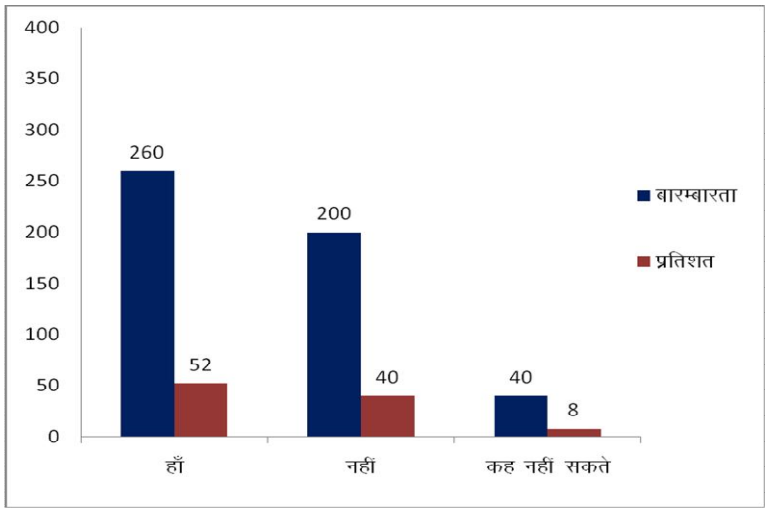

उपरोक्त ग्राफ यह प्रदर्शित करती हैं कि 52 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि पत्नी का अधिक शिक्षित होना भी घरेलू हिंसा का कारण होता है। 40 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं हैं जबकि 8 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि उन्हें इस सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं है।

तालिका क्रमांक : 11
महिलाओं की स्वतन्त्रता का प्रदर्शन
Showing Freedom of Women

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	350	70
2.	नहीं	100	20
3.	कह नहीं सकते	050	10
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त से यह ज्ञात होता हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि महिलाओं को अपना कार्य स्वतन्त्रता पूर्वक करने की स्वतन्त्रता नहीं है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ अपना जीवन यापन करती है। शेष उत्तरदाताओं को कभी–कभी अपनी पसंद का कार्य करने दिया जाता है।

तालिका क्रमांक : 11 (अ)
स्त्रियों की स्वतन्त्रता
Freedom of Women

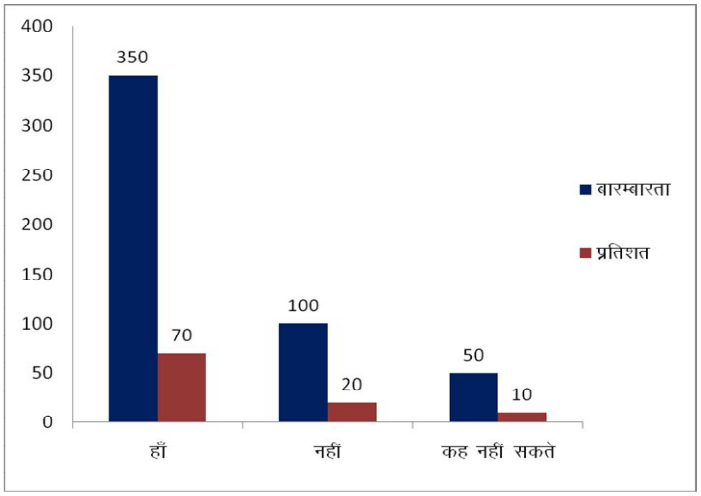

उपरोक्त ग्राफ से यह ज्ञात होता हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं कि महिलाओं को अपना कार्य स्वतन्त्रता पूर्वक करने की स्वतन्त्रता नहीं है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ अपना जीवन यापन करती है। शेष उत्तरदाताओं को कभी–कभी अपनी पसंद का कार्य करने दिया जाता है।

तालिका क्रमांक : 12
महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता का प्रदर्शन
Showing Economical Freedom of Women

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	120	24
2.	नहीं	370	74
3.	कह नहीं सकते	010	02
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त आँकड़ों से यह तथ्य ज्ञात होता हैं कि 74 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि उन्हें वित्तीय रूप से समर्थन नहीं दिया गया। 24 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि महिलाओं को धन नहीं मिलना चाहिये जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य पर अनिर्णय की स्थिति में थी।

तालिका क्रमांक : 12 (अ)
महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता
Economical Freedom of Women

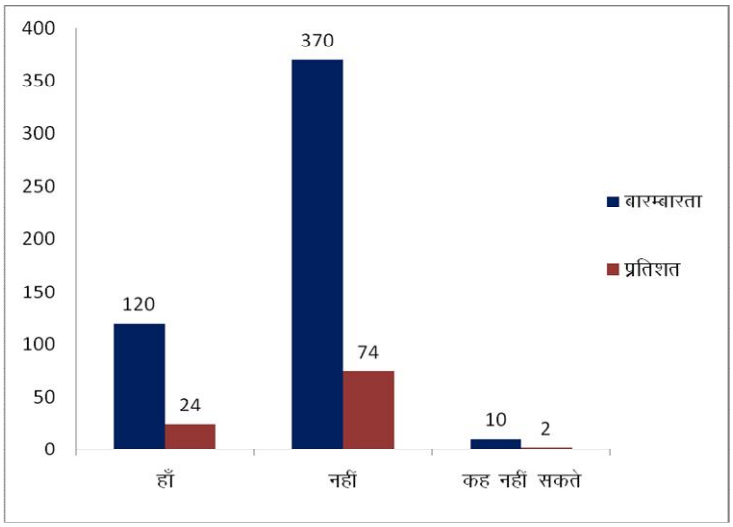

उपरोक्त ग्राफ से यह तथ्य ज्ञात होता हैं कि 74 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि उन्हें वित्तीय रूप से समर्थन नहीं दिया गया। 24 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि महिलाओं को धन नहीं मिलना चाहिये जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य पर अनिर्णय की स्थिति में थी।

षष्टम अध्याय

तालिका क्रमांक : 13

इस तथ्य का प्रदर्शन कि महिलाओं में जागरूकता घरेलू हिंसा को कम कर सकती है

Showing awareness of women can reducing domestic violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	350	70
2.	नहीं	100	20
3.	कह नहीं सकते	050	10
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि महिलाओं में जागरूकता घरेलू हिंसा को कम कर सकती है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य से सहमति व्यक्त की। 10 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य पर राय नहीं व्यक्त कर सकीं।

तालिका क्रमांक : 13 (अ)

महिलाओं में जागरूकता घरेलू हिंसा को कम कर सकती है

Women can reducing domestic violence

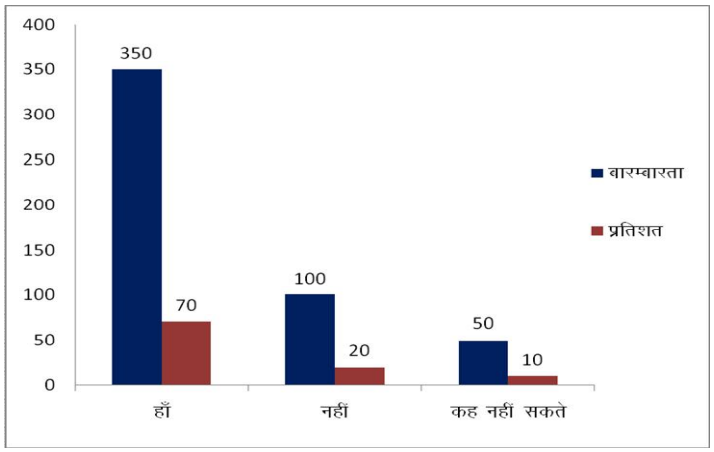

उपरोक्त ग्राफ से यह ज्ञात होता हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि महिलाओं में जागरूकता घरेलू हिंसा को कम कर सकती है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य से सहमति व्यक्त की। 10 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य पर राय नहीं व्यक्त कर सकीं।

तालिका क्रमांक : 14

इस तथ्य का प्रदर्शन कि आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को कम कर सकती है

Showing Economical Empowerment of Women can Reduce Domestic Violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	300	60
2.	नहीं	150	30
3.	कह नहीं सकते	050	10
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता हैं कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि आर्थिक सशक्तीकरण घरेलू हिंसा को कम नहीं कर सकती है तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि आर्थिक सहायता से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपरोक्त तथ्य पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की।

तालिका क्रमांक : 14 (अ)

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण घरेलू हिंसा को घटा सकता है

Economical Empoerment of Women may Reduce Domestic Violence

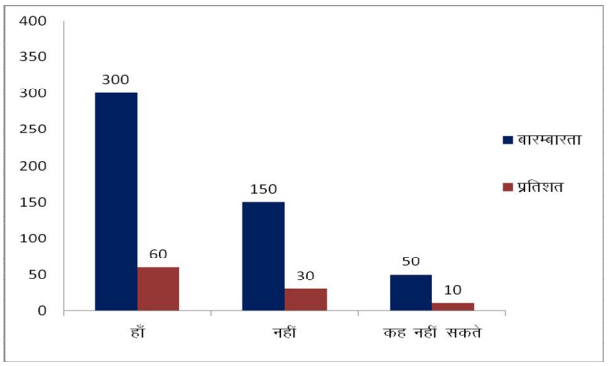

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता हैं कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि आर्थिक सशक्तीकरण घरेलू हिंसा को कम नहीं कर सकती है तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि आर्थिक सहायता से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपरोक्त तथ्य पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की।

तालिका क्रमांक : 15

समाज की मनोवृत्ति परिवर्तित करके घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है

Showing changing attitude of society can decrease domestic violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	400	80
2.	नहीं	100	20
3.	कह नहीं सकते	000	00
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता हैं कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि सामाजिक मनोवृत्ति में धनात्मक परिवर्तन लाकर घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं है।

तालिका क्रमांक : 15 (अ)

समाज की मनोवृत्ति करके घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है

Changing Attitude of Society can Decrease Domestic Violence

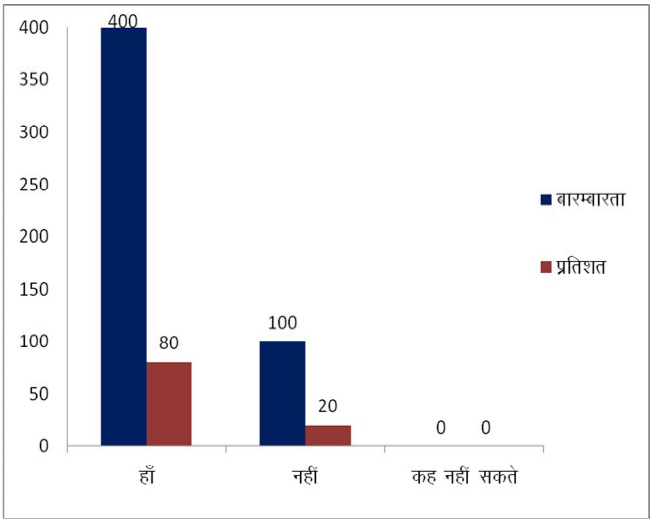

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता हैं कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि सामाजिक मनोवृत्ति में धनात्मक परिवर्तन लाकर घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं है।

तालिका क्रमांक : 16

महिलाओं में उच्च शिक्षा घरेलू हिंसा की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगा

Showing Higher Qualification of Women will helpful to Reducing Domestic Violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	350	70
2.	नहीं	150	30
3.	कह नहीं सकते	00	00
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि महिलाओं की अच्छी शिक्षा घरेलू हिंसा की दर को कम कर सकती हैं जबकि 50 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं है।

तालिका क्रमांक : 16 (अ)

समाज की मनोवृत्ति करके घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है

Changing Attitude of Society can Decrease Domestic Violence

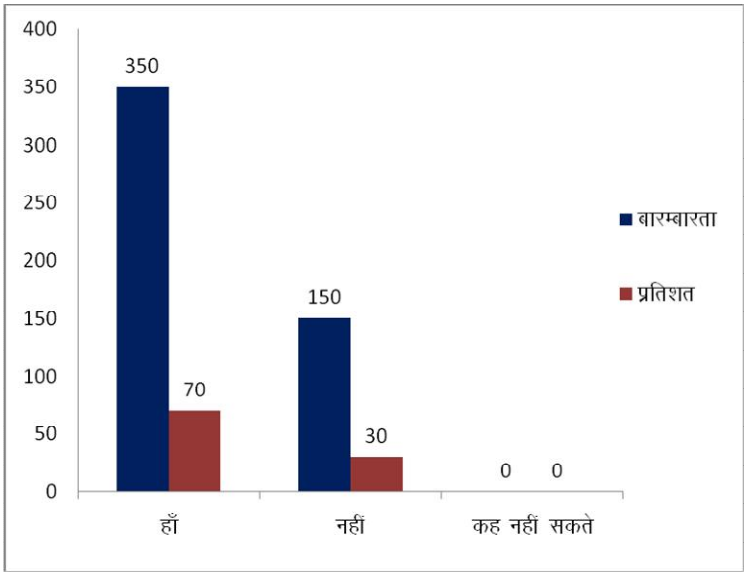

उपरोक्त ग्राफ से यह ज्ञात होता हैं कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि महिलाओं की अच्छी शिक्षा घरेलू हिंसा की दर को कम कर सकती हैं जबकि 50 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नहीं थी।

तालिका क्रमांक : 17

प्रेम विवाह के द्वारा घरेलू हिंसा की रोकथाम

Showing Love Marriages can Support Decreasing Domestic Violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	400	80
2.	नहीं	100	20
3.	कह नहीं सकते	00	00
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका से यह प्रदर्शित करती हैं कि अधिसंख्यक 80 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत थी कि प्रेम विवाह घरेलू हिंसा की रोकथाम में सहायक है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती थी कि प्रेम विवाह के द्वारा भी घरेलू हिंसा को नहीं रोका जा सकता है।

तालिका क्रमांक : 17 (अ)

प्रेम विवाह घरेलू हिंसा की रोकथाम में सहायक है

Love Marriage can Support Decreasing Domestic Violence

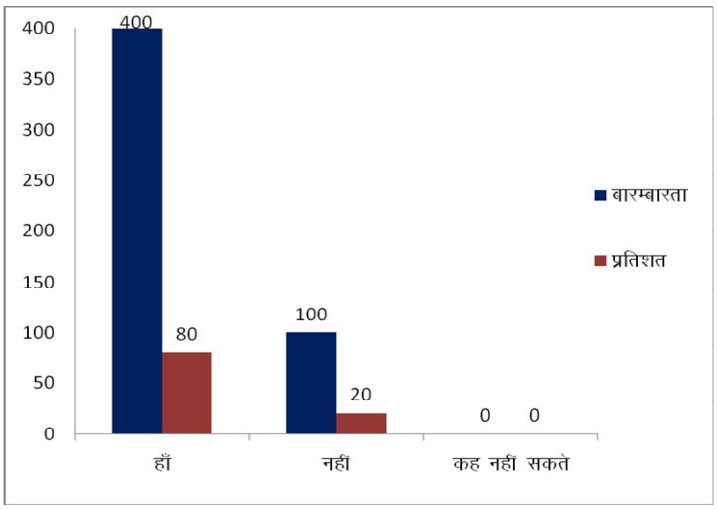

उपरोक्त ग्राफ से यह प्रदर्शित करती हैं कि अधिसंख्यक 80 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत थी कि प्रेम विवाह घरेलू हिंसा की रोकथाम में सहायक है जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती थी कि प्रेम विवाह के द्वारा भी घरेलू हिंसा को नहीं रोका जा सकता है।

तालिका क्रमांक : 18

सरकारी प्रयासों द्वारा घरेलू हिंसा की रोकथाम संभव है

Showing Government Measures can Helpful to Reduce Domestic Violence

क्र.सं. (S.No.)	धारणा (Option)	बारम्बारता (Frequency)	प्रतिशत (Percentage)
1.	हाँ	340	68
2.	नहीं	160	32
3.	कह नहीं सकते	00	00
	योग	**500**	**100**

उपरोक्त तालिका से यह प्रदर्शित करती हैं कि 68 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि सरकारी प्रयासों द्वारा घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि सरकारी प्रयासों द्वारा भी घरेलू हिंसा को नहीं रोका जा सकता है।

तालिका क्रमांक : 18 (अ)

घरेलू हिंसा की रोकथाम में सरकारी प्रयास सहायक सिद्ध हो सकते है

Government Measures can be Helpful to Reduce Domestic Violence

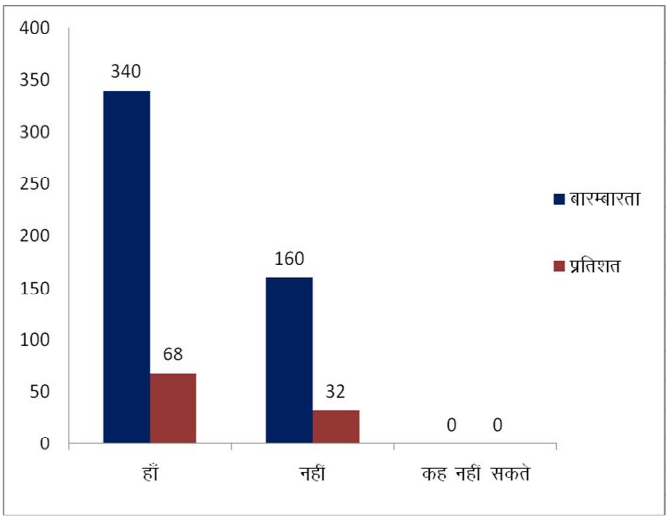

उपरोक्त ग्राफ यह प्रदर्शित करता हैं कि 68 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती हैं कि सरकारी प्रयासों द्वारा घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि सरकारी प्रयासों द्वारा भी घरेलू हिंसा को नहीं रोका जा सकता है।

सप्तम अध्याय

घरेलू हिंसा के निदान हेतु सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास

7.1 कैसे कम किया जाए घरेलू हिंसा

शोधकर्ता के अनुसार यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित अक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध कराकर घरेलू हिंसा के मानसिक विकास से बाहर निकाल सकते हैं।

भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करते हैं। समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायने में समाप्त करने के लिए हमें पुरुष को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मामले के समाधान के अभिभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा। सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि ''पुरूषों को महिलाओं के खिलाफ रखने'' के स्थान पर पुरूषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायने में बढ़ावा देने और पुराने घिसे–पीटे ढडे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।

सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को संसद से पारित कराया। इस कानून में निहित सभी प्रावधान का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है ? यदि आप एक महिला और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित है–

मानसिक स्वस्थ अधिनियम 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर हो गया है लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता

है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उभरने वाले परिवारों को पेशेबर मानसिक स्वस्थ सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है।

सरकार ने वन–स्टाफ सेन्टर जैसी योजनाएं प्रारम्भ की है जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम एवं सुनिश्चित कराता है।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 'वेग इंडिया' 'लड़के रूलाते नहीं' अभियान चलाया जबकि वैश्विक मानव अधिकार संगठन 'ब्रेकथ्रो' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर पर किये गये शानदार प्रयास थे।

यदि हम सही मायनें में 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भारत' बनाना चाहते हैं तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम राष्ट्रव्यापी, अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान की शुरूआत करें।

आज स्त्री की घर में कोई स्थिति अच्छी नहीं है। वह पर्दे में लिपटी रहती है, घर में रहती हुयी भी वह घर में नहीं दिखाई पड़ती परन्तु वेद में पर्दे को कोई स्थान नहीं है। जैसे पुरुष अपना मुँह खोलकर चल फिर सकता है, वैसे स्त्री भी खुले मुँह विचरण करती है। वेद का कथन है, ''सुमंगलीरिय वधूरियां समेत पश्यत'' – ''यह मंगल करने वाली वधू है, इसे आकर देखो।''

यूरोप में स्त्री को पुरुष की Better half (उतमार्घ) कहते हैं, परन्तु हमारे यहाँ उसे अर्धांगिनी Equal half कहा गया है। वहां Better half होते हुए भी महिलाओं की यह स्थिति है कि कन्यादान के समय सारा कार्य लड़की का पिता अकेला करता है। वह न तो लड़की का चाचा कन्यादान की विधि तब

तक पूर्ण नहीं समझी जाती, जब तक कन्या के पिता के साथ उसकी माता भी यज्ञ वेदी पर नहीं बैठती। जिन लोगों की मर्यादा किसी समय इतनी ऊँची रही हो, उनके यहाँ लड़कियों की शिक्षा तक बंदकर दी जाए, यह समय की ही फेर है, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि वैदिक आदर्श में स्त्रियों को स्त्री होने से किसी बात की रूकावट नहीं। पुरुष तथा स्त्री, उच्च तथा नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, सबको राज्य की तरफ से अपनी योग्यता के विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, उन्नति का एक जैसा तथा पूरा–पूरा मौका मिलना चाहिए, एक तरफ पुरुष के क्षेत्र में पुरुष चुप रहता है। दोनों अपने–अपने क्षेत्र में काम करे तो वे दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं। फिर भी महिलाओं पर विभिन्न प्रकार की हिंसा की जाती है। हिंसा के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, दैहिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं लैंगिक है, हिंसा करते समय हिंसक समस्त धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को त्याग देता हैं। वह मात्र केवल अपनी मानसिक सोच के द्वारा हिंसा का क्रियान्वयन करता है, हिंसा वास्तव में जीवन के लिए एक बाधक है, जिससे महिला की मनोदशा को भयभीत किया जाता है। हिंसा एक विकास के लिए अवरुद्ध का कार्य करती है जो महिलाओं को चेतन से अचेतन बनाती है, उनको उपेक्षा एवं नागण्ड़ता की दृष्टि से देखा जाता हैं जो उनके जीवन के विकास के लिए बाधा है। महिलाओं एवं उनके हितों की सुरक्षा हेतु सही प्रथा, दहेज की माँग, अनैतिक उद्देश्यों हेतु महिलाओं का व्यापार आदि निन्दनीय सामाजिक व्यवहारों को अपराधों की श्रेणी में रखा गया है एवं निम्न सामाजिक अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय माना गया है।

वर्तमान समय में भौतिकवादी के कारण आज युवक एवं युवतियाँ अपने लक्ष्य से भटक गए है जिस कारण से अधिकतर अपराधिक्य मस्तिष्क के युवक एवं युवतियाँ अपनी शिक्षा को अपूर्ण छोड़कर भावुक जीवन जीने लगे और बौद्धिक एवं नैतिक मूल्य एवं प्रतिमानों से हट गए हैं। जो समयनुसार घरेलू हिंसा का कारण बन जाता है।

आधुनिक समाज में अस्वस्थ पारिवारिक दशा में, पारिवारिक तनाव, महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावनाओं में सुधार हो।

- महिला विकास निगम द्वारा संचालित महिला हेल्पलाईन नम्बर 181 महिलाओं के प्रति जागरूक करना होगा।
- पुरुष समाज महिलाओं को गुलामी में ही देखने का आदी है, इसमें सुधार करने की जरूरत हैं।
- जिस दिशा में हम समाज को बढ़ाना चाहता है, वह स्वयं सरल तथा निष्कंटक है, जिन सुधारों को हम समाज में लाना चाहते हैं वे स्वयं आसान है, परन्तु स्त्री समाज को बलपूर्वक अलग रखने के कारण आज निष्कंटक मार्ग कंटकाकीण हो चुके है सरल मार्ग दुर्गम तथा बीहड़ बन चुका हैं जो घरेलू हिंसा का कारण है, उसे सुचार करना होगा।
- भारत का स्त्री समाज अशिक्षित है, वह पुरुष समाज में कर्मण्यता का संचार कैसे करें।
- न्यायालय में वैवाहिक जीवन एवं विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना का सामना करने और पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता एवं आवास की सुविधा मिलनी चाहिए।

7.2 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

भारत सरकार द्वारा घरेलू या पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा के पीछे कई कारण हो सकते हैं। भारत में तीन महत्वपूर्ण कानून है जो घरेलू हिंसा से निपटने के लिए बनाये गये है–1. भारतीय दंड संहिता की धारा–458ए, 2. दहेज निषेध अधिनियम 1961, 3. महिलाओं का घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम, 2005 (The Protection of Women Against Domestic Violence Act, 2005) पारित किया गया जो कि एक प्रभावी प्रयास था। इसे

26 अक्टूबर, 2006 से लागू कर दिया गया। इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित थे–

(i) पीड़ित महिला की सहायता हेतु संरक्षण अधिकारियों और गैर–सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

(ii) महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, मौखिक, यौन सम्बन्धी और आर्थिक शोषण व महिलाओं को आत्महत्या हेतु उकसाना आदि को सम्मिलित किया गया।

(iii) इस अधिनियम में पत्नी, बहन, माँ, विधवा या परिवार में रहने वाली अन्य सभी महिलाओं को सम्मिलित किया गया है।

(iv) ऐसा व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है जिसे यह विश्वास हो कि महिला उत्पीड़न किया गया है, जिसकी सुनवाई तीन दिन के अन्दर होगी तथा 60 दिनों में उस शिकायत का निवारण करना होगा।

(v) महिला अथवा उसके सगे–सम्बन्धियों के माध्यम से गैर–कानूनी दहेज की माँग या उसके उत्पीड़न हेतु घरेलू हिंसा को भी इस अधिनियम में सम्मिलित किया गया है।

(vi) पीड़ित महिला की सहायता हेतु चिकित्सा जांच कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।

(vii) घरेलू हिंसा की शिकार महिला हेतु सुरक्षित आवास प्राप्त करने का अधिकार भी सम्मिलित किया गया है।

(viii) इस कानून से पहले भारतीय दण्ड संहिता (I. P. C.) की धारा 498 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा के मामले निपटाए जाते थे जो कि पूर्ण रूप से सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि उसका दायरा अत्यन्त सीमित था। किन्तु इस अधिनियम के द्वारा धारा 498A को जोड़कर इसे एक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर उसे

तीन वर्ष तक कारावास और बीस हजार रुपए तक का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है तथा दहेज हत्या के मामले में कम से कम सात वर्ष की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में किए गए प्रयास अत्यन्त सराहनीय है तथापि महिलाओं का भी स्वयं के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। उन्हें महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) तथा स्वतन्त्रता (Freedom) दोनों के भेद को समझना होगा। जहाँ स्वतन्त्रता का अभिप्राय संघर्ष से जुड़ा है वहीं सशक्तिकरण के मायने एक सकारात्मक पहल की अभिव्यक्ति करते हैं। इसमें महिलाओं को शिक्षित होना है उन्हें उचित एवं अनुचित में भेद करना है तथा शील, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, ममता, विश्वास एवं गृह स्वामिनी को प्रतिमूर्ति बनकर समाज का विश्वास अर्जित करना है तभी समाज उन्नत हो सकता है। इससे न केवल पुरुष के बराबर की भागीदारी सुनिश्चित होगी वरन् महिलाओं का स्थान पुरुष की जननी, समाज की उन्नति, पालनहारी, पोषकहारी के रूप में सुरक्षित हो सकेगा और कोई भी व्यक्ति या समाज जगत जननी के स्वरूप से खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। कुल मिलाकर यह संघर्ष की परिभाषा है जहाँ पुरुष से, परिवार से, समाज से तथा देश से किसी न किसी रूप में संघर्ष तो करना ही है किन्तु यह संघर्ष एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में होगा तभी समाज से घरेलू हिंसा, बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसी बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है।

'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005' (अधिनियम क्र. 43 सं0 2005) 26 अक्टूबर 2006 से जम्मू तथा कश्मीर राज्य छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है। यह एक दीवानी (सिविल) कानून है।

7.3 महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई किरदार निभाती है और इन सभी भूमिकाओं से जुड़े अधिकार उन्हें मालूम होने चाहिए ताकि जब उनके अधिकारों का उल्लंघन हो तो उन्हें पता हो कि किसका दरवाजा खटखटाना है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बेहतर तरीका है कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे खुद पथप्रदर्शक बन सके और ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना है। कानूनी रूप से जागरूक होने से महिलाओं को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अवसर मिलता है। महिलाओं की वर्तमान आवादी गरीबी, निरक्षरता और कानून की अज्ञानता से ग्रस्त है जिसके कारण महिलाओं के बड़े वर्ग को अन्याय और अपने अधिकारों का उल्लंघन सहना पड़ता है। आयोग का अपने कार्यक्रम के जरिए उद्देश्य है कि सबसे गरीब महिला तक न्याय पहुँचे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से समाज के निचले वर्ग से जुड़ी महिलाओं को मूलभूत कानूनी अधिकारों और महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों में उपलब्ध उपायों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार उन्हें जीवन की वास्तविक स्थितियों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। यह कार्यक्रम शिकायत निपटान हेतु उपलब्ध न्याय व्यवस्था के विभिन्न तंत्रों के बारे में महिलाओं को जागरूक करता है। यह कार्यक्रम महिलाओं को शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों– पुलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका तक पहुँचने और उनका लाभ उठाने के बारे में जानकारी देता है। यह महिलाओं और लड़कियों को, भारतीय दंड संहिता, 1860; दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961; महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा पर प्रतिबन्ध

अधिनियम, 2005 आदि सहित विभिन्न कानूनों के तहत उल्लेखित उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराता है।

घरेलू हिंसा के बीच समानता सुनिश्चित करने में युवा पीढ़ी की बहुत बढ़ी भूमिका है और हिंसा मुक्त समाज के लिए युवा सोच को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर समग्र हिंसा के प्रति जागरूकता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत् केन्द्रीय विद्यालयों के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ''महिलाओं से जुड़े प्रमुख कानूनों'' की पुस्तिका के साथ–साथ हिंसा जागरूकता पर सामग्री उपलब्ध करायी गयी। विथार्थियों के उपयोग के लिए यह पुस्तिका आयोग की बेवसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। समाज के नाते, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें तब तक नहीं रूकना चाहिए जब तक हर महिला चाहें किसी भी वर्ग से हो। स्वतन्त्र और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करती।

महिलाओं के कल्याण एवं विकास में सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में तथा प्रभावपूर्ण परिणाम देने में गैर सरकारी संगठन बहुत सीमा तक सफल रहे हैं। ये महिला संगठन, महिलाओं को संगठित करके उनकी समितियों को सुदृढ़ करने तथा विकासशील कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, वर्तमान सामाजिक संरचना में परिवर्ततन हेतु योजना एवं रणनीति बनाने तथा महिलाओं की प्रस्थिति को उन्नत बनाकर उन्हें भारतीय समाज में पुरुष के समकक्ष खड़ा करने जैसे कार्यों में लगे हैं। सहकारी, श्रम आन्दोलन, महिला आन्दोलन महिला शिक्षा तथा स्वास्थ्य अभियान द्वारा संघर्ष तथा विकास की द्विपक्षीय रणनीति से सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। इन प्रयासों ने महिला विवाह अधिकारी तथा उनके अधिकारों से सम्बन्धित पहले से पारित कानून में संशोधन तथा महिला संबंधी बहुत से नये विधानों की अधिनियम निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित किया है। इनमें दहेज विरोधी अधिनियम, अनैतिक स्त्री व्यापार अधिनियम, लड़कियों की बढ़ी

विवाह आयु सम्बन्धी नियम, सती विरोधी अधिनियम आदि प्रमुख हैं। महिलाओं ने शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत सी सुविधाओं के लाभ उठाये जैसे बराबर के काम के लिए बराबर का वेतन ।

इस प्रकार के बहुत महत्त्वपूर्ण कानून का पारित होना इन गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से ही संभव हुआ है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार की रोकथाम, महिला बैंक तथा समिति की स्थापना और कुशल व नवीन महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देना जैसे कार्य किये गए हैं। भारतीय ग्रामीण नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट (Bhartiya Gramin National Memorial Trust) सेल्फ इम्प्लायड विमेन्स एसोसिएशन (Self Employed Women's Association) जैसे कुछ गैर सरकारी संगठन महिला सम्बन्धी विषयों के प्रति आवाज़ उठाने तथा उन्हें आशावादी बनाने मे प्रयासरत हैं। इन गैर–सरकारी संगठनों के अस्तित्व में आने से महिलाओं को बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। जो महिलाएं अब तक अपने अधिकारों के विषय में नहीं जानती थीं, वह इन संगठनों के जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त हुई। जिन समस्याओं के विरुद्ध वह कोई सक्रिय कदम नहीं उठा पा रहीं थीं उन्हीं के विरुद्ध अब वह आवाज उठा रहीं हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए परिवार परामर्श केन्द्र कार्यरत हैं जहाँ ये सम्पर्क कर सकतीं हैं। यह संगठन महिलाओं को मानसिक सम्बल के साथ बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान समय में गैर सरकारी संगठन महिला–पुरुष के बीच लिंग–भेद जैसी समस्याओं के उन्मूलन के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय–समय पर महिला उत्पीड़न विषय सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता हैं।

महिलाओं को घर तथा समाज में स्थान दिलाने के लिए इन संगठनों के प्रयत्नों द्वारा ही 14 सितम्बर 2005 को घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ इस अधिनियम द्वारा उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान

होगी जिनको घरेलू हिंसा द्वारा प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। इस अधिनियम में दी गयी परिभाषा के अनुसार सभी परिस्थितियाँ घरेलू हिंसा के अन्तर्गत मानी गयी हैं। जैसे यदि कोई महिला स्वास्थ्य, सुरक्षा या किसी अंग में क्षति या अपने जीवन को असुरक्षित या संकट में पाती है, या फिर कोई व्यक्ति महिला को यौनिक, मौखिक, भावात्मक तथा आर्थिक रूप से उत्पीड़ित करता है, या चोट पहुँचाता है या संकट में डालता है या पीड़िता या उससे सम्बन्धित व्यक्ति से किसी दहेज या अन्य सम्पत्ति संबंधी गैर–कानूनी माँग करता है तो पीड़िता को किसी रक्षा अधिकारी या पुलिसकर्मी को इस प्रकार के किए गये अत्याचार के विषय में सूचना देनी होगी। पीड़िता को उसके पति के घर में रहने का इसके साथ अधिकार है। उसे कोई उस घर से निकाले तो यह भी घरेलू हिंसा का लक्षण माना जाएगा। साथ ही इस अधिनियम में उसके जीवनयापन हेतु आर्थिक सहायता दिलवाने का भी प्रावधान है।

7.4 महिला सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी

सुरक्षा एक बहुत बड़ा सबाल है जो समाज अपने परिवेश और पर्यावरण के लिए सुरक्षा का भाव रखेगा। वहीं स्त्री के लिए उदारता और सुरक्षा का भाव रखेगा। सच कहे तो अगर सी0सी0टी0वी0 और बॉडीगार्ड सिपाही की तैनाती से स्त्री की सुरक्षा होती है तो दिल्ली से बेहतर कोई और उदाहरण नहीं। दरअसल मर्दों को अपने मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है जब तक परिवार में उनके पेरेन्टस उन्हें मनुष्यता का मतलब नहीं समझायेंगे तो बात नहीं बनेगी। स्त्री सुरक्षा बड़ी समस्या है उनकी सुरक्षा कभी हथियार से नहीं मिलेगी। दरअसल हमारे समाज में पुरूषों को कई हक खुद व खुद ही मिल जाते हैं। पर उन्हें बचपन से लैंगिक समानता और महिलाओं के हकों के बारे में बताया जाये तो आगे चलकर वैवाहिक रिश्तों परिवार और समाज में हिंसा नहीं होगी। अन्दर स्त्रीवादी और पुरूषवादी दोनों सोच मौजूद होते हैं। व्यक्ति

में एक सोच बहुत मजबूत सोच होती है जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है।

7.5 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सुविधाओं में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक जीवन में प्रताड़ना का सामना करने और पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता एवं आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए दायर याचिका 08. 11.2021 को नोटिस जारी किया। जस्टिस यूयू ललित अवर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) विद वीमून ऑफ इंडिया' की जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर उन्हें छः महीने तक अपने जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रताड़ना का सामना करने और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता देने के साथ ही उनके लिए देश भर में बुनियादी आवास सुविधाओं का सृजन करने का निर्देश दिया जाये। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभी हम एक से तीन नम्बर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर रहे हैं। हम राज्यों को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इससे जमघट लग जायेगा। जबावों को इसके बाद हम मामले को निगरानी के लिए केन्द्र सरकार को सौंप देगें। याचिका के अनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू होने के 15 साल बाद भी भारत में महिलाओं के घरेलू हिंसा आम अपराध है।

न्यायालयों द्वारा सभी महिलाओं को एक आदर्श के रूप में व्यवहार करना चाहिए। सभी न्यायालयों के जजों को सुनवाई के दौरान अनावश्यक और बिना सोचे समझे टिप्पणी करने से बचना चाहिए क्योंकि वे जो कहते हैं उनके काफी गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। न्याय प्रशासन ने जजों को स्वतन्त्रत

रूप से निडर होकर और किसी हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों का निर्वाह करने की अनुमति देने का मौलिक महत्व है। साथ ही साथ वकीलों एवं न्यायालयों के आचरण का ख्याल रखें।

7.6 विभिन्न थानों में सुधार हेतु प्रयास

महिलायें अधिक सहजता से अपने साथ होने वाली हिंसा की जानकारी दे सके। इसके लिए सबसे पहले पुलिस की सोच को बदलना होगा। हमें यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि पुलिस भी उसी पुरुष प्रधान समाज का अंग है। और महिलायें अक्सर थाने तक जाने का साहस नहीं जुटा पाती है। अगर कोई महिला थाने तक जाने का हौसला कर ले तो उससे ऐसे असुविधाजनक सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। जिनसे उसे फिर से पीड़ित होने का एहसास हो, हमारी पुलिस व्यवस्था हमारे समाज का प्रतिबिम्ब है।

पुलिस को महिलाओं की शिकायतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से आयोग पुलिसकर्मियों के लिए देश भर में एक दिन की जेंडर जागरूकता कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के व्यवहार में बदलाव लाना है ताकि वे महिलाओं से जड़ी हिंसा पर आधारित अपराधों के पीड़ितों और आमतौर पर महिलाओं के साथ करूणा के साथ और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्रवाई कर सके।

देश में महिला पुलिस थाने शुरू होने के बाद से महिलाओं के एफआईआर दर्ज कराने की संख्या में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बड़े है। 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज कुल मामलों में सबसे ज्यादा 33.2 प्रतिशत मामले पति या उसके परिवार द्वारा हिंसा से सम्बन्धित है। देश में एफआईआर की संख्या ही नहीं बल्कि उसकी साइज भी बड़ी हुई है। यानि वे अपनी बातें विस्तृत रूप से दर्ज करवा रही है। यह बात जर्मनी की शोधकर्त्री डॉ0 सोफिया एमरल ने आईआईएम–अहमदाबाद में किये गये अपने शोध को पेश करते हुए कही। वे

अपने शोध ''जेण्डर क्राइम एण्ड परिसमेंट एविडेंस फ्राम वूमन पुलिस स्टेशन इन इंडिया'' पर विद्यार्थियों से संवाद करने के दौरान कही। उन्होंने शोध कार्य का डाटा साझा करते हुये कहा महिलायें पहले खुद के साथ हुई घटनाओं के बारे में पुलिस के सामने खुलकर बात नहीं कर पाती थी लेकिन महिला पुलिस थाने शुरू होने के कारण अब महिलाओं के साथ जो होता है जैसे होताा है वह सहजता से बता रहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि भारत में सबसे पहला महिला पुलिस थाना 27 अक्टूबर 1973 को केरल के कोझी कोड़ में खुला था। देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस थाने तमिलनाडु में है। पूर्वोत्तर में कई राज्यों में एक भी महिला पुलिस थाना नहीं है जो शासन एवं प्रशासन से इस सुविधा में सुधार हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश होना चाहिए।

7.7 भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के उपाय

हम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समान यदि महिलाओं सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान कर उनके अधिकार को दिया जाए तो उस देश में युद्ध की आशंका कम होगी। उस देश के बच्चों की तबियत सुधरेगी और आम लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा जीवन स्तर में सुधार होगा, क्योंकि हाल में ही सनामरीन फिन लैंड की प्रधानमंत्री बनी है और उनकी उम्र दुनिया में प्रधानमंत्री बनने वालों में सबसे कम है, बात सिर्फ तारीफ की नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि पुरुषों की इस दुनिया में महिलाएं अस्तित्व के लिए आज भी जेहेद कर रही है। अध्ययन के माने तो सत्ता में महिलाओं को होने से सरकार की शांतिपूर्ण नीतियां बनाने की सम्भावना बड़ जाती है पर दूसरी ओर यदि जमीनी उदाहरणों को गिनने जाए तो उन देशों में जहाँ पीएम प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति महिला है उनके ज्यादा उग्र विवादों में शामिल होने के किस्से देखने को मिलते हैं, शायद इसलिये क्योंकि दुनिया में कई देश के समाज महिला नेताओं को कमजोर मानते हैं और इस छवि को झूठा साबित करने के लिए महिला नेता कई बार कुछ ज्यादा ही आक्रमक हो जाती है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी और 1971 के उस युद्ध को जिक्र किया जाना लाजिम है। लकीर का फकीर तो यहीं मानते हैं कि महिलाएं राष्ट्र सुरक्षा जैसे मामलों को निपटाने एवं सुलझाने के लिए जरा भी उपयुक्त नहीं है तो हजारो दूके एक वैश्विक सर्वे में

शामिल 61 प्रतिशत लोगों ने माना था कि पुरुष किसी देश के सिर्फ तीन प्रतिशत लोगों ने महिलाओं पर भरोसा जताया था वहीं वाकी बचे लोगों ने दोनों के बराबर वोट दिये थे। हुकूमत एवं अपने अधिकार को होने से नफा और नुकसान की गणना से पहले बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक और नेतृत्व वाले इलाकों में उन्हें किस हद तक स्वीकार किया गया होगा और अब तक उनकी किसी के हुकूमत को ट्रॉफी की तरह देखा जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा सकते हैं जो निम्न हैं–

1. शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना।
2. समान अधिकार प्रदान करना।
3. राजनीतिक क्षेत्र में समान निर्वाचन व्यवस्था करना।
4. प्रशासन क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान करना।
5. सामान्य न्याय एवं कानून प्रदान करना।
6. सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त करना।
7. नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना।
8. समान आरक्षण व्यवस्था करना।
9. पुरुष प्रधान मानसिकता को खत्म करना।
10. समान रोजगार के अवसर प्रदान करना।
11. जीवन जीने के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करना।
12. नमनीयता एवं उदारता प्रदान करना।
13. सामाजिक नेतृत्व प्रदान करना।
14. पितृसत्ता में समानता।
15. समान स्वतंत्रता प्रदान करना।
16. समान विकास योजनाओं का निर्माण करना।

अष्टम अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

8.1 निष्कर्ष

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का मनो–सामाजिक अध्ययन बिहार के सिवान के हुसैनगंज प्रखण्ड अन्तर्गत छाता पंचायत के सन्दर्भ में 98 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पैसे न होने से एक ऐसे रिश्ते को लम्बे समय तक झेलना पड़ा, जहाँ रोज मारपीट होती थी, बच्चों की बजह से मजबूरन ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना पड़ रहा है, जिससे हम सभी क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी थी। क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होने से कानून भी उन्हीं के साथ देता है पैसे नहीं होने के कारण अनेक महिलाओं ने बुरी तरह से जाल में फसी हुयी है। और छटपटानें के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। ये शोध अध्ययन के क्रम सिवान, हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत की उन महिलाओं की है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई और न चाहकर भी उसे झेलती रही। जिंदगी को लगभग नर्क कर देने वाले रिश्ते में बंधे रहने की सबसे एक बड़ी बजह बताई आर्थिक स्वतंत्रता न होना है। भारत ही नहीं पूरे राज्य में ऐसी महिलाओं के लिए शेल्टर होम (गृह आश्रम) होना आवश्यक है लेकिन जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। घरेलू हिंसा का शिकार ऐसी ही महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कुछ आवश्यक जरूरतों को मुफ्त में देने की घोषणा करनी चाहिए ताकि आने जाने और नौकरी ढूढ़ने में मुश्किले न झेलनी पड़े और बड़े संकट में छोटी सी मदद मिल सके।

बिहार के सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखण्ड अन्तर्गत छाता पंचायत के घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का सालाना लगभग लाखों रूपये का नुकसान

होता है। बच्चों की देखभाल पुलिस, न्यायालय और अन्य प्रक्रियाओं के कारण लोग काम पर नहीं पाते जिससे नुकसान होता है।

शोध अध्ययन से यही सामने आया है कि जिन महिलाओं के नाम रूप संयता होती है वे न केवल घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी होती है बल्कि उन महिलाओं के दुखना में अपेक्षाकृत घरेलू हिंसा का कम शिकार होती है जिनके नाम संपत्ति नहीं है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में महिलाओं को पुरुष के समानाधिकार दिए गए। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ण, महिला दशक, इंटरनेशनल उमर ऑफ गर्ल चाइल्ड के बाद वर्ष 2001 महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया जो कि इस बात का द्योतक है कि आजादी के 70–75 वर्ष बीत जाने के बाद भी संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार से महिलाएं वंचित है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा एवं उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जो अनेक रूप हैं।

हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि पिछले कुछ समय से घरेलू हिंसा खतरनाक रूपधारण कर लिया है। ये मात्र दो बजह से एक किसी मुद्दे को परिवार वाले से संयुक्त रूप से राम और विमर्श पर धारणा या राजस्व उनकी जाम करने के लिए परिवार को आगे आना दूसरा या फिर किसी प्रेमी जोड़े के सजा सुनाने के लिए सच तो यह है कि हमारे समाज में परिवार और मर्दों की शान उनकी मुद्दों से शुरू होकर महिलाओं पर खत्म होती है। तो जब जब वे मुद्दों पर दाव देते हैं तब तब की मुंडी नुमाकर कह देते हैं कि वे ज्यादा न बोले और औकात में रहे।

अगर महिला उनकी झुन पर नृत्य नहीं कर पायी उनकी जायज नाजायज हर बातें आंख मूंदकर स्वीकार नहीं कर पायी, तो उनका होना या न होना बेकार। कर दो खत्म, इस गुंडागर्दी को इलाज थोड़ी हैं। हम जब

महिलाओं की प्रताड़ना की बात करते हैं तो हर जगह हमारी सम्भवता उसको छिपा लेती है और हम सीता–सावित्री के देश की गाथा गाने लगते हैं। अरे मुर्ख परिवार और समाज याद करों सीता ने स्वयंवर से राम को चुना था, राजा कृष्णा के साथ रासलीला करती थी। पार्वती ने शिव को पाने के लिए धन और तपस्या की थी।

हमारी संस्कृति और समाज का यह भी एक अभिन्न अंग है, पर हमारा समाज भूलकर भी दूसरा चर्चा नहीं करता, क्योंकि यह समाज और परिवर्तन के हित में नहीं है। महिला दबी ढकी रहेगी तो बोलेगी नहीं और पितृसत्तात्मक समाज का वर्चस्व हो जाएगा, और संपत्ति सात्व और प्रभुत्व पुरुष के पास बरकरार रहेगा।

वस्तुतः जब भी संस्कृति की चर्चा होती है तो उसका विश्लेषण भी होना चाहिए कि हमारा इतिहास जो दरशा रहा है उसके वास्तविक निष्कर्ष क्या होगा। न कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं या लोगों को कैसे दिखाना चाहते हैं या हमारे समाज धर्म के नेता टाइप लोग संस्कृति को कैसे दिखाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि जीवन में समय की कमी हो सकती है। समस्याएँ भी हो सकती है लेकिन फिर भी अपनी परिवार की उपेक्षा न करें। अगर आपका परिवार अस्त–व्यस्त है तो फिर आपका जीवन किसी काम का नहीं। महिलाओं को चाहिए कि वे बचपन से ही झूठी शान से दूर रहे। दिखावा आडंबर और स्वयं को बढ़ा–चढ़ा कर दिखावे से आज तक न कोई महान बना है और न ही कभी बनेगा। आज तक रिकार्ड है कि दुनिया में जिन महिलाओं ने नाम कमाया है वे झूठी शान में कभी नहीं पड़ी। उनकी सोच और विचार जितने बड़े थे जीवन उतना ही साधारण रहा है। झूठी शान हमेशा परेशानी पैदा करती है, तथा लक्ष्य से दूर ले जाती है।

अहंकार से दुनिया का कोई रिश्ता नहीं चलता। जहाँ रिश्तों में अहंकार आया, वहीं रिश्ता ध्वस्त होने लगता है। खत्म हो जाता है। माना कि आपने

जन्म दिया उम्र में बड़े है रिश्ते में बड़े है तो इसमें अहंकार की क्या बात है। आप यह क्यों चाहते हैं कि दूसरे आपके कदमों में झुके आपकी हर बात माने, आप जो कहें वहीं ठीक हो। इस तरह दादागिरी चल सकती है, बासगिरी चल सकती है लेकिन रिश्ते नहीं चल सकते। डर से, भय से, ताकत से, जोर जबरदस्ती या फिर मजबूरी से अगर कोई जगह नहीं बचती। कोई आपका आदेश तो मान सकता है लेकिन आपसे प्यार नहीं कर सकता आपकी इज्जत नहीं कर सकता।

जीवन में निर्णयों की बड़ी ही अहम भूमिका होती है, अपनी सुगमता, सफलता और सुकून के अनुसार हम आवश्यकतानुसार समय–समय पर कई तरह के छोटे–बड़े निर्णय होते हैं, जब ये निर्णय सही होते हैं तो हमें बेहद खुशी होती हैं, लेकिन यदि निर्णय गलत हो तो हम दुखी हो जाते हैं यह सही नहीं है। अफसोस करने से अच्छा है कि हम अपने निर्णय सोच समझकर लें, उन्हें स्वीकार करने की आदत डालें, जो बीत गया उनके बारे में सोचकर और पछताकर अपनी उर्जा, उमंग और समय नष्ट करने के बजाए निर्णयों पर चिंता करने के लिए कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान जरूरी है–

1. पारिवारिक मुश्किल में फंसे होने पर कैसे बिना शोर मचाएँ मदद मांगकर खुद को बचा सकते हैं। खासकर घरेलू हिंसा से।
2. सोशल मीड़िया के जरिये घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए यह बड़ा मददगार साबित हो सकता अगर इसे भारत में भी लोकप्रिय बनाया जाए। क्योंकि देश में काफी संख्या में महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकायत इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि वह शोर नहीं मचाना चाहती या फिर ऐसा करने से डरती है।
3. घर में शांति का वातावरण हो तभी महिला का विकास संभव है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि एक ऐसा वातावरण घर समाज में हो जो हिंसक न हो। सुरक्षा का वातावरण हो।

और जब अपने नागरिक होने का अहसास करेगी तब ही आगे विकास की सोची जा सकती है।

4. संविधान में महिलाओं का समानता का अधिकार भी दिया हुआ है फिर भी वास्तविकता यह है कि महिलाएं लगातार दोयम दर्जे की नागरिक बनती जा रही है, उसके अपने घर परिवार द्वारा उस पर तरह–तरह की पाबंदियां लगाई जाती रही है। अपने बारे में खुद निर्णय लेने के हक को कुचला जाता रहा है। उन पर तरह–तरह से हिंसा हो रही है। घर हो या बाहर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है।

5. महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा उनकी सामाजिक आर्थिक गतिविधि पर अंकुश लगाना है।

6. राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ सामन्तवाद की परम्परा रहीं है। महिलाओं को घुंघट में बंद रखा गया है। उनकी जल्दी शादी करने का प्रचलन रहा है। लड़कियों के पैदा होने को स्वागत योग्य नहीं माना गया है। उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी गयी, उन पर होने वाली हिंसा को अपने चरित्र या दोष से जोड़कर देखा गया। इसलिए घरेलू हिंसा की समस्या को कोई महत्व नहीं दिया गया।

7. महिलाएँ अगर घर में होने वाली को बाहर कहती है तो वह घर एवं समाज में बदलाव होती है उसे चुप रहने की शिक्षा दी जाती है।

8. हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को अच्छे निगाहों से नहीं देखा जाता है। महिला यह समझती है कि कहीं उसकी ही गलती है। इस हिंसा को व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ नहीं पाती हैं। जो हिंसा का होना ही व्यापक सबूत है।

9. महिला और पुरुषों के बीच समानता लाने और महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त कराने की दिशा में हमने काफी लम्बा रास्ता तय किया है। महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में कई किरदार निभाती है। और

इन सभी भूमिकाओं से जुड़े अधिकार उन्हें मालूम होने चाहिए ताकि जब उनके अधिकारों का हनन हो तो वे जानती हो कि उसका दरवाजा खटखटाना है।

10. अमरीका की सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध जज न्यायमूर्ति रूथ वेदर गिंसवर्ग ने जेंडर समानता को बेहतरीन शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था, ''मैं महिला होने के नाते अपने लिए कोई अनुग्रह नहीं चाहती। हमारे पुरुष वर्ग से इतना चाहती हूँ कि वे हमें पैरों की जूती समझना बन्द करें।''

11. परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है और हिंसा मुक्त घर और हिंसा मुक्त समाज की कुँजी है।

12. लॉकडाउन के दौरान आयोग ने घरेलू हिंसा की घटनाओं की सूचना देने के लिए व्हॉटसएप पर आपात हेल्पलाइन नम्बर 7217735372 जारी किया था।

13. महिलाएं अधिक सहजता से अपने साथ होने वाली हिंसा की जानकारी दे सके। इसके लिए सबसे पहले पुलिस की सोच को बदलना होगा।

14. महिला सशक्तीकरण का सबसे बेहतर तरीका है कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। ताकि वे खुद पथ प्रदर्शक बन सके और ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना है।

15. महिलाओं पर होने वाले हिंसा रोकथाम सुनिश्चित करने में युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका है और हिंसा मुक्त समाज के लिए युवा सोच प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन से मिलकर समग्र जेण्डर जागरूकता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है।

16. समाज के नाते हमारे सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें तब नहीं रूकना चाहिए जब तक हर महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो। स्वतन्त्र और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करती।

17. हिंसा शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक एवं यौनिक होती है इससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह गहराई तक महिलाओं को प्रभावित करती है। कभी तो वह पागल या मनोरोगी तक हो जाती है। असहायता एवं शक्तिहीनता का अहसास बढ़ जाता है। जीने की संभावना का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अनुमान है देश में हर साल घेरलू हिंसा में 14 हजार महिलाओं की मौते होती हैं।

18. इन सब बातों का क्या प्रभाव हो रहा है और महिलाओं को हिंसा से कितनी राहत मिल रही हैं। एक विचारणीय विषय है हमारे कुछ साझे सरोकार है– स्कूल एवं कॉलेजों में छात्र–छात्राओं की जागरूकता के लिए प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों को एक सकारात्मक मोड़ कैसे दिया जा सकता है। घरों में लड़कों एवं लड़कियों के साथ होने वाले भेद भाव को कैसे दूर किया जा सकें।

19. घरेलू हिंसा रोकने के लिए घर में होने वाली स्त्री–पुरूषों के सोच में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह शुरूआत शिक्षा व जन चेतना के कार्यों से ही संभव है। यानी घरों में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए अध्यापक, विद्यार्थी जनसंगठन, बुद्धिजीवी, प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका आदि सभी को आगे आना होगा। एक साथ बैठकर रणनीति तय करनी होगी, तभी घर की चाहदीवारी में घटित हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा।

प्रथम अध्याय घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का मनो–सामाजिक अध्ययन बिहार के सिवान के हुसैनगंज प्रखण्ड अन्तर्गत छाता पंचायत के सन्दर्भ में 98 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि अगर मैं आर्थिक रूप से

स्वतंत्र होती है तो जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पैसे न होने से एक ऐसे रिश्ते को लम्बे समय तक झेलना पड़ा, जहाँ रोज मारपीट होती थी, बच्चों की बजह से मजबूरन ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना पड़ रहा है, जिससे हम सभी क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी थी। क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होने से कानून भी उन्हीं के साथ देता है पैसे नहीं होने के कारण अनेक महिलाओं ने बुरी तरह से जाल में फसी हुयी है। और छटपटानें के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। ये शोध अध्ययन के क्रम सिवान, हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत की उन महिलाओं की है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई और न चाहकर भी उसे झेलती रही। जिंदगी को लगभग नर्क कर देने वाले रिश्ते में बंधे रहने की सबसे एक बड़ी बजह बताई आर्थिक स्वतंत्रता न होना है। भारत ही नहीं पूरे राज्य में ऐसी महिलाओं के लिए शेल्टर होम (गृह आश्रम) होना आवश्यक है लेकिन जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। घरेलू हिंसा का शिकार ऐसी ही महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कुछ आवश्यक जरूरतों को मुफ्त में देने की घोषणा करनी चाहिए ताकि आने जाने और नौकरी ढूढ़ने में मुश्किले न झेलनी पड़े और बड़े संकट में छोटी सी मदद मिल सके।

बिहार के सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखण्ड अन्तर्गत छाता पंचायत के घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का सालाना लगभग लाखों रूपये का नुकसान होता है। बच्चों की देखभाल पुलिस, न्यायालय और अन्य प्रक्रियाओं के कारण लोग काम पर नहीं पाते जिससे नुकसान होता है।

शोध अध्ययन से यही सामने आया है कि जिन महिलाओं के नाम रूप संयता होती है वे न केवल घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी होती है बल्कि उन महिलाओं के दुखना में अपेक्षाकृत घरेलू हिंसा का कम शिकार होती है जिनके नाम संपत्ति नहीं है।

द्वितीय अध्याय घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की पृष्ठभूमि एवं विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, तथ्यों को प्राप्त कर उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को देखा गया है कि उनकी स्थिति कैसी है। जैसे कि– हिंसा का कारण क्या है ? व्यापक प्रभाव उन महिलाओं पर कैसे पड़ा ? और कैसे घरेलू हिंसा की शिकार बनी और किस प्रकार से घरेलू हिंसा होता है आदि। साथ ही साथ उन प्रतिक्रियाओं का भी शीर्षक आधार बनाकर अध्ययन कार्य किया गया, जिससे यह अभिज्ञाप्ति हुआ कि शोधार्थी के अधिकांश हिंसा से सम्बन्धित प्रतिक्रियाएँ सही है।

प्रस्तुत शोध **अध्याय तीन** में शोध अध्ययन में प्रस्तुत अध्ययन विधि का वर्णित व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है यह सार गर्मित सत्य है कि शोध की प्रामणिकता उसमें प्रयुक्त अध्ययन विधि की गुणवक्ता, समय संकलन के तरीके, विश्लेषण एवं निर्वचन आदि के निष्पादकता पर निर्भर करता है जहाँ तक शोध सारांश में प्रयुक्त अध्ययन का प्रश्न है तो शोधकर्ता द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन की विधियों का चयन किया जिसमें अपने निर्धारित समय में अपने शोध उद्देश्यों के निकट पहुँच सके। इसके लिए शोधार्थी को सर्वप्रथम सम्पूर्ण शोध क्षेत्र का घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का मनोसामाजिक अध्ययन तथ्यों का जो द्वितीयक समंक के रूप में उपलब्ध थे। ये सरकारी तथ्यों से प्राप्त किया गया और उन्हें अपने शोध तंत्रों से प्राप्त किया गया और उन्हें अपने शोध उद्देश्य के आधारात्मक पृष्ठभूमि में प्रयुक्त कर शोध के लिए अध्ययन की सही रणनीतिक कार्य योजना बनाकर अध्ययन विधि को चयनित किया गया।

चूंकि यह अध्ययन मुख्य रूप से बिहार के सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत के सन्दर्भ में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मनो–सामाजिक अध्ययन का परिवेश से पहचान एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं का समस्या विश्लेषण से सम्बन्धित है। इसलिए इस अध्ययन में प्राथमिक एवं

द्वितीयक समंग को एक साथ प्रयुक्त किया गया। समंक संकलन में क्षेत्र सर्वेक्षण के साथ प्रत्यक्ष साक्षातकार विधि का भी प्रयोग किया गया जिससे शोध के मुख्य केन्द्र बिन्दु के रूप में चिन्हित महिलाओं के समस्त सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित किये जा सके। इस अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार के सिवान जिले अन्तर्गत हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत के परिक्षेत्र या इसलिए इसमें प्रतिचयन विधि का प्रयोग कर सम्पूर्ण अध्ययन परिक्षेत्र के विविध इकाईयों का समंक संकलन कार्य किया गया तथापि उन विशेष पीड़ित महिलाओं का एक समूह भी बनाया गया जिससे महिला घरेलू हिंसा के निष्पादकता का सूक्ष्म एवं सारगर्मित विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सके।

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस शोध सारांश के लक्ष्यात्मक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने अध्ययन में उन समस्त घरेलू हिसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आधुनिक प्रविधियों जिसमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार अध्ययन के उद्देश्य प्रकृति एवं विषय क्षेत्र आँकड़े का स्रोत, आँकड़े का सम्पादन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण विश्लेषण एवं विवेचना एवं समग्र का अध्ययन। प्रत्यक्ष अवलोकन मुख्य या सभी का पूर्णरूप से उपयोग किया गया।

चतुर्थ अध्याय प्रस्तुत शोध अध्ययन का विवेचना एवं विश्लेषण इस आधार पर किया गया कि महिलाओं के प्रति की जा रही घरेलू हिंसा के प्रकार प्राप्त जानकारी का हिंसा के प्रतिदर्शन स्तर क्या है ? जानने का प्रयास ज्ञान के आधार पर तालिकाओं द्वार किया गया। जैसे– घरेलू हिंसा के प्रति जानकारी का स्तर प्रदर्शन, पति एवं पत्नी के मध्य विवाद के स्तर का प्रदर्शन, महिलाओं के मानसिक शोषण का प्रदर्शन, महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न, मादक द्रव्यव्यसन को घरेलू हिंसा का कारक मानने वाले तत्व, अतिरिक्त विवाहेत्तर सम्बन्ध, आर्थिक संकट, दहेज आदि ये सभी घरेलू हिंसा का कारण

है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि ज्ञान के आधार पर ये सभी तत्व पीड़ित महिलाओं के घरेलू हिंसा के कारण सही सिद्ध हुआ।

पांचवां अध्याय में महिलाओं के प्रति की जा रही घरेलू हिंसा के हेतु उत्तरदायी कारणों का अध्ययन किया गया है। हिंसा एवं अपराध सार्वभौम होते है। ये होते रहते हैं, हो रहे हैं तथा सदैव होते रहेगें। शोधार्थी ने महिलाओं के प्रति अपराध एवं हिंसा (अथवा हिंसात्मक अपराध) की घटनाओं को शोध अध्ययन के आधार पर मानवीय इतिहास में होने वाली महिलाओं के प्रति की जा रही घरेलू हिंसा हेतु उत्तरदायी कारण को दिखाने का प्रयास किया गया है। जो निम्न प्रकार से है– यह प्रदर्शित करना कि बेमेल विवाह घरेलू हिंसा को प्रोत्साहित करता है। यह प्रदर्शन परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप घरेलू हिंसा का बढ़ावा देनेा है।

छठा अध्याय प्रस्तुत शोध अध्ययन के क्रम में शोधार्थी ने घरेलू हिंसा से पीड़ित उन सभी महिलाओं की पारिवारिक दशायें जो घरेलू हिंसा के कार्य है, उन्हें विभिन्न तालिकाओं से दिखाने का प्रयास किया है जैसे– इस तथ्य का प्रदर्शन की महिलाओं में जागरूकता की कमी, इस तथ्य का प्रदर्शन आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं के प्रति कमजोर, समाज की मनोवृत्ति परिवर्तित न होना, महिलाओं में उच्च शिक्षा का आभाव, प्रेम विवाह, सरकारी प्रयासों का उदासीन होना इत्यादि।

सातवा अध्याय प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी ने घरेलू हिंसा को कम करने के उपाय, विश्लेषण एवं विवेचना कर सरकारी–गैर सरकारी एवं शासन–प्रशासन की प्रयासों का सूक्ष्त्मात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में शोधार्थी ने सरकारी एवं गैर सरकारी शासन एवं प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न अधिनियम द्वारा महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का सुरक्षा, पीड़ित महिलाओं की सुविधाओं, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, विभिन्न महिला थाने में दर्ज मुकद्मे की सुनवाई एवं सामाजिक

जिम्मेदारियां आदि का अध्ययन कर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को शोध अध्ययन केन्द्र बनाया गया।

अतः हम इन सभी सहकारी, गैर–सरकारी एवं शासन, प्रशासन के प्रयासों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन सभी प्रयासों का जिम्मेदारी एक आदर्श के रूप में सुनिश्चित करना होगा जिससे नये–नये अधिनियम योजनाओं को प्रारम्भ करने की अपेक्षा इन्हीं सभी महिला संरक्षण अधिनियमों एवं सुरक्षा के अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त किया जाये।

अष्टम अध्याय में इस शोध सारांश का अन्तिम सारांश निष्कर्ष एवं सुझाव शीर्षक से अभिज्ञाप्ति किया गया है, जिसमें शोधार्थी ने अपने सम्पूर्ण शोध अध्ययन के उन मूल निष्कर्षों एवं सुझाव को दिया गया है, जिससे इनमें अन्तिम उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को सिद्ध किया जा सके।

शोधकर्ता का संबंध बिहार के सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत को आधार बनाया गया। जिसके अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता अपने सहानुभूतिपूर्ण प्रश्नों द्वारा एक विशेष घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जिससे कि उसे जानकारी चल जाए की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के जीवन पर कौन–कौन सी सामाजिक हिंसा परिस्थितियों का प्रभाव प्रमुख रहे हैं और उन परिस्थितियों का उसके मनो सामाजिक जीवन एवं उसके व्यवहारों पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत एवं पुलिस थाना के अन्तर्गत लगभग 600 (छात्राएँ) से ऊपर निवास करने वाली हिंसा से पीड़ित लक्ष्य संकलित किया गया है। चूंकि शोध कार्य का संबंध एवं कार्य प्रणाली इसी स्थान से है। शोध कार्य के क्रम में शोधकर्ता को अनेक प्रकार के कठिनाईयों का एवं विभिन्न प्रकार के लोगों के प्रश्नों का सामना करना पड़ा और कई उत्तरदात्रियों ने प्रश्न करने पर बहुत घबराते थे और जो

अपने आप में धैर्य रखकर उन्हे समझाना पड़ा और उनसे ली गई सूचनाओं को गुप्त रखी जाएगी।

बवजूद उपर्युक्त कठिनाइयों को एक समय एक पक्ष ऐसा भी मिला जो अत्यधिक सराहनीय है। क्योंकि उस समय उच्च कोटि सदाचार की भावना उनमें व्याप्त देखने को मिला।

इन सब अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार के सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखण्ड के छाता पंचायत का अध्ययन बहुत ही रोचक रहा।

1. क्या आप दहेज देना पसंद करते हैं। कुछ ने जबाव देना ही नहीं पसंद किया। कुछ उत्तरदात्रियों ने स्पष्ट नहीं किया।
2. क्या जातिगत आधार आपकी जाति में अन्य जाति के सदस्य द्वेष रखते हैं या कौन सी जाति को अपने से उच्च समझती है तथा कौन सी निम्न समझती है अधिकता तो जबाव ही नहीं दिया और कुछ तो जाति का नाम नहीं बतलाना चाहा।
3. आय से संबंधित आपकी मासिक आमदनी कितनी है। उसका जबाव देने में उनके मन में शंका आयकर विभाग को आने लगा।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सूचनादात्रियों से जितनी अधिक घनिष्टता तथा व्यक्तिगत रूप से मिलजुलकर प्रश्न को किया जा सकें, तो जानकारी और अधिक पा सकते हैं। अतः सूचनाओं से अपनापन की भावना प्रस्तुत जागृत कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करना ही उसमें विश्वास उत्पन्न करता है, जिसके आधार पर सामाजिक स्थिति का चित्र सुविधापूर्वक जाना जा सकता है।

आज जो हम पीड़ित महिलाओं की स्थिति का जो परिचय प्राप्त करना चाहते हैं उसका कारण भी जिज्ञासा ही है। वे अपने पूर्व की अवस्था में कैसी थी और उन्होंने किस प्रकार से इस पीड़ित अवस्था को गुजार रही हैं। पीड़ित

महिलाओं की स्थिति पर परिवार एवं समाज का क्या प्रभाव पड़ा है, यह जले का भी इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य है। जो जीवन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है– वैवाहिक स्थिति, यौन, उपजाति, उम्र, जन्म स्थान, औसत मासिक, आय, मकान, मकान का प्रकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ना, सामंजस्य, भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता आदि प्राप्त तथ्यों को अध्ययन में सारणी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

- उत्तरदाताओं के जननाँकीय अध्ययन में यह पाया गया कि 50% उत्तरदाता 30 वर्ष से अधिक आयु के है।
- चूँकि यह अध्ययन नगरीय क्षेत्र में सम्पन्न हुआ अतः 60% महिलाएं स्नातक तथा 16 प्रतिशत परास्नातक है।
- अधिकांश परिवारों में 4 अथवा 6 सदस्य हैं ।
- अधिकांश 50% महिलाएं सामान्य वर्ग की हैं जबकि 40% महिलाएं पिछड़े वर्ग की हैं।
- बहुसंख्यक उत्तरदाता हिन्दू धर्म में हैं जबकि 10% उत्तरदाता सिक्ख धर्म से सम्बन्धित हैं।
- नगरीय क्षेत्र में अध्ययन में सम्पन्न होने में कारण 60% उत्तरदाताओं के प्रति व्यापार से जुड़े हैं जबकि 24% उत्तरदाताओं के पति नौकरी से जुड़े हैं।
- अधिसंख्यक 40% उत्तरदाताओं के पति की आय 7001–10,000 हैं, जबकि 30% उत्तरदाताओं की आय 4001–7000 तथा 20% उत्तरदाता की आय 10001–13000 के मध्य है।
- 70% परिवारों की प्रकति एकांकी है जबकि शेष 30% संयुक्त परिवारों से हैं।
- शत–प्रतिशत परिवार पक्कें सीमेन्टेड मकानों में रहते हैं।

- उच्च शैक्षिक एवं जीवन की दशाओं के कारण 70% बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की जानकारी है।
- शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक हिंसा को सम्मिलित किया जा सकता है।
- 70% उत्तरदाताओं का यह मानना है कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने नहीं दिया जा रहा है।
- 74% बहुसंख्यक उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि महिलाओं को खर्च करने की आजादी नहीं है।
- शत–प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं कि जो महिलाएं किसी भी कार्य में संलग्न हैं, चाहे वह नौकरी हो अथवा कोई अन्य कार्य, उन्हें पूर्ण स्वतंत्राता प्राप्त नहीं है।
- 94% उत्तरदाता यह मानते हैं कि मादक दृव्य व्यसन घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है।
- पतियों के विवाहेत्तर सम्बन्ध घरेलू हिंसा के वातावरण का निर्माण करते हैं, यह तथ्य 96% उत्तरदाता स्वीकार करते हैं।
- 98% महिलाओं ने यह बताया कि आर्थिक विपन्नता के कारण परिवार में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है।
- 96% महिलाएं इस तथ्य से सहमत है कि 'दहेज' प्रथा के कारण महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है।
- 76% उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि बेमेल विवाह के कारण भी घरेलू हिंसा होती है।
- 90% महिलाएं यह मानती हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों के कारण भी घरेलू हिंसा होती है।

- 52% उत्तरदाता यह मानते हैं कि यदि पत्नी पति से अधिक शिक्षित है तो इस स्थिति में घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है जबकि 40% उक्त तथ्य से सहमत नहीं है।
- 100% महिलाएं यह मानती हैं कि यदि पति पत्नी को सन्तान नहीं है तो यह प्रायः कहा जाता है कि इसके लिए महिला ही दोषी है तथा इसके उपरान्त उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है।
- अधिसंख्यक महिलाएं यह मानती हैं कि यदि पत्नी की आय पति की आय से अधिक है तो यह स्थिति भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है।
- 70% उत्तरदाता धनात्मक रूप से यह स्वीकार करते हैं कि यदि महिलाएं अपने अधिकार, गरिमा, आत्म सम्मान के प्रति जागरूक है तो वे कभी भी घरेलू हिंसा की शिकार नहीं हो सकती है इसके अतिरिक्त 30ः महिलाएं यह मानती हैं कि पुरुष प्रधान समाज में घरेलू हिंसा कभी कम नहीं हो सकती है।
- 60% उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि यदि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो उन्हें घरेलू हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता हैं जबकि 40% उत्तरदाता यह मानते हैं कि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- 80% उत्तरदाता यह मानते हैं कि मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है जबकि 20% यह मानते है कि सामाजिक मनोवृत्ति को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं है।
- 70% उत्तरदाता यह मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है जबकि 30% इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं।
- 80% उत्तरदाता यह मानते हैं कि प्रेम विवाह के द्वारा घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है।

- यदि सरकारी प्रयासों एवं कानून का सख्ती से पालन किया जाये तो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में कमी लायी जा सकती है, ऐसा 68% महिलाएं मानती हैं जबकि 32% उत्तरदाता यह मानते हैं कि महिलाओं के प्रति हिंसा को रोका जाना संभव नहीं है।

8.2 सुझाव

सुझाव किसी कार्य का महत्वपूर्ण भाग है। सुझाव के बगैर शोध कार्य संभव नहीं है। किसी भी शोधकार्य में सुझाव देना एक महत्वपूर्ण भाग है। अतः शोधकर्ता निम्न सुझाव प्रस्तुत कर रहा है–

1. हमारा समाज जो स्त्रियों के प्रति सर्वत्र उपराम था, उन प्रश्नों पर बड़े गौर से विचार करना होगा।
2. इस प्रतिक्रिया के युग में पुराने विचार वालों का भी बिलकुल आभाव नहीं है। प्रतिक्रिया के प्रबलता को देखकर स्त्रियों के प्रति विश्वास किया जाना चाहिए, जो स्वभाविक अवस्था को स्वीकार करें।
3. सभी महिलाओं के आर्थिक असुरक्षा तनाव के बढ़ते स्तर चिंता वित्तीय परेशानियां और परिवार में भावनात्मक सहयोग का ख्याल रखना चाहिए।
4. घरेलू हिंसा का शिकार ऐसी महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कुछ आवश्यक जरूरतों को मुफ्त में देने की घोषणा करनी चाहिए, जिससे इस समस्या को झेल सकें।
5. समाज द्वारा मान–मर्यादा व लाज–शर्म सम्बन्धी स्थापित प्रतिमानों, पारिवारिक प्रतिष्ठा सामाजिक निन्दा का भय तथा पुलिस एवं न्यायालीय पेचिदा प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा।
6. हिंसा के संदर्भ में पुलिस कार्यवाही अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

7. प्रत्यक सामाजिक व्यवस्था एवं सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन अपने उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए अग्रसर होना चाहिए।

8. सभी जाति एवं धर्म मानने वाले लोगों को चाहिए कि राज्य के तरफ से अपनी योग्यता विकास के लिए समान अवसर को दिला सकें।

9. महिला विकास निगम द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन नम्बर 181 को महिलाओं के प्रति जागरूकत करना होगा।

10. पुरुष समाज महिलाओं को गुलामी में ही देखने का आदि है, इससे सुधार करने की जरूरत है।

11. जिस दिशा में म समाज को बढ़ाना चाहते हैं वह स्वयं सरल तथा निष्कंटक है, जिन सुधारों को हम समाज में लाना चाहते हैं वे स्वयं आसान है परन्तु स्त्री समाज को बलपूर्वक अलग रखने के कारण आज निष्कंटक मार्ग कंटकाकीण हो चुके हैं। सरल मार्ग दुर्गम तथा बीहड़ बन चुका है। जो घरेलू हिंसा का कारण है उसे सुधार करना होगा।

12. भारत का स्त्री समाज अशिक्षित है। वह पुरुष समाज में कर्मणयता का संचार कैसे करें।

13. न्यायालय में वैवाहिक जीवन एवं विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना का सामना करने और पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली महिलाओं को कानूनी मदद एवं आवास की सुविधा मिलनी चाहिए।

- महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, अवसर, विधिक साक्षरता के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता हैं।
- घरेलू हिंसा के सन्दर्भ में मानव अधिकार शिक्षा एवं सूचना के माध्यम से उक्त को रोका जा सकता है।
- महिलाओं से जुड़े क्षेत्रों जैसे अपराधी सुधार, प्रशासन, स्वास्थ्य कल्याण एवं निजी क्षेत्रों में महिलाओं को दृढ़ सहारा दिया जाना चाहिए।

- सक्रिय हस्तक्षेप एवं शिक्षा की सहायता से आवश्यकताओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। घरेलू हिंसा से सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमों एवं सूचनात्मक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को शिक्षा, प्रभावी कानून, प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर देकर उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है।
- बहुत से सरकारी, गैर सरकारी संगठन जो कि इस मुद्दे पर काम कर रहे हो उनको संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
- शोषण की शिकार महिलाओं के लिए सस्ते एवं अनौपचारिक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- उन उदयीमान स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ बनाना चाहिए जो कि महिलाओं की समस्याओं पर कार्य कर रही है।
- महिलाओं से संबंधित संगठनों की जो उनके हित में कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रचारित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- पुरूष प्रधान समाज को समानतावादी समाज में परिवर्तित किया जाना चाहिए ।
- महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- महिला अधिकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- नशामुक्ति को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए।

उपसंहार

समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा नई नहीं है वरन बहुत पुरानी है। वर्तमान अध्ययन चूंकि नगरीय क्षेत्र में संचालित किया गया अतः मुख्यतः महिलाएं शिक्षित हैं।

महिलाएं घरेलू हिंसा से भलीभांति परिचित हैं और वे इस तथ्य से सहमत हैं कि प्रत्येक समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा होती है भले ही उसका स्वरूप शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना ही क्यों न हो।

महिलाएं यह मानती हैं कि पति एवं पत्नी का झगड़ा प्रायः स्त्रियों के प्रति शारीरिक हिंसा पर जाकर खत्म होता है। महिलाएं इस तथ्य से सहमत हैं कि उन्हें सामान्यतः मानसिक दुव्यर्वहार का सामना करना पड़ता है।

अनुसंधानकत्री ने यह पाया कि महिलाओं को अपनी आय को व्यय करने तक की स्वतंत्रता नहीं है। यद्यपि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त है परन्तु उन्हें आर्थिक आजादी प्राप्त नहीं है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि मद्यपान घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण है। परन्तु परिवार का आर्थिक संकट, दहेज, पति के साथ सम्बन्ध, बेमेल विवाह आदि घरेलू हिंसा के अन्य प्रमुख कारण है।

अध्ययन से यह तथ्य ज्ञात होता है कि यदि महिलाएं आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से सशक्त होंगी तभी घरेलू हिंसा को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रेम विवाह को प्रोत्साहन एवं कानून का सख्ती से पालन करवाकर भी घरेलू हिंसा को नियंत्रित किया जा सकता है। समुदाय की महिलाओं के प्रति सोच एवं मनोवृत्ति को परिवर्तित करके घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है।